खण्ड-289, अंक-9
गुरूवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1893
(22 जुलाई, 1971 ई0)

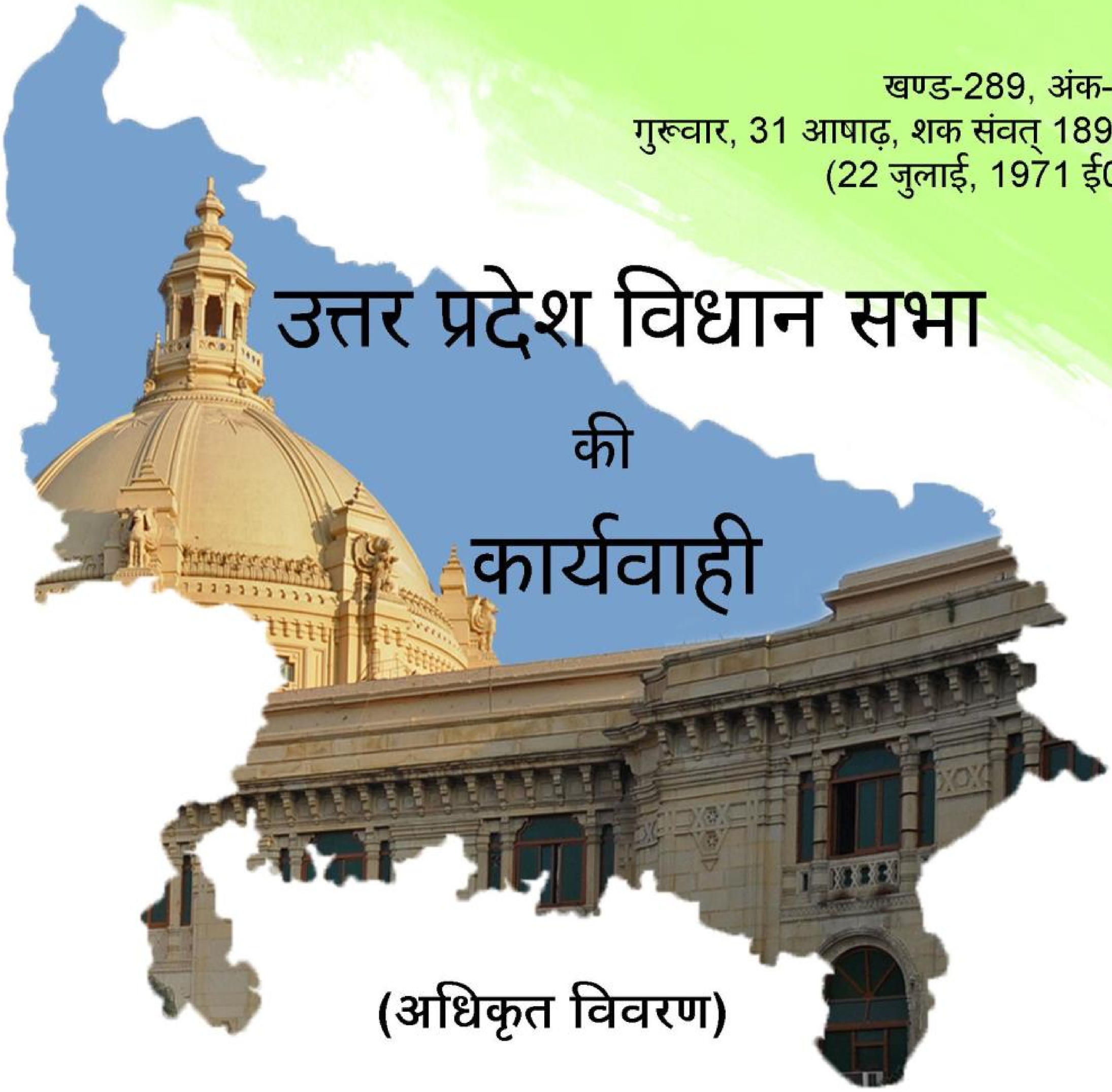

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९९५–९९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर समय से न मिलने के संबंध में आपत्ति (जारी) ..	९९९–१०००
प्रश्नोत्तर	१०००–१०३९
बिजली कर्मचारियों की सम्भावित हड़ताल से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पहले विचारार्थ लेने की मांग (जारी)	१०३९–१०४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर समय से न मिलने पर आपत्ति ..	१०४१–१०४२
बाढ़ पीड़ितों को सड़ा आटा खिलाने के संबंध में शिकायत	१०४३
प्रश्नों के सही उत्तर न मिलने के संबंध में शिकायत ..	१०४३–१०४४
बिजली कर्मचारियों की सम्भावित हड़ताल से संबंधित कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पहले विचारार्थ लेने की मांग (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१०४४–१०५२
१९६३–६४ के विनियोग लेखे तथा १९६५ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१०५२–१०५३
१९६४–६५ के विनियोग लेखे तथा १९६६ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१०५३–१०५४
लोक लेखा समिति के सिंचाई कर्मशालाओं से सम्बन्धित कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	१०५४–१०५५
यमुना जल विद्युत् परियोजना तथा रामगंगा परियोजना कालागढ़ के सम्परीक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१०५५
१९६७–६८ के विनियोग लेखे तथा १९६९ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१०५५–१०५७
इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में नगरों एवं ग्रामों की जनसंख्या के अनुपात से छात्रों की संख्या सुरक्षित करने हेतु अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	१०५८
भारतीय दंड विधान की धारा ३२३ व ५०६ को पुलिस हस्तक्षेप योग्य बनाने हेतु याचिका (उपस्थित की गई)	१०५८
विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के बारे में जानकारी ..	१०५८–१०५९
अंजुमने अनहार की बातों के संबंध में वक्तव्य	१०५९–१०६३
इरादतगंज, इलाहाबाद में बांगला देश के शरणार्थियों के लिये स्थापित शिविर में अव्यवस्था के संबंध में वक्तव्य	१०६३–१०६५
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१०६६

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० (विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव स्वीकृत)	१०६६
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १—वृहत् जोत कर तथा अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (स्वीकृत)	१०६६–११०५
नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनायें	११०५–१११०
फतेहपुर जिले के थाना ललौली के थानाध्यक्ष द्वारा ग्रामीणों को पीटने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१११०–१११८
गोरखपुर जिले के ग्राम खानीपुर में जीप से एक बालिका की मृत्यु तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा अत्याचार के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१११९–११२५
नत्थियां	११२६–११४८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्धार सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २२ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७६

अजब सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कुपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद सिंह, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मुन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री

बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भग ती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महातम प्रसाद तिवरी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्सीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री

रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफ खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलाम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह कुंवर, (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ला, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री

श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लालगुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
(जिला आगरा–फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा—पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट :—सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उपस्थित थे।

वृहस्पतिवार २२ जुलाई, १९७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

(श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही अल्पसूचित प्रश्न संख्या २ का उत्तर न मिलने के कारण विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जब प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला है तो हम अन्य प्रश्न कैसे पूछेंगे.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उत्तर हमें भी नहीं मिला है...प्रश्न संख्या २ व ३ में बहुत से माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत से हस्ताक्षर हैं, लेकिन कुछ को मिल गया है। प्रश्नों के बाद आप कोई सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या जिन प्रश्नों का उत्तर आ गया है उन्हें भी आप नहीं सुनना चाहते ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो प्रश्न पूछें हैं उनका उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह हम दिलवा रहे हैं ।

एक सदस्य—

जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर विधायकों को अपने यहां नहीं मिल रहा है इस नयी समाजवादी व्यवस्था में । अल्पसूचित प्रश्नों का उत्तर नियमों के अनुसार ७२ घंटे में मिलना चाहिये, जबकि १०–१२ दिन में मिलता है । इसकी भी आप व्यवस्था करें कि उत्तर समय से मिला करे ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मुझे १० बजकर ५५ मिनट पर उत्तर मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप चाहते हैं प्रश्न न लिये जायें ?

श्री वंशीधर पांडेय (जिला बाराणसी)—

प्रश्न लिये जायें, उत्तर दिलवाने की व्यवस्था करा दें ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २२ जुलाई, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चीनी मिलों के समाजीकरण के सिद्धान्त

**१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार ने चीनी मिलों के समाजीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो इसका पूर्णरूप कब तक हो जायगा ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

चीनी मिलों के निजी प्रभुत्व को समाप्त करना सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है । इस नीति को कैसे और कब कार्यान्वित किया जाय इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछली सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी बनायी थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की थी और यह सरकार क्या उसी रिपोर्ट के आधार पर विचार कर रही है या फिर से अलग से विचार कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

उक्त कमेटी की रिपोर्ट अभी गोपनीय है, लेकिन चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त किया जाय अ र समाजीकरण उसका हो, यह सिद्धान्त सरकार ने स्वीकार कर लिया है और सरकार वचनबद्ध है उसे करने के लिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि समाजीकरण का जो सिद्धान्त उन्होंने स्वीकार किया है, उसकी क्या रूपरेखा है ?

श्री कमला ति त्रिपाठी--

रूपरेखा तो यही है कि समाजीकरण किया जाय और निजी प्रभुत्व समाप्त किया जाय ।

(श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न है आप मुझे सप्लीमेंटरी पूछने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप खड़े भी तो हों, प्रश्न ही होने से क्या होता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं खड़ा होता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य के लिये ऊंची कुर्सी की व्यवस्था करवा दीजिये । यह जब खड़े होते हैं तो मालूम पड़ता है कि बैठे हुये हैं ।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस संगठन ने अपने बाम्बे अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, तो उस योजना से आपकी समाजीकरण की योजना कुछ भिन्न है या वही है ? इस पर पूरी तरह से विचार किये बिना आपके संगठन ने निर्णय किया है और आपने भी किया है, इसकी रूपरेखा अभी तक आपके सामने नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण में बहुत भेद नहीं समझता । समाजीकरण के बारे में प्रश्न किया गया था, समाजीकरण में राष्ट्रीयकरण तो आता ही है । निजी प्रभुत्व भी हम समाप्त करेंगे । तो जो भी व्यवस्था ठीक होगी की जायगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

सरकार किन विषयों पर किस रूप से इसपर विचार कर रही है ? और इसे करने में सरकार के सामने क्या वैधानिक कठिनइयां ?

श्री कममलापति त्रिपाठी--

कानूनी पहलू पर विचार कर रही है । इसके मुआवजे के पहलू पर विचार कर रह है । इन मिलों को लेकर चलाया जाय, उसके लिये कौन-सी एजेन्सी हो, इस पर विचार कर रही है । भारत सरकार से इसकी स्वीकृति लेनी होगी, वह विधानतः किस प्रकार मिलेगी, इस पर विचार कर रही है तो इन सारे पहलुओं पर विचार कर रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी —

मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान उनके उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आपने समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण को समान संज्ञा दी है । किन्तु तथ्य ऐसा नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले उसके समाजीकरण की योजना बनाई थी जबकि दोनों कांग्रेसों का विभाजन नहीं हुआ था । किन्तु राष्ट्रीयकरण किया गया और कहा गया कि समाजीकरण से जो हम चाहते थे वह नहीं हो पाता । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वह समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण में किस को उपयुक्त मानते हैं, किसकी तरफ कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न दूसरा है, इसका अंतर तो आप सभी जानते हैं । आपने कहा है कि समाजीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण होता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

ऐसा नहीं कहा है, आप स्पष्ट करा लें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमें कोई बहुत भ्रान्ति नहीं है । समाजीकरण एक बड़ा व्यापक शब्द है । सोशलिस्ट स्टेट बन रही है, सोशलाइजेशन एक बड़ा शब्द है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण में क्या प्रश्न उठा यह एक दूसरा सवाल है । उस पर यदि स्वामी जी चाहेंगे तो बहस करा ली जायेगी । आज तो यह है कि निजी प्रभुत्व हम उनका समाप्त करेंगे । और सरकार इनका अधिग्रहण करेगी । इस प्रकार से राष्ट्रीकरण हम अपने यहां चीनी मिलों का करेंगे यह हमारा सिद्धांत स्वीकृत हो चुका है और उसके लिए हम वचनबद्ध हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मुख्य मंत्री ने अभी कहा कि कानूनी सलाह ली जा रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी मुझसे सहमत होंगे कि भारत सरकार के कानूनी मुशीरों ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट कुछ अपनी सलाह उत्तर प्रदेश को भेजी थी जिस समय चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे । जो सलाह उन्होंने भेजी थी उस सलाह के ऊपर क्या चलने में उनको कोई कठिनाई हो रही है अथवा उस सलाह को क्यों नहीं मान रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उन्होंने सलाह भेजी थी माननीय वर्मा जी उस सलाह को जानते हैं, हम भी जानते हैं । इसी तरह से हमने अपनी रूपरेखा भारत सरकार के पास भेज रखी है । वह उस पर अब निर्णय लेगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री ने जबसे उनकी सरकार बनी है, केन्द्रीय सरकार को इस विषय में कोई परिपत्र लिखा है कि प्रदेशीय सरकार की क्षमता के अन्तर्गत है, हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं और हम करने जा रहे हैं ? यदि ऐसा कोई परिपत्र लिखा है तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई उत्तर भेजा है आपको ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उन्होंने यह कहा है कि हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय.....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

करीब-करीब चारों प्रश्न सम्बन्धित हैं। इसलिए सबको समय मिल जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब से राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आया है तब से चीनी मिलों की दशा बहुत शोचनीय हो गयी है, किसानों को बड़ा घाटा हुआ है, क्योंकि मालिकों ने सारे पुरजे वगैरह बेच दिये हैं, नयी मशीनरी स्टाल नहीं की है, इस बात को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री कोई निश्चित तिथि निश्चित करेंगे, राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में फैसला लेकर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नीति तो घोषित हो चुकी है। अब कब और कैसे कार्यान्वित किया जाय इस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

एक बड़ी भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

सबको एक साथ मौका नहीं दिया जा सकता।

कुंवर चन्द्रप्रतापनाराण सिंह (जिला देवरिया)—

राय साहब को दो-दो मर्तबा मौका मिल चुका है।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप इधर आ जांय तो बार-बार प्रश्न पूछिए।

श्री उपाध्यक्ष —

यह प्रश्न ऐसा है जिसमें सबको दिलचस्पी हो सकती है।

श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर दिया कि अभी केन्द्रीय सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है बल्कि उनके परिपत्र पर विचार कर रही है। हम लोगों की सूचना है क्या यह सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी को यह उत्तर दे दिया कि प्रदेशीय सरकार यदि चाहे तो चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, इस उत्तर के बावजूद प्रदेशीय सरकार कदम नहीं उठा रही है, क्या यह बात सत्य है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो राय आयी थी पहले वही राय उनकी है। लेकिन विधान के अनुसार बिना उनकी स्वीकृति लिए हम कोई कानून नहीं बना सकते जिसमें राष्ट्रीयकरण की बात होगी, जिसमें सम्पत्ति को लेने की बात होगी विधान के अनुसार हमको उनसे स्वीकृति लेनी चाहिये हम इसके लिए उनको लिख चुके हैं जिस प्रकार से हम लेना चाहते हैं उसकी रूपरेखा भी उनके पास भेज चुके हैं।

(कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मैं बराबर खड़ा होता हूं लेकिन मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं बराबर खड़ा ही रहूं ?

श्री उपाध्यक्ष —

खड़े तो सब होते हैं। आपके दल को इस में सहायक होना चाहिये। अगर एक ही दल के सभी सदस्य सवाल करने लगें तो औरों को कैसे समय दिया जा सकेगा ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

हमारे दल में शम्भूनाथ जी को एक ही बार मौका दिया गया जबकि मूल सवाल उन्हीं का था और जिन लोगों का सवाल नहीं था उनको दो-दो बार मौका दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष —

सवाल एक का नहीं रह गया। यह सबका सवाल है। हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो जिसमें सबको दिलचस्पी हो।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी —

साधारण प्रक्रिया और अध्यक्ष महोदय की रूलिंग भी यह है कि प्रश्नकर्त्ता को पहले मौका दिया जायगा।

श्री महीलाल —

साधारण प्रक्रिया यही है कि प्रश्नकर्त्ता को तीन बार प्रश्न करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन आपने शम्भूनाथ जी को एक ही बार मौका दिया ?

श्री उपाध्यक्ष —

साधारण प्रक्रिया के मुताबिक अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। खत्म हो गया होता तो आप यह बात कह सकते थे। अगर सभी लोग इस तरह से सवाल उठाने लगेंगे तो समय नष्ट होता है।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह —

क्या मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि चीनी मिलों के राष्टीयकरण के समय किसान और मजदूर के बीच में ये चीनी मिलें डाल दी जायगी यह देखते हुए कि पब्लिक एंटरप्र इसेज में बहुत नुकसान हो रहा है ? दूसरे जो १२ चीनी मिलों को सरकार ले रही है उसमें विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा, जिला देवरिया को ८ लाख कम्पेनसेशन दिया जा रहा है जबकि किसान मजदूरों का उस पर ५० लाख रुपया बकाया है, तो यह रुपया उनको कैसे अदा किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष —

यह प्रश्न चीनी मिलों के समाजीकरण के सम्बन्ध में है और उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित कैसे किया जायगा इसके सम्बन्ध में है, न कि किसी एक विशेष शुगर मिल के सम्बन्ध में है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी —

इन मिलों के राष्ट्रीयकरण में प्रदेश सरकार को कितना रुपया मूलधन तथा ब्याज के रूप में वहन करना होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी —

सारी चीनी मिलों के अधिग्रहण करने में बहुत बड़े मुआविजे का सवाल पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह भी एक प्रश्न है जिस पर विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार इनका मुआविजा अदा किया जाय और किस प्रमाण में किया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन १२ शुगर फैक्टरियों का अधिग्रहण अभी तीन, सवा तीन करोड़ रुपयों में उन्होंने किया है और जिनका कि सारे हिन्दुस्तान में कोई ग्राहक नहीं था। तो क्या यह समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण का एक ढंग है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ढंग क्या होगा यह तो समय आने पर इस सदन को और माननीय सदस्य को बता दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन १२ चीनी मिलों को यह लेने जा रहे हैं उन पर किसानों का, उनके गन्ने का और केन यूनियन का कितना रुपया बाकी है? और क्या सरकार दूसरे खर्च पर.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा ही प्रश्न है। इस सम्बन्ध में आप प्रश्न संख्या २ पर जब हम आयेंगे तब बोल लीजियेगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १२ मिलें प्रदेश की ली गई हैं वह कोई समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में नहीं ली गईं बल्कि उनके ऊपर किसानों की एक बड़ी भारी रकम थी उस सिलसिले में सरकार ने.....

श्री उपाध्यक्ष—

बकाये के बारे में तो दूसरा ही सवाल हुआ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बकाये के सिलसिले में ही राष्ट्रीयकरण किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह जो मिलें ली गई हैं उनका राष्ट्रीयकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्हीं और कारणों से सरकार ने सम्पत्ति को अधिग्रहण करने का कदम उठाया है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि जब तक कि संसद के माध्यम से सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकार में संशोधन न हो जाय उस वक्त तक के लिये सरकार ने यह प्रश्न स्थगित कर दिया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, यह प्रश्न उठता नहीं है क्योंकि संशोधन करने की बात तो अब चालू हुई और निजी प्रभुत्व को समाप्त करने की नीति तो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत पहले ही स्वीकार कर चुकी है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

यह विचार कब तक पूर्ण हो जायगा ? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हमने समाजीकरण योजना की रूप-रेखा पर केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है। वह रूप-रेखा क्या है जो आपने केन्द्रीय सरकार को लिखी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, स्पष्ट है अभी जिसके विषय में विचार हो रहा है और लिखा-पढ़ी की जा रही है वह गुप्त है और उसे इस समय प्रकट करना कदाचित् मुनासिब नहीं होगा।

(प्रश्न संख्या २ पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, उन पर आप पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)---

मान्यवर, उत्तर तो किसी का नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष---

हो सकता है, भूल हो गई हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, जब उत्तर किसी का नहीं मिला तो इसे आप कल के लिये रख दें।

श्री उपाध्यक्ष---

जब आपको उत्तर नहीं मिला और हमारे यहां कार्यालय में जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने कहा है कि यह सब को मिलना चाहिये, यह शायद किसी-किसी को ही दिया गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, इसको कल के लिये टाल दें तो अच्छा होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, हमारी प्रक्रिया नियमावली के अध्याय ७ के ३२वें पैरे की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि "लिखित उत्तरों की प्रतियां माननीय सदस्यों को प्रस्तुत करना"।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम तो मालूम है ही। मैंने इसीलिये निवेदन किया था कि आज सवाल न करें, भूल हो गई थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, नियम का मालूम होना जरूरी नहीं है किन्तु उसका पालन करना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जानता हूं कि आज किसी को नहीं मिला है, अतः इसे आज न लिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप सुन लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पहले हमारी बात सुनेंगे तभी तो कुछ कहेंगे। यह चीज रोज हो रही है, नित्य का क्रम बन गया है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन इस नियम की स्थिति के बारे में केवल आप ही इशारा नहीं कर रहे हैं, इसके पहले ही इसकी माननीय सदस्यों ने शिकायत की और उसके जवाब में मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या उनकी बात सही है। जब नियम की स्थिति बताती है कि प्रश्नों के जवाब रोज मिलने चाहिये और मिले नहीं, तो क्या इसको हम टाल दें ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। इसमें जरा देख लें कि यह व्यवस्था की गयी है कि "प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो उस दिन के उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व" य नी अगर आज के लिये प्रश्न किया गया है तो आज के ११ बजे के एक दिन पूर्व। इसका मतलब यह हुआ कि कल यानी यसटरडे-जो बीत गया है उसके ११ बजे····

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान····

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुझे बहुत दुख है। मैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं जो चेयर की तरफ से हो रहा है। अगर नियमों की तरफ आप का ध्यान दिलाना ही समय नष्ट करना है तो मैं नहीं समझता कि समय का उपयोग कैसे किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर एक ही नियम के बारे में सभी सदस्य कहने लगें कि "यह नियम की स्थिति है, यह नियम की स्थिति है"···· (हंसी)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी अध्यक्षता में आज विधान सभा सेक्रेटेरियट का जिस तरह से डिटेरियोरेशन हो रहा है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये, चिन्ता करनी चाहिये बजाय इसके आप हमारी बात नहीं सुनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप आसन ग्रहण करें। मेरी बात सुन लें। मैं निवेदन करूंगा कि नियम की स्थिति मैं जानता हूं इसीलिये कह रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर आप जानते हैं तो कृपा करके क्या उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह भी अनावश्यक कहते हैं । यह पहले ही निर्देशित कर दिया है कि सवाल के उत्तर पहले मिल जाने चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह रोज हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

रोज की बात नहीं है । पहली दफा की है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को आप देंगे ३—३ दफा और एक से लेकर ४ तक हमारा भी नाम प्रश्नों में जुड़ा है और हमको एक मौका देते हुए आपको तकल्लुफ होता है, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न हो गया । मगर मूल प्रश्न जो है उस पर हम भी चाहते हैं कि अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि····

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर आप समझते हैं कि नियमों का पालन हो गया तब तो ठीक है और अगर नहीं हुआ तो अपने विवेक को इस्तेमाल करके इसको स्थगित कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदन भी किसी नियम को स्थगित कर सकता है और किसी चीज के बारे में अपनी राय दे सकता है । मैंने स्थिति बतला दी कि अभी शुरू करते-करते यह आपत्ति की गयी कि अभी उत्तर नहीं मिले हैं, यह बात मैंने सही पायी और मैंने कह दिया, सचिवालय को बताया कि यह ठीक नहीं है । जिस बात को आप बार-बार कहते हैं उसकी मुझे इत्तला है । यह प्रश्न मेरे सामने पहली बार आया है । इसके पूर्व अध्यक्ष जी बैठते थे । आज ही इस नियम का पालन नहीं हो सकता, अभी लागू नहीं हो सकता क्योंकि एक दिन पूर्व ही उत्तर मिलने की बात है तो यह स्थिति आज के लिये लागू नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में अगर सदन की यही राय होगी तो हम स्थगित कर देंगे आज ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जब उत्तर ही नहीं मिला तो उस पर सप्लीमेंटरी कैसे किये जा सकते हैं ? इसलिये उचित और मुनासिब यही होगा आप कल के लिये इसे स्थगित कर दें ।

दूसरी प्रार्थना एक और है कि आपने निर्देश दे दिया कि नियम का पालन किया जाना चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य से जिस दिन प्रश्न पूंछे जाते हैं उसी दिन प्रश्नों के उत्तर भी दिये जाते हैं जबकि नियम एक दिन पेश्तर देने का है । तो एक दिन पेश्तर उत्तर मिलने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे सहमत हूं कि प्रश्नों का उत्तर एक दिन पहले मिल जाना चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस नियम के पालन में विफलता कैसे हुई, क्या इसका पता लगायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर क्या आप बहस करना चाहते हैं कि विफलता क्यों हुई ?

श्री महीलाल—

यह सचिवालय की लापरवाही नहीं है, यह हो सकता है कि मंत्रियों की ओर से उन प्रश्नों का उत्तर न आया हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं देखूंगा कि इसमें किसकी गलती है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इनको कल के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न संख्या २ और ३ को कल के लिये स्थगित किया जाता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रश्न संख्या ४ का उत्तर भी नहीं मिला है उसको भी स्थगित कर दिया जाय ?

श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

इसका उत्तर मुझे अभी मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुसार एक दिन पहले मिलना चाहिये था, इसलिये इसको भी स्थगित करता हूं ।

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

आपने यह निर्देश दिया है कि जिन प्रश्नों का पहले से उत्तर नहीं मिला है उनको स्थगित कर दिया जाय । इसमें सदस्यों के अधिकारों का हनन् हुआ है । क्या आप इसके बारे में कोई कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रामकरन सिंह—

मान्यवर, अभी आपने जो व्यवस्था दी कि एक दिन पहले जिन सवालों का उत्तर प्राप्त नहीं होगा, उन सवालों को नहीं लिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

सुन लीजिये । व्यवस्था नहीं दी । यह नियमों की स्थिति है । चूंकि नियमों की स्थिति असंदिग्ध है, इसलिये इस समय मैंने ऐसा कह दिया ।

श्री रामकरन सिंह---

अभी आपने यही बात कह कर चौथे प्रश्न को स्थगित किया है । उस हिसाब से आज के जितने प्रश्न हैं, वह और कल के भी जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर भी नहीं मिला है, इसलिये दोनों प्रकार के प्रश्न नहीं लिये जा सकते । यह स्थिति नियम के कारण पैदा हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

कल की बात तो काल्पनिक (हाई-पोथेटीकल) है ।

श्री रामकरन सिंह---

जो प्रश्न आज ११ बजे लिये जाने वाले थे, उनका उत्तर कल ११ बजे तक मिल जाना चाहिये था और जो प्रश्न कल ११ बजे लिये जाने को हैं उनका जवाब आज ११ बजे तक मिल जाना चाहिये था, वह भी नहीं मिला । इसलिये आज के जितने भी प्रश्न हैं और कल के जितने प्रश्न हैं वे दोनों नहीं लिये जा सकते ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कल कोई प्रश्न नहीं आ सकता तो वह सोमवार को आ जायगा । माननीय रामकरन जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मान लीजिये कल एक ही व्यवस्था है तो कल अगर यह नहीं होगा तो सारा समय चला जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय---

अब प्रश्नों पर चला जाय ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज आप किसी भी प्रश्न को नहीं ले सकते क्योंकि जिन प्रश्नों को आप आगे भी पुकार रहे हैं उन तमाम का उत्तर एक दिन पूर्व नहीं मिला । तो जो नियम का हवाला दिया गया है उसके अनुसार आज जितने भी प्रश्न हैं इनको स्थगित किया जाय ।

श्री रामगोपाल संड---

मेरा तारांकित प्रश्न का उत्तर कल ही मिल गया था, उसे ले लिया जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय---

सारे प्रश्नों को स्थगित करना उचित नहीं होगा क्योंकि सब प्रश्नों पर माननीय मंत्री लोग और सदस्य भी तैयार हो कर आये होंगे । जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे और उनका उत्तर नहीं मिला, उनको आपने स्थगित ही कर दिया । बाकी प्रश्न, हमारी प्रार्थना है कि लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी मैंने इन मामलों को अच्छी तरह देखा नहीं है । हो सकता है कि जो माननीय सदस्य कहते हैं कि हमको उत्तर नहीं मिला है उन को कल ही मिल गया हो । तो सभी सवालों को थोड़े ही रोका जा सकता है । हो सकता है जो रुके गये हैं उनको भी जवाब मिल गये हों ।

**२—श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री रामगोपाल सण्ड, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री लालसा, श्री उमाशंकर शुक्ल, श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री गंगा प्रसाद (गोंडा), श्री रामधारी शास्त्री, श्री कल्याण सिंह, श्री वीरेन्द्र वर्मा, श्री बंशीधर पांडेय, श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री शिवानन्द नौटियाल—

[स्थगित]

**३—श्री मो० असरार अहमद, श्री राम प्यारे, श्री रामसिंह खन्ना, श्री कल्यान सिंह, श्री राम गोपाल सण्ड, श्री सुखपाल पांडेय, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री रामधारी शास्त्री, श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री मैनेजर सिंह, श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल।

[स्थगित]

**४—श्री राम प्रसाद—

[स्थगित]

तारांकित प्रश्न

लघु उद्योगों के विकास की योजना

*१—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में लघु उद्योगों को फैलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा वह कितने लागत की है और उसमें कितने नये लोगों को रोजगार मिलेगा ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

लघु उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनाएं जिनमें कुल परिव्यय १८ करोड़ रुपये का प्रस्तावित है, चतुर्थ योजना में सम्मिलित की गई हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने से अनुमानतः ५०२ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा १,६४,७७२ व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से, रोजगार मिल सकेगा।

जो धन सरकार स्वयं योजनागत कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय करती है उसके अतिरिक्त अनेक सुविधायें और रियायतें लघु उद्योगों के लिये दी जाती हैं जिससे उनके विकास को प्रोत्साहन मिले।

श्री रामगोपाल संड—

उद्योग मन्त्री जी की भाषा मेरी समझ में नहीं आयी लेकिन मेरे पास जो लिखित उत्तर आया उसमें मंत्री जी ने यह बताया है कि १८ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग लगाने में खर्च होगा। तो वह कौन-कौन से जिले हैं जिनमें यह लघु उद्योग लगाये जायंगे और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जायगी ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

यह तो सभी जिलों में लगाये जायेंगे और सभी जगह धन व्यय किया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो १८ करोड़ रुपया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में व्यय किये जाने की घोषणा की गई है और उस के द्वारा ५०२ व्यक्तियों को रोजगार दिया जायगा, तो इस वर्ष में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

इस वर्ष में कितना व्यय होगा, यह विभाजन तो अलग से नहीं है, सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। मैंने ब ाया कि ५०२ आदमियों को प्रत्यक्ष सरक ार के द्वारा एम्प्लायमेंट दिया जायगा और उनके अन्तर्गत जो संस्थायें काम करेंगी उनमें १ लाख ६४ हजार आदमियों को काम मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

५०२ का दो उत्तर दे दिया लेकिन मेरा प्रश्न था कि इस वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

माननीय सदस्य ने जो सवाल किया उसका विश्लेषण तो मेरे पास नहीं है इस समय, लेकिन सारी योजना के अन्तर्गत जितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, वह मैंने बता दिया।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

इस सरकार ने कुछ जिलों को औद्योगिक रू से पिछड़ा घोषित किया है तो क्या इस योजना के अन्तर्गत जो यह १८ करोड़ रुपया व्यय होगा, क्या उसमें इन पिछड़े जिलों को कोई प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

जी हां, उन जिलों में भी उद्योग आरम्भ होंगे और धन व्यय होगा और उन को व्याज आदि की दर में और अन्य कुछ विशेष रियायतें दी जायंगी।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

चौथी पंचवर्षीय योजना का यह तीसरा वर्ष चल रहा है और इस पूरी योजना के लिये १८ करोड़ रुपया रखा गया है, तो अब तक इस में से कितना धन व्यय हो गया और कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

यह तो विस्तार का प्रश्न है, सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री महीलाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस १८ करोड़ रुपए की धनराशि में से जो इंडस्ट्रियल स्टेट बनी हैं हर जिले में और दूसरे स्थानों पर भी क्या वे सब इस १८ करोड़ की योजना में शामिल हैं ? और क्या उन को इस बात की जानकारी है कि जो औद्योगिक स्टेट बनी हैं उनमें से अधिकतर बन्द पड़ी हैं और वहां कोई काम नहीं हो रहा है ?

श्री देवकीनन्दन विभव--

यह सही है कि इसमें वह रकम शामिल है जो औद्योगिक इस्टेटस में खर्च होगी और यह भी सही है कि उनमें से कुछ इस्टेटस अब भी खाली पड़ी हैं, लेकिन उनमें अब जल्द से जल्द काम आरम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह--

मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि वहां ५०२ व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा तो क्या यह समझा जाय कि उन को सरकारी कर्मचारियों के रूप में रोजगार मिलेगा ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जी हां, यह वह व्यक्ति हैं जिनको सरकार के द्वारा सीधे इम्प्लाय किया जायगा और बाकी वह संस्थायें हैं जिनको सरकार सहायता देगी और जिनमें लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस योजना के अन्तर्गत जो रुपया रखा गया है और जो योजनायें हैं वे कार्य-रूप में परिणत हुयी हैं या केवल कागज में ही हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

वे सभी योजनायें कार्य-रूप में परिणत हो गयी हैं, कागज में नहीं हैं।

श्री रामगोपाल संड—

मैं समझता हूं कि उद्योग विभाग माननीय मुख्य मंत्री की देखरेख में है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि माननीय विभव जी तो राज्य मंत्री हैं, कौन-कौन से जिले में ये योजनायें पहले चलेंगी और कौन-कौन से कुटीर उद्योग-धंधे लिए जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जब आप बजट, जिसमें १८ करोड़ रुपये का प्राविधान है, पास कर देंगे तो मैं सदन के सामने रख दूंगा कि कहां-कहां पर खर्च होगा।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि यह प्रश्न नीति से सम्बन्धित है। अभी तक यह परम्परा रही है कि इन नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर हर पार्टी के एक या दो सदस्यों को प्रश्न पूंछने का मौका मिलता है। हमारी पार्टी की ओर से माननीय कल्पनाथ सिंह, बंशीधर पांडेय और कपूर साहब पूरक प्रश्नों के लिए खड़े होते रहे लेकिन आपने एक भी माननीय सदस्य को समय नहीं दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां तक ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, यदि आप इसे नीति का प्रश्न समझते हैं तो आप चर्चा मांग सकते हैं। यह बात भी सही है कि बिना चर्चा के सारी बातों के सवालों में उत्तर नहीं आ सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, सवाल यह नहीं है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कौन-सी व्यवस्था उठा रहे हैं ? अभी माननीय कल्पनाथ सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं और जैसा कि अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी ने भी कहा, मैं समझने में भी असमर्थ हूं कि हम लोगों की ओर से लगातार खड़े होने पर भी आपकी निगाह दूसरे लोगों की ओर हो जाती है। आप प्रोसिडिंग उठाकर देख लें तो विदित होगा कि एक अनुपूरक प्रश्न केवल माननीय कृष्णानन्द जी इस सारे प्रश्नों के समय में पूछ सके हैं। इसलिये श्रीमन्, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पक्ष को सदन की कार्यवाही में कम से कम रखने की प्रक्रिया चल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हर दल के सदस्यों की ओर से प्रश्न हों तो मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आप हर सवाल पर एक या दो प्रश्न पूछ लीजिए लेकिन अगर एक ही दल के कई माननीय सदस्य खड़े होते हैं तो आप भी सहयोग करें। तभी वातावरण ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह नीति के सम्बन्ध में आपने कहा.....

श्री उपाध्यक्ष—

एक ही दल के २ माननीय सदस्य कैसे बोल सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्,मेरा निवेदन है कि यह कितना गम्भीर प्रश्न था। इसके बारे में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था माननीय मुख्य मंत्री जी से कि यह जो १८ करोड़ रुपया चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है बेरोजगारी को दूर करने के लिए तो क्या माननीय मंत्री जी इसी १८ करोड़ रुपये की धनराशि को काफी समझते हैं जो ५४ जिलों में भेजने के बाद बेरोजगारी के कार्यों को हल करेगी? श्रीमन्, मैं इस बात को ले आना चाहता था लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। आप इस पर अढ़ाई घंटे की चर्चा दिला दें। मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है आप लिखकर दे दें।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप मेरी बात सुन लीजिये। श्री कल्पनाथ सिंह जी खड़े थे तो उस वक्त मैं बैठ गया था। श्रीमन्, आप मेरा निवेदन सुन लें.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आप को इजाजत नहीं देता। आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, उसे तो आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप की व्यवस्था क्या है?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी व्यवस्था यह है कि जो उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया वह सामयिक नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले आप बजट पास करा दीजिये उसके बाद लघु उद्योग कायम करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि लघु उद्योगों की रूप-रेखा क्या है? आप कौन से लघु उद्योग कायम करना चाहते हैं? आप इसमें डिबेट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैंने पांडेय जी के प्रश्न पर कह दिया कि जब इसे हम चर्चा का विषय स्वीकार करेंगे उस समय कहियेगा।

शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में प्रभारियों का चुनाव परिणाम

*१—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में प्रभारियों का जो चुनाव २९ अप्रैल, १९६८ को विभागीय समिति द्वारा हुआ था उसका पूरा चुनाव परिणाम अभी तक नहीं घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त परिणाम कब तक घोषित किया जायगा?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

जी हां। पूरा चुनाव परिणाम तुरन्त घोषित करने हेतु शिक्षा निदेशक को पुनः आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६८ में ये चुनाव हुए और आज जुलाई, सन् १९७१ है। तीन वर्ष हो गये। सरकार की गाड़ी इतनी धीरे-धीरे चलने का क्या कारण है और यह नया आदेश कब भेजा गया और सवा तीन वर्ष बाद क्यों भेजा गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, ये चुनाव हुए। वहां जो और दूसरे वर्ग थे उनमें कुछ असन्तोष व्याप्त हुआ। उन्होंने अपनी मांगें वहां निदेशालय के सामने रखीं और अभी विचार हो रहा था कि वे हाई कोर्ट चले गये और उसमें यह काम रुका रहा, इसलिये देरी हुई।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया उत्तर स्पष्ट करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री दोहरा दें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो चुनाव हुए उसके विपरीत वहां सामान्य संवर्ग के लिपिकों ने असन्तोष जाहिर किया और अपनी मांगें रक्खीं। अभी उन पर विचार हो रहा था कि वे हाई कोर्ट चले गये। उन्होंने अपनी याचिका प्रस्तुत कर दी। अब वह याचिका उनकी रद्द हो गई तो यह समय इसलिये लगा। इसलिये देरी हो गई।

श्री धर्मवीर—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के अन्तर्गत सैकड़ों कर्मचारियों को अभी दो-एक महीने हुए छटनी कर दिया गया है ? इसी को आधार मानकर शिक्षा निदेशक नई नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय में उनकी याचिका कब खत्म हुई और किस तारीख को उन्होंने अपने आदेश भेजे ? और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी के क्या माने हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

प्रभारी के माने सेक्शन इंचार्ज हैं।

इसमें तारीख तो नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन जो निदेश भेजे हैं शासन से वह २७ मार्च, १९७१ को भेजे गये हैं और १७ जुलाई, १९७१ को फिर आदेश भेजे हैं कि इनका परिणाम घोषित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री नित्यानन्द स्वामी।

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मैंने स्वामी जी को बुलाया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे .....

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कह दिया कि इसका सम्बन्ध इससे नहीं है। तो यह तो आपका अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिये कोई उत्तर उन्होंने ठीक नहीं दिया तो आप उसके बाद में भी कह सकते हैं। जब स्वामी जी प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्यों आप बीच में बोलकर समय नष्ट करते हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह परीक्षा २९ अप्रैल, १९६८ को हुई। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये लोग हाईकोर्ट कब गए?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न किया था कि अभी दो महीने पहले वहां सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर दी गयी है, तो क्या इसीलिए नियुक्तियां नहीं की गयीं कि उनको और छंटनी करनी है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, वहां के वरिष्ठ कर्मचारियों ने इम्तहान दिया और वह ऐक्टिंग सेक्शन इंचार्ज बनाये गये, यह उत्तर मंत्री जी ने दिया। तो वह कृपया यह बताएं कि परीक्षाफल घोषित होने के लगभग नौ महीने बाद वहां के कर्मचारियों ने रिट किया था तो जो लोग पास हो गए थे नौ महीने तक उनका प्रमोशन क्यों नहीं किया गया?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जिनका चुनाव हुआ था उनके प्रस्ताव को शासन में भी भेजा गया स्वीकृति के लिये। तो ऐसी लिखा-पढ़ी में इतना समय लग जाता है।

ग्राम बसावनपुर, जिला गोरखपुर में प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्माण

*३---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के तहसील बांसगांव के ग्राम, बसावनपुर में प्राइमरी पाठशाला की कोई इमारत न होने के कारण वर्षाकाल में स्कूल बन्द हो जाता है? यदि हां, तो उक्त पाठशाला के लिये कब तक भवन बन जायगा?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी नहीं। वर्षा काल में स्कूल बन्द नहीं होता। प्रश्न नहीं उठता।

श्री सजीवन लाल---

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर सरकारी भवन है जिसमें स्कूल लग रहा है? या व्यक्तिगत भवन है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, हमारे शिव सम्पत्ति शर्मा एक विधायक हैं। उनके दरवाजे पर एक छप्पर है उसमें स्कूल लगता है।

श्री सजीवन लाल---

क्या मंत्री जी बताएंगे कि उस छप्पर के नीचे जहां यह स्कूल लगता है, विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था है या नहीं? और उसमें कितने छात्र बैठते हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री धर्मसिंह---

श्रीमन्, केवल इसी जिले में नहीं बल्कि प्रदेश के और भी बहुत से जिलों में इमारतें नहीं हैं और बच्चे छप्परों और पेड़ों के नीचे बैठते हैं। प्राइमरी एजूकेशन के महत्व की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि इस प्रकार की इमारतें प्रदेश में बनवाई जायं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, यह सही है कि हमारे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा स्थानीय निकायों द्वारा चलायी जाती है और यह सही है कि भवनों की कमी है और कुछ भवनों की दशा भी अच्छी नहीं है। सरकार इस विषय पर जरूर विचार कर रही है कि प्राइमरी शिक्षा का कैसे उत्थान हो।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त---

*४---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[३ रे शुक्रवार के तारांकित प्र० २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पौड़ी में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का निश्चय

*५---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पौड़ी में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिये निश्चय किया गया है? यदि हां, तो १५ मार्च, १९७१ तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)---

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद्, पौड़ी-गढ़वाल से पौड़ी में स्टेडियम बनाने के लिये एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद् को ७ जून, १९७१ को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुडवारा, जिला एटा में सरकारी धन गलत व्यक्ति द्वारा निकाला जाना

*६---श्री श्रीकृष्ण बाजपेई (जिला कानपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरनारायण इन्टर कालेज गंजडुंडवारा, जिला एटा को जो सरकारी धन छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया था उसमें करीब पन्द्रह हजार रुपया किसी गलत व्यक्ति ने प्रधानाचार्य की जगह हस्ताक्षर कर के १९६६-६७ में निकाला है? और छात्रवृति का २,५७६.४४ रुपया तथा छात्र धन का ५,०२४.५५ रुपया और बोर्ड सर्टीफिकेट कोष का २,०७६.०० जो फरवरी, १९६७ की रोकड़ बहियों में नकद रोकड़ बाकी के रूप में जमा था नये प्रधानाचार्य को चार्ज में नहीं दिया गया? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

श्री रामजीलाल सहायक---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

१९६९-७० व १९७०-७१ में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना क्रय तथा पेराई का लक्ष्य

*७---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या सरकार बतायेगी कि १९६९-७० में प्रदेश की चीनी मिलों ने कितना गन्ना खरीदा और १९७०-७१ में कितना गन्ना पेरने का लक्ष्य है? और उसमें से १५ अप्रैल, १९७१ तक कितना पेरा जा चुका है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

१९६९-७० सीजन में प्रदेश की चीनी मिलों ने कुल १८१.८ लाख टन गन्ना क्रय किया था। १९७०-७१ सीजन में गन्ना पेराई हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। १५-४-१९७१ तक प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा १२३.५ लाख टन गन्ना पेरा गया।

बलिया में महाबीरी झण्डे के जलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की जांच

*८---श्री शंभूनाथ चौधरी---

दिनांक १२ मार्च, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार ८ अगस्त, १९६८ को बलिया में महाबीरी झण्डे के जलूस के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना की, श्री तुलसीलाल की सम्पूर्ण जांच रपट, सदन के पटल पर रखेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जैसा कि उल्लिखित प्रश्न सं० ६७ के उत्तर में सूचना दी गई थी श्री मुसद्दी लाल द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष इस प्रकार थे :---

(१) स्थानीय प्रशासन द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए समुचित आवश्यक व्यवस्था की गई थी, तथा

(२) स्थिति पर काबू पाने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया और लाठी चार्ज व गोली चलाने की कार्यवाही तत्कालीन परिस्थितियों में न्यायोचित थी।

पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा।

*९--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त काण्ड के सम्बन्ध में बलिया के कतिपय सम्भ्रान्त व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा फौजदारी चल रहा है ? यदि हां, तो कब से और किस-किस पर ? क्या सरकार इस मुकदमे को वापस करने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उक्त कांड के संबंध में बलिया के २७ व्यक्तियों पर धारा १४५/१४७/३३२/३२३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा २४-१२-१९६८ से चल रहा है। अभियुक्तों की सूची संलग्न है।

उक्त मुकदमें के वापिस लिये जाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११२६ पर)

ग्राम गालमपुर, जिला जालौन में व्यक्तियों का अपहरण तथा पुलिस की असमर्थता

*१०---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि ग्राम गालमपुर, थाना रेढर, जिला जालौन (उरई) से अप्रैल, १९७१ के दूसरे सप्ताह में एक सशस्त्र गिरोह तीन व्यक्तियों का अपहरण कर ले गया जिनका पता लगाने में पुलिस असमर्थ रही जिससे उस क्षेत्र की जनता भयभीत एवं असुरक्षा की स्थिति में है और क्या यह सही है कि मई, १९७० में भी इसी थाने से दो व्यक्तियों का अपहरण हुआ था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अप्रैल, १९७१ के दूसरे सप्ताह में थाना रेढर, जिला जालौन के अन्तर्गत किसी ग्राम में अपहरण की घटना होने की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई।

मई, १९७० में थाना रेढर के अन्तर्गत पांच व्यक्तियों के अपहरण की एक घटना हुई थी।

जिला बांदा में कत्ल

*११---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मुख्य मन्त्री की यह जानकारी है कि जिला बांदा में एक जनवरी, १९७१ से १५ अप्रैल, १९७१ तक २७ कत्ल हो चुके हैं और जिले में विशेष असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है ? यह स्थिति विशेष कर थाना बिसंड एवं बबेरू में है ? यदि हां, तो तुरन्त मुख्य मन्त्री क्या उपाय कर रहे हैं जिससे शासन एवं कानून की व्यवस्था बनी रहे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार बांदा जिले में १-१-१९७१ से १५-४-१९७१ तक ३८ हत्या के अभियोग दर्ज किये गये हैं। जिले में अथवा थाना बिसंडा व बबेरू में असुरक्षा की कोई स्थिति मालूम नहीं होती है। अपराधों के नियन्त्रण हेतु जिले में जाब्ता फौजदारी की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत का वाही की जाती रही है।

ए० वी० डिग्री कालेज तथा इन्टर कालेज के अनुपालन अनुदान का निलम्बन

*१२--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की बैठक दिनांक १६ दिसम्बर, १९७० ई० का नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के रूप में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन अनियमितताओं के कारण विद्यालय का अनुपालन अनुदान निलम्बित किया गया है, ये अनियमितता किस प्रकार की थी और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३--श्री इन्द्रलाल--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६८-६९ में जब इस विद्यालय के एकाउन्ट्स का विशेष आडिट हुआ तो कितनी धनराशि के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया और इसके जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रतापगढ़ में उद्योग धन्धे लगाने पर विचार

*१४--श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ उद्योग धंधों में राज्य में सब से पिछड़ा जिला है ? यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में सरकार कौन से उद्योग धन्धे खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

शासन को यह मालूम है कि उद्योग धन्धों में प्रतापगढ़ जनपद एक काफी पिछड़ा हुआ जनपद है। सरकार प्रतापगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग धन्धे लगाने पर विचार नहीं कर रही है। निजी क्षेत्र के उद्योग, उद्योगपतियों के चलाने पर निर्भर रहते हैं तथा इनके लिये शासन आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य वांछित सहायता उपलब्ध कराता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में प्रवेश में तथा इस प्रकार के पिछड़े स्थानों में उद्योग लग सकें।

प्रतापगढ़ में ट्रेक्टर का कारखाना खोलने की योजना

*१५--श्री जयराम यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ में ट्रेक्टर का कारखान खोलने जा रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतापगढ़ में कोई ट्रैक्टर कारखाना नहीं खोल रही है। हां, प्राइवेट क्षेत्र में मेसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इन्डिया लिमिटेड ने भारत सरकार से ट्रैक्टर का कारखाना लगाने हेतु आशय-पत्र प्राप्त किया है।

झींझक कस्बा, जिला कानपुर में उद्योग विभाग द्वारा वितरित धन का विवरण

*१६—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर के झींझक कस्बे में पिछले पांच वर्षों से अब तक किन-किन व्यक्तियों को विभाग द्वारा किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना धन दिया गया है ? और उनमें से कौन-कौन कार्य चल रहे हैं तथा किस पर कितना बकाया है ? बकाया वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

कानपुर जिले में झींझक कस्बे में पिछले पांच वर्षों में १९६६–६७ से १९७०–७१ तक कुल तीन इकाइयों को औद्योगिक ऋण दिये गये जिनके नाम हैं :—

क—श्री आदर्श चर्मकला उद्योग समिति। इस को १९६६–६७ में चार हजार रुपये जूते बनाने के लिये दिये गये।

ख—श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ला को १९६७–६८ में १५ सौ रुपये ऋण साबुन उद्योग के लिये दिये गये।

ग—श्री गोपाल चन्द्र वर्मा को १९६८–६९ में ६ हजार रुपये कृषि यंत्र उद्योग के लिये दिये गये।

२—उपरोक्त तीनों इकाइयों में से किसी का भी काम नहीं चल रहा है।

३—सहकारी समिति पर ४,९५२.६२ रु० बाकी है जिसकी वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र ८–१–७१ को जारी किया जा चुका है। श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ला पर १,६६५ रु० बकाया है जिसका वसूली प्रमाण-पत्र ४–२–७० को जारी हो चुका है। श्री गोपाल चन्द्र वर्मा पर ४,४१०.२६ रु० बकाया है। इनके विरुद्ध भी एक मुश्त वसूली का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

आजमगढ़ जिले के डिग्री कालेजों के अध्यापकों का वेतन वितरण

*१७—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में डिग्री कालेजों के अध्यापकों का वेतन जनवरी, १९७१ से मई तक का नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार वेतन शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

ऐसा कोई डिग्री कालेज नहीं है जिसके अध्यापकों को जनवरी, १९७१ से मई तक का वेतन न भुगतान किया गया हो। एक कालेज के अध्यापकों को माह अप्रैल तथा मई का वेतन नहीं मिला है तथा तीन कालेजों के अध्यापकों को केवल मई का वेतन नहीं मिला है।

वेतन भगतान हेतु प्रयत्न किया जा रहा है।

राजकीय बालिका विद्यालय, आजमगढ की प्रधानाचार्या का स्थानान्तरण तथा भ्रष्टाचार्य की शिकायत

*१८—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राजकीय बालिका विद्यालय, आजमगढ़ की प्रधानाचार्या ४।। वर्ष से एक ही जगह पर कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका तुरन्त स्थानान्तरण करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। प्रशासकीय दृष्टि से इनका तुरन्त स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं है।

*१९—श्री दलसिंगार यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बालिका विद्यालय, आजमगढ़ की प्रधानाचार्या के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो सरकार ने उसकी जांच करायी है ? क्या उसकी एक प्रति सदन के पटल पर सरकार ,रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। आख्या बहुत विस्तृत है, अतः उसे सदन के पटल पर रखना सम्भव न होगा। माननीय सदस्य उसे मेरे कमरे में देख सकते हैं।

*२०—श्री भगवती सिंह विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

आवर्तक अनुदान की सूची में हाई स्कूलों को सम्मिलित न किया जाना

*२१—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में कुछ ऐसे हाई स्कूल हैं जिन्हें १९६५ में मान्यता प्राप्त हो चुकी है किन्तु अब तक वह सरकारी आवर्तक अनुदान की सूची में सम्मिलित नहीं हुये और सन् १९६६ या उसके पश्चात् मान्यता प्राप्त करने वाले बहुत से हाई स्कूल आवर्तक अनुदान प्राप्त कर चुके हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां। कुछ ऐसे हाई स्कूल हैं जिन्हें १९६५ में मान्यता प्राप्त हुई किन्तु निम्नलिखित कारणों से उन्हें आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित करना सम्भव न हो सका :—

(१) आवेदन-पत्र प्रेषित न करना।

(२) शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करना।

*२२—श्री महरम सिंह—

[३रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित—]

उन्नाव में औद्योगिक विकास के लिये मास्टर प्लान

*२३—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव नजपद के औद्योगिक विकास के लिये जिले से कोई मास्टर प्लान सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है या नहीं ? और उसमें कौन-कौन सी योजनायें रक्खी गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसा कोई मास्टर प्लान सरकार के विचाराधीन नहीं है।

थानाध्यक्ष, अतरौली के कार्यकाल में हुई चोरी, डकैती तथा हत्या की घटनाएं

*२४—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अलीगढ़ के थाना अतरौली के वर्तमान थानाध्यक्ष ने उक्त थाने का कार्यभार किस तिथि को सम्भाला है और तब से दिनांक २५ अप्रैल, १९७१ तक उक्त थाने के क्षेत्र में किस-किस ग्राम में किस-किस के यहां डकैती पड़ी, चोरियां और हत्यायें हुई ? उपरोक्त में से किस-किस मामले की रिपोर्ट थाने में लिखाई गई और अब तक किस-किस केस का चालान किया गया, किस-किस केस में अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला अलीगढ़ के थाना अतरौली के वर्तमान थानाध्यक्ष ने अतरौली थाने का चार्ज दिनांक २-११-७० को ग्रहण किया। २-११-७० से २५-४-७१ तक हुई डकैती, चोरी एवं हत्या के संबंध में वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११२७-११२९ पर।)

फर्रुखाबाद जिला परिषद् के अध्यापकों के वेतन-वृद्धि का एरियर

*२५—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिला परिषद् के अध्यापकों की वेतन वृद्धि आदि का एरियर दो वर्ष से अधिक का बकाया है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों का और क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रान्ट-इन-एड की सूची में चमोली जिले के विद्यालय

*२६—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में जनपद चमोली के कितने विद्यालयों को ग्रान्ट-इन-एड की सूची में लाया गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

एक विद्यालय। पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, सांबरी सैंड, चमोली।

शाहजहांपुर नगरपालिका के जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन-क्रम

*२७—श्री उमा शंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शिक्षा विभाग की राजाज्ञा संख्या (क)१७८२/१५—३०४९-१९६८, दिनांक १५ मार्च, १९६९ के अनुसार जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन-क्रम ८४ रु० से १८० रु० तक है, किन्तु नगरपालिका, शाहजहांपुर अपने जे० टी० सी० अध्यापकों को केवल ८०-१२४ रु० वेतन-क्रम दे रही है ? क्या सरकार उपरोक्त नगरपालिका को आदेश देगी कि वह सरकार द्वारा निर्धारित ८४-१८० रु० वेतन-क्रम अपने जे० टी० सी० अध्यापकों को देगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

राजाज्ञा संख्या क–६८०८/पन्द्रह–३०४९–१९६८, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६९ न कि राजाज्ञा संख्या (क)१७८२/१५–३०४९–१९६८, दिनांक १५ मार्च, १९६९ द्वारा जो जे० टी० सी० अध्यापकों के लिये वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है वह गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्च-त्तर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये हैं। अतः उक्त वेतन-क्रम स्थानीय निकायों के जूनियर हाई स्कूल में कार्य करने वाले जे० टी० सी० अध्यापकों पर लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती जावित्री देवी, जिला मेरठ, के घर डकैती

*२८—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक ८ नवम्बर, १९७० को थाना बहादुरगढ़, जिला मेरठ में श्रीमती जावित्री देवी, पत्नी ब्रजलाल शर्मा, निवासी ब्रजघाट, थाना बहादुरगढ़, जिला मेरठ ने एक नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी है कि उसके घर में ७/८ नवम्बर, १९७० को डकैती पड़ी है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापपति त्रिपाठी—

जी हां। प्रार्थिनी की रिपोर्ट पर धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुक-दमा कायम हुआ और विवेचना की गई और इसके उपरान्त मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

*२९—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

स्थानीय निकायों के अध्यापकों के वेतन वितरण का क्रम

*३०—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इला-हाबाद के पत्र संख्या १७४३८/५००/१४–६–(८३), दिनांक ३० मार्च, १९७१ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश प्रेषित किये गये हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन वितरण का क्रम पूर्ववत् ही रहेगा और संस्थाओं के प्रबन्धाधि-करण को उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, १९७१ की धारा ५ (१) के अन्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में सहखाता खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

*३१—क्या सरकार अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के उपरोक्त पत्र के निर्देश को निरस्त करके स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को बैंक द्वारा वेतन प्रदान करने की प्रणाली लागू करने हेतु उक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरण को अनुसूचित बैंक में खाता खोलने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि हां, तो अनुमति कब तक दे दी जायेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३२—श्री उमाशंकर शुक्ल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*३३—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[४थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलों का निर्माण-कार्य

*३४—श्री शेर सिंह दानू—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वि० से थराली के भौरीगाड़ तथा कैल नदी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने वाले पुलों का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से बन्द क्यों है? कब तक उक्त दो पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली में भौरीगाड़ तथा कैल नदी पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे पुलों का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से इसलिये बन्द है क्योंकि इन पुलों का पुल डिजाइन त्रुटिपूर्ण पाया गया जिसके कारण इनका दृढ़ीकरण करना आवश्यक हो गया है। आशा की जाती है कि इन पुलों का निर्माण कार्य जून, १९७२ तक पूर्ण हो जायेगा। यह विलम्ब मुख्यतः स्टील की कमी के कारण हो रहा है। अन्यथा इन पुलों के इसी वर्ष के अन्त तक पूरा होने की आशा थी।

चमोली के परिषदीय पैदल मार्ग की मरम्मत

*३५—श्री शेरसिंह दानू—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के परिषदीय पैदल मार्ग नारायणबड़-पचायता कोठली की मरम्मत कब से और क्यों नहीं हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद चमोली के परिषदीय पैदल मार्ग नारायणबगड़-पचायता-कोठली की मरम्मत वर्ष १९६७-६८ से नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि परिषद् में तकनीकी कर्मचारियों की कमी रही है।

*३६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*३७—श्री हरिवंश सहाय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

राजकीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*३८—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने एक अर्ध-शासकीय पत्र संख्या १९८४/२-क-१९७०, दिनांक २६ फरवरी, १९७० को राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त अधीनस्थ विभागों के विभागाध्यक्षों को लिखा था? यदि हां, तो पत्र में राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण के विषय में क्या हिदायतें थीं और क्या सरकार को इसके पालन न किये जाने की भी शिकायतें मिली हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, इस विषय में एक पत्र २३ फरवरी, १९७० को जारी किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि शासन की सामान्य नीति के अनुसार यथा सम्भव, निम्न श्रेणी वाले

सरकारी कर्मचारियों को जिले या डिवीजन के बाहर न भेजा जाय तथा राजपत्रित कर्मचारियों को तीन वर्ष के पहले दूसरी जगह स्थानान्तरण न किया जाय। न निर्देशों के पालन न किये जाने के विषय में शासन के नियुक्ति विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अन्य विभागों से इस अल्प समय में जानकारी करना सम्भव नहीं था।

मुरादबाद में उद्योग विभाग द्वारा कर्ज वितरण

*३९—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में १ जनवरी, १९६८ से ३१ मार्च, १९७१ तक उद्योगों के लिये कितने लोगों को कितना धन किस-किस उद्योग के लिये कर्ज दिया गया ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर में डेरापुर-मंगलपुर और रसूलाबाद थानों के अन्तर्गत अपराधों की घटनाएं

*४०—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या गृह मन्त्री बतावेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर-मंगलपुर और रसूलाबाद थानों के अन्तर्गत १ जनवरी, १९७० से १ अप्रैल, १९७१ तक अलग-अलग कितनी डकैतियां पड़ीं और कितने बल्वे हुए ? तथा कितनी चोरियां हुई हैं और कितने कत्ल ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११३० पर।)

*४१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह सही है कि उपरोक्त पुलिस थानों के अन्तर्गत अपराधों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो उनके रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना मंगलपुर और रसूलाबाद के अन्तर्गत कुछ अपराधों में साधारण वृद्धि हुई है। अपराधों के रोकथाम के लिये गश्त लगवाये जाते हैं तथा हवालात द्वारा अपराधियों के गतिविधियों पर नियन्त्रण रखा जाता है। अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने के लिये थानाध्यक्षों को आवश्यक आदेश दिये गये हैं।

कान्सटेबिल पद से डी० वाई० एस० पी० के लिये पदोन्नति

*४२—श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने डी० वाई० एस० पी० हैं, उनमें से कितने कान्स्टेबिल पद से पदोन्नति करके आये हैं उनमें अनुसूचित जाति और सामान्य अलग-अलग कितने हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न का उत्तर देने के लिये आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

स्वदेशी काटन मिल, आजमगढ में श्रमिकों को फैक्टरी ऐक्ट की सुविधायें तथा सेवारत कर्मचारी

*४३—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में फैक्टरी ऐक्ट लागू है ? यदि हां, तो श्रमिक को फैक्टरी ऐक्ट की कौन-कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां, सितम्बर, १९६९ से लागू हैं।

फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधायें श्रमिकों को प्राप्त हैं।

*४४—श्री श्याम लाल—

क्या श्रम मन्त्री यह भी बतलायेंगे कि स्वदेशी काटन मिल मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी सेवारत हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इस संस्थान में कर्मचारियों का इस भांति का कोई वर्गीकरण नहीं है जैसा कि प्रश्न में मांगा गया है।

साहित्य सम्मेलन भवन, जौनपुर को अनुदान

*४५—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे, (जिला जौनपुर) तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर शहर में जो साहित्य सम्मेलन भवन है उसको सन् १९६२ ई० से लेकर अब तक वर्षानुवर्ष राज्य सरकार ने कितना-कितना और कब-कब अनुदान दिया है तथा उसके संचालक मन्डल सदस्यों की सूची देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जौनपुर शहर में साहित्य सम्मेलन भवन नामक की कोई संस्था नहीं है। अतः राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद राजकीय दीक्षा विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा उनका स्थायीकरण

*४६—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के विभिन्न राजकीय दीक्षा विद्यालयों में कुल कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और उनमें से कितने कर्मचारियों को स्थाई घोषित कर दिया गया है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या २९ है जिसमें से स्थायी घोषित किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या १५ है।

*४७—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अस्थाई हैं उनको नौकरी करते हुए प्रत्येक को कितना-कितना समय व्यतीत हो चुका है और अब तक स्थाई घोषित न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

तालिका संलग्न है। स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सका।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११३१ पर)

राजकीय दीक्षा विद्यालय, सीतापुर की अध्यापिकाओं की सेवा पंजिकायें

*४८—श्री रामलाल राही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, सीतापुर की कुछ अध्यापिकाओं की सेवा पंजिकायें गायब हैं अथवा अपूर्ण पड़ी हैं और इसकी वजह से उन्हें नियमित तौर से वेतन भत्ता व अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इस कार्य को पूरा करने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जौनपुर के विभिन्न इंटर कालेजों के अध्यापकों का बकाया वेतन

*४९—श्री राम देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत सार्वजनिक इन्टर कालेज हिन्दू इन्टर कालेज, मुगराबाद शाहपुर तथा राष्ट्रीय इन्टर कालेज, सुजानगंज के अध्यापकों का वेतन १९६० ई० से आज तक कितना बाकी है ? क्या इन अध्यापकों के वेतन के लिये सरकार कोई अनुदान तत्काल देने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकार द्वारा देहरादून से प्रकाशित समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापन

*५०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश सरकार ने पिछले ५ वर्षों में (१ अप्रैल १९६६ से ३१ मार्च, १९७१) किस-किस देहरादून से प्रकाशित होने वाले दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों को कितने-कितने रुपयों के विज्ञापन दिये ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११३२–११३३ पर)

देवरिया में जूपिटर सरकस कम्पनी की लड़कियों के प्रति अभद्र व्यवहार

*५१—श्री राम धारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवरिया में कुछ गुन्डों ने जूपिटर सरकस कम्पनी की कतिपय लड़कियों के साथ अप्रैल, १९७१ में दिन दहाड़े उनके कैम्प में घुसकर अभद्र व्यवहार किया, जिसकी इत्तला पुलिस में दी गई ? यदि हां, तो उक्त अभियोग में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस मामले से सम्बन्धित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

जुपिटर कम्पनी के घोड़ों की चोरी

*५२---श्री रामधारी शास्त्री--

क्या उक्त जुपिटर कम्पनी के घोड़ों की भी चोरी हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस मामले से सम्मन्धित मुकदमा भी न्यायलय में विचाराधीन है।

ग्राम शिवगढ़ जिला प्रतापगढ़ में डकैती

*५३---श्री राम देव--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़, जिलान्तर्गत रानीगंज थाने के शिवगढ़ ग्राम में दिनांक २७ अप्रैल, १९७१ ई० को अमरनाथ पाण्डेय के यहां एक भीषण डकैती पड़ी और डकैतों ने आभूषण, वस्त्र तथा नगद रुपया लूटा तथा लोगों को मारा पीटा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतापगढ़ के अन्तर्गत रानीगंज थाने में दिनांक २९ अप्रैल, १९७१ को ग्राम शिवगढ़, के श्री अमरनाथ पांडेय ने दिनांक २७/२८ अप्रैल, १९७१ की रात्रि में डकैती पड़ने की एक लिखित रिपोर्ट दी। इसमें सोने चांदी के जेवर, कपड़े तथा नकद रुपयों के लूटने का उल्लेख है। डकैतों ने किसी को चोट नहीं पहुंचायी। सात अभियुक्त नामजद किए गए थे। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और विवेचना आरम्भ की गई। विवेचना से मामला फर्जी पाया गया। अतः इसमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

हाईस्कूल व इण्टरमिडिएट परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़े गए विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्ष निरीक्षकों पर प्रहार की घटनाए

*५४---श्री गोविन्द सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं में कितने परीक्षार्थी अनुचित साधन अपनाते हुए पकड़े गये और कितने निरीक्षकों पर हिंसात्मक हमले किये गये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

१९७१ की हाई स्कूल परीक्षा में ४३१६ तथा इन्टर में २८९१ कुल ७२०७ परीक्षार्थी विभिन्न केन्द्रों पर अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़े गये तथा ३९ कक्ष निरीक्षकों पर प्रहार हुए।

*५५-५६---श्री गोविन्द सिंह--

[चौथे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तुलसीपुर शकर मिल, गोण्डा के श्रमिकों की गिरफ्तारी तथा हड़ताल

*५७---श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि दिनांक ५ मई, १९७१ को या आस-पास की तिथियों में जनपद गोण्डा के तुलसीपुर शकर मिल के कुछ श्रमिकों को भा० दं० वि० की धारा ४५७ तथा ३८० के अन्तर्गत स्थानीय थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। दिनांक ५ मई, १९७१ को जनपद गोण्डा के तुलसीपुर थाने की पुलिस ने तुलसीपुर शकर मिल के दो श्रमिकों को धारा ४५७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज एक चोरी के मामले के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया।

*५८—श्री डी० पी० बोरा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस दिवस को रिपोर्ट मिल प्रबन्धकों ने श्रमिकों पर लिखाई थी उस दिन केवल एक को छोड़ कर शेष सभी श्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे थे तथा उक्त आन्दोलन में बराबर पुलिस का पहरा रहता था? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच जिला अधिकारी से कराकर पुलिस अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मिल मालिकों ने १९/२० सितम्बर, १९७० को रात्रि में हुई कथित चोरी की घटना की रिपोर्ट २० सितम्बर, १९७० को लिखाई। रिपोर्ट में नामांकित चार अभियुक्तों में से एक को छोड़कर शेष तीन जो शकर मिल के श्रमिक हैं १९ सितम्बर, १९७० को सुबह से २४ घण्टे की भूख हड़ताल पर बैठे थे किन्तु पुलिस का कोई पहरा भूख हड़तालियों पर नहीं रहा। किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया के कम्पाउन्डर के पुत्र की हत्या

*५९—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के थाना रुद्रपुर में अक्तूबर, १९७० ई० में श्री लक्ष्मी शंकर त्रिपाठी, कम्पाउन्डर जिला परिषद् देवरिया के लड़के की हत्या की कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गई? यदि हां, तो जांच में मूलतः कौन-कौन बातें मिली हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक १४ अक्तूबर ७० को थाना रुद्रपुर, देवरिया में श्री लक्ष्मी शंकर त्रिपाठी, कम्पाउन्डर, जिला परिषद् देवरिया ने अपने लड़के की मृत्यु होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस घटना के सम्बन्ध में थाने पर एक मुकदमा धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया। इसमें अपराध अनुसधान विभाग द्वारा जांच हो रही है। अब तक की जांच से किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।

हरिजनों व आदिवासियों का नौकरियों में कोटा

*६०—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों एवं आदिवासी अभ्यर्थियों को नौकरियों में १८ प्रतिशत का कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक जो आदेश प्रसारित हुए हैं उनके अनुसार अब तक निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो सका है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य की सेवाओं/पदों में १८ प्रतिशत का आरक्षण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये हैं। अनुसूचित जन जातियों के लिये २ प्रतिशत का आरक्षण अप्रैल, १९७० से किया गया है।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का कोटा अधिकतर विभागों में पूरा नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण यह है कि योग्यता के आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थी वांछित संख्या में उपलब्ध नहीं होते। अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण गत वर्ष ही किया गया है। इनका कोटा पूरा करने के लिये आदेश जारी हो चुके हैं?

उर्दू गजट में सचिवालय के विभागों की विज्ञप्तियों का प्रकाशन

*६१—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उर्दू गजट में सचिवालय के समस्त विभागों की विज्ञप्तियां, कानून कायदे आदि छपते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

विभागाध्यक्षों तथा राजस्व परिषदों द्वारा उर्दू में विज्ञप्तियों का प्रकाशन

*६२—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सत्य है कि उर्दू गजट में समस्त विभागाध्यक्षों, राजस्व परिषदों तथा जिलाधिकारियों आदि की वह विज्ञप्तियां, जो हिन्दी गजट में प्रकाशित होती हैं, उर्दू में भी छपती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजस्व परिषद् तथा अधिकांश विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों आदि की विज्ञप्तियां उर्दू में भी छपती हैं। फिर भी इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों आदि का ध्यान पुनः आकर्षित कर दिया गया है ।

जिला सूचना कार्यालयों की पुनः स्थापना

*६३—श्री भानुप्रताप सिंह—

क्या सरकार जिला स्तर पर जिला सूचना कार्यालयों को पुनः स्थापित कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*६४–६५—श्री दलसिंगार यादव—

[६ठे गुरुवार के प्रश्न संख्या १४–१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की चीनी मिलों पर किसान तथा सरकार के टैक्स का बकाया तथा राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही

*६६—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक १ मई, १९७१ तक कितना-कितना रुपया किसान के गन्ने का और सरकार के टैक्स का बकाया है और उसे वसूल करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश की चीनी मिलों के विरुद्ध दिनांक १–५–१९७१ को सीजन १९७०–७१ का तथा उससे पूर्व सीजनों का क्रमशः रु० १९७५.४१ लाख तथा रु० २८७.९७ लाख किसानों के गन्ना

मूल्य बकाया की ओर अवशेष था। सरकार के टैक्स का बकाया उक्त तिथि को निम्न प्रकार था :—

		लाख रुपयों में
(१) गन्ना उपकर (सेस) पुराने सीजनों का	..	९१.६८
(२) क्रय-कर १९६९–७० से पूर्व सीजनों का	..	२६०.२१
(३) क्रय-कर १९६९–७० सीजन का	..	२२५.५५
(४) क्रय-कर १९७०–७१ (वर्तमान) सीजन का	..	१२९.७०
योग	..	७०७.१४

गन्ना मूल्य बकाया तथा उपकर-क्रयकर बकाया की वसूली के लिये की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार है:—

(१) ४७ चीनी मिलों के विरुद्ध दिनांक ३०–६–७१ तक बकाया की स्थिति पर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(२) बुलन्दशहर, अमरोहा, बुढ़वल, बाराबंकी, भटनी, रामकोला (बेतान) डोईवाला एवं खड्डा चीनी मिलें रिसीवर के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं।

(३) सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित चीनी मिलों की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है।

(१) बुलन्दशहर, (२) बुढ़वल, (३) बाराबंकी, (४) भटनी, (५) रामकोला (के) (६) एवं अमरोहा।

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध उक्त मिलों ने विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं।

(४) बकाया गन्ना मूल्य आदि के भुगतान न करने के कारण एक चीनी मिल मालिक को राजस्व नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

(५) जिलाधिकारियों ने चीनी के बोरों, उन पर "मार्जिन" धनराशि अन्य सम्पत्ति कर कुर्की, जैसा आवश्यक हो, कर रखी है।

प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने के लिये सरकार वचनबद्ध है। इस नीति को कब और किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय, यह प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया

*६७—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना-कितना १९६९–७०, १९७०–७१ के गन्ने का दाम बाकी है? किसानों को गन्ने का दाम के दिलाने लिये सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही किन-किन चीनी मिलों के विरुद्ध कब-कब की गई है, पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का गन्ने के मूल्य के रुप में जो धन सीजन १९६९–७० व सीजन १९७०–७१ का दिनांक ३०–६–७१ तक बकाया था उसका विवरण मिलवार संलग्न तालिका 'ख' में दर्शाया गया है। किसानों के गन्ना मूल्य बकाया को वसूल करवाने हेतु बकायादार चीनी मिलों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का पूरा विवरण तथा वर्तमान स्थिति संलग्न तालिका 'क' में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११३४–११३९ पर।)

गोन्डा जिले की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*६८—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में बलरामपुर, बभनान, तुलसीपुर, व नबावगंज चीनी मिलों में किसानों का कुल कितना धन सन् १९६९–७० व १९७०–७१ में बकाया था व है? क्या सरकार उपरोक्त चीनी मिलों से ३० जून, सन् १९७१ तक पूरा भुगतान बकाया का करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद गोण्डा की चीनी मिलों (बलरामपुर, बभनान, तुलसीपुर व नबावगंज) पर किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया सीजन १९६९–७० व १९७०–७१ में ३०–६–७१ तक निम्न प्रकार था:—

नाम चीनी मिल	(लाख रु० में) सीजन १९६९–७०	सीजन १९७०–७१
१—नबावगंज	७.१०	२१.७८
२—बलरामपुर	—	६.३२
३—तुलसीपुर	—	१०.०४
४—बभनान	०.०४	३७.९७
योग	७.१४	७६.११

२—गन्ना मूल्य के बकाया की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र उपरोक्त प्रत्येक मिल के विरुद्ध जारी कर दिये गये हैं और उनकी शीघ्र वसूली हेतु सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है।

बभनान, बलरामपुर, तुलसीपुर, जरवल रोड तथा नवाबगंज चीनी मिलों पर किसानों के बकाये पर ब्याज

*६९—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बभनान, बलरामपुर तुलसीपुर, जरवलरोड तथा नबावगंज चीनी मिलों पर किसानों का कितना रुपया बकाया है? क्या सरकार किसानों के उस बकाये रुपये पर मिल मालिकों से ब्याज भी दिलवाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित (बभनान, बलरामपुर, तुलसीपुर, जरवल रोड तथा नबावगंज) चीनी मिलों पर ३०-६-७१ तक किसानों का पुराना (१९७०-७१ से पूर्व सीजनों का) तथा सीजन १९७०-७१ का कुल गन्ना मूल्य बकाया रु० १३०.३१ लाख था। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (३) के अन्तर्गत गन्ना क्रय की तिथि से १५ दिन से अधिक समय तक गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर ७-१/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होता है।

सचिवायल में अवर वर्ग तथा टंकक की संख्या तथा उनका स्थायीकरण

*७०—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सचिवालय में कितने अस्थाई अवर वर्ग सहायक तथा टं क काम कर रहे हैं जिनकी सेवा दस वर्ष की हो चुकी किन्तु जो अभी अस्थायी हैं? इनके स्थायीकरण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में ३५० अवर वर्ग सहायक और ३८ टंकक ऐसे हैं जिनकी सेवा १० वर्ष या उससे अधिक है और वे अभी अस्थायी हैं। ३५० अवर वर्ग सहायकों में से २२० अनुमोदित सहायकों को लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष १९७० में अवर वर्ग सहायकों के पदों के लिये ली गयी परीक्षा में वैभागिक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों पर स्थायी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शेष अस्थायी अवर वर्ग सहायकों के स्थायीकरण हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा एक विशेष अर्हकारी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

३८ अस्थायी टंककों में से ९ को शीघ्र स्थायी किया जायगा। शेष अस्थायी टंककों का स्थायीकरण भविष्य में होने वाली स्थायी रिक्तियों में किया जायगा।

आगरा में भारी उद्योग की योजना

*७१—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में भारी उद्योग स्थापित करने की सरकारी योजना है? यदि हां, तो यह कारखाना कब तक खुलेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आगरा में भारी उद्योग स्थापित करने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

श्री बालू हरिजन, जिला मेरठ का उसकी पुत्री की बेइज्जती से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

*७२—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का २० जून, १९७० तक पत्र तथा उससे संलग्न श्री बालू हरिजन, निवासी ग्राम हिसावदा, थाना पिलाना, जिला मेरठ का प्रार्थना-पत्र जिसमें कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री की बेईज्जती करने की शिकायत की गई है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नकर्त्ता का २० जून, १९७०, का तो नहीं, वरन् २७ जून, १९७० का पत्र जिसके साथ श्री बालू हरिजन, निवासी ग्राम हिसावदा, जिला मेरठ का प्रार्थना-पत्र मिला था जिसमें कुछ लोगों के विरुद्ध उसके घर में घुस कर उसकी पुत्री की बेईज्जती करने की शिकायत की गई थी।

उसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि श्री बालू हरिजन की रिपोर्ट के आधार पर थाने में दिनांक २७-५-७० को धारा ३५४ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा अंकित हुआ और विवेचना आरम्भ की गई। विवेचना से मामला झूठा पाया गया और उसमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

खेतिहर श्रमिकों के वेतन में वृद्धि

*७३—श्री महीलाल तथा श्री रामप्यारे—

क्या मख्य मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान शासन खेतिहर श्रमिकों के न्यूनतम वेतनों म और वृद्धि करने का विचार कर रहा है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी हां। मजदूरी की वर्तमान न्यूनतम दरें निम्न प्रकार हैं—

(१) प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए	रु० १.५० से १.६२ प्रति दिन
(२) मध्य बुन्देलखंड के लिए	रु० १.५६ से १.६८ प्रतिदिन
(३) पश्चिमी जिलों के लिए	१.६८ से १.८० प्रतिदिन
(४) पर्वतीय जिलों के लिए	रु० १.६८ से १.८० प्रतिदिन

उपरोक्त दरों को बढ़ाने का विचार शासन कर रहा है।

गन्ना मिल किछा का चालू किया जाना

*७४—श्री महीलाल तथा श्री राम प्यारे—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना मिल किछा, जोकि शासन ने ले ली है, आगामी १९७१-७२ के सीजन तक चल सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। मिल की प्लांट और मशीनरी, जो बिलकुल अपूर्ण है, की पूर्ति करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें कुछ समय लगना अनिवार्य है। सरकार का लक्ष्य मिल को १९७२-७३ सीजन में चलवाने का है।

प्रदेश के चीनी मिलों पर १९६९ से १९७१ तक काश्तकारों का बकाया

*७५—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की समस्त चीनी मिलों पर गन्ना काश्तकारों का वर्ष १९६४-६५ से वर्ष १९७०-७१ तक कुल कितना रुपया बकाया है तथा बकाया का भुगतान कराने के लिए क्या उपाय कर रही है? और कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश की समस्त चीनी मिलों पर गन्ना काश्तकारों का वर्ष १९६४-६५ से वर्ष १९७०-७१ तक ३० जून, १९७१ को रु० १,६२०.९९ लाख गन्ना मूल्य की ओर बकाया था। गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कराने हेतु की गई कार्यवाही निम्न प्रकर है—

(१) ४७ चीनी मिलों के विरुद्ध दिनांक ३० जून, १९७१ तक बकाया की स्थिति पर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(२) बुलन्दशहर, अमरोहा, बुढ़वल-बाराबंकी, भटनी, रामकोला (खेतान), डोईवाला एवं खड्डा चीनी मिलें रिसीवर के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

(३) संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित चीनी मिलों की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है--

१--बुलन्दशहर, २--बुढ़वल, ३--बाराबंकी, ४--भटनी, ५--रामकोला (के) एवं, ६--अमरोहा ।

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध उक्त मिलों ने विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं ।

(४) बकाया गन्ना मूल्य आदि के भुगतान न करने के कारण एक चीनी मिल-मालिक को राजस्व नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

(५) जिलाधिकारियों ने चीनी के बोरों, उन पर "मार्जिन" धनराशि और अन्य संपत्ति की, कुर्की, जसा आवश्यक हो, कर रखी है ।

उपरोक्त बकाया की धनराशि को पूर्ण रूप से भुगतान कराने के लिए कोई समय निश्चित करना संभव नहीं है ।

थाना उतरौला तथा तुलसीपुर, जिला गोण्डा दस्तदाजी (पुलिस) रिपोर्ट

*७६--श्री सूरज लाल गुप्ता--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के थाना उतरौला तथा थाना तुलसीपुर में १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७१ तक कितनी रिपोर्ट दस्तदाजी (पुलिस) की दर्ज की गई तथा उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वांछित सूचना तालिका 'अ' में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११४० पर)

थाना उतरोला तथा तुलसीपुर जिला गोन्डा में चोरी, डकैती, कत्ल तथा आग लगाने की घटनायें

*७७--श्री सूरजलाल गुप्त--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जनपद गोंडा के थाना उतरौला तथा तुलसीपुर में १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७१ तक कुल कितनी घटनाएं क्रमशः चोरी, डकैती, कत्ल तथा आतिशजनी की घटित हुई हैं और इन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वांछित सूचना संलग्न तालिका 'ब' में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११४० पर)

*७८--श्री सजीवन लाल--

[५वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चीनी मिलों पर बकाया धन तथा वसूली की कार्यवाही

*७९--श्री अनन्त राम जायसवाल, श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश की चीनी मिलों पर अलग-अलग किसानों के गन्ने के मूल्य का ब्याज सहित गन्ना कमीशन व केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के टैक्स का कितना-कितना रुपया ३० जून, १९७१ को बाकी था और उसकी वसूली के लिए अलग-अलग मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्रदेश की चीनी मिलों पर अलग-अलग ३० जून, १९७१ तक की बकाया की स्थिति के आधार पर किसानों के गन्ने के मूल्य का ब्याज सहित बकाया तथा गन्ना कमीशन का बकाया एवं प्रदेशीय सरकार के टैक्स (गन्ना उपकर) क्रय-कर संलग्न तालिका 'अ' व 'ब' में दर्शाया गया है। उक्त तिथि तक बकाया की स्थिति पर वसूली हेतु अलग-अलग मिलों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्योरा संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है।

केंद्रीय सरकार के टैक्स के बकाया की ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे ११४१–११४८ पृष्ठ पर।)

बाम्बे इन्टरग्रेड ड्राइंग की योग्यता के लिये मान्यता

*८०---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि इस प्रदेश में सरकार ने बाम्बे इन्टर ग्रेड ड्राइंग की योग्यता को विद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए मान्यता दी है अथवा नहीं? यदि हां, तो बाम्ब प्रान्त का पुनर्गठन होने के बाद बाम्बे इन्टर ग्रेड ड्राइंग की जगह पर महाराष्ट्र इन्टरग्रेड ड्राइंग हो जाने के बाद महाराष्ट्रइन्टर ग्रेड ड्राइंग को अब तक सरकार ने मान्यता क्यों नहीं दी?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

बम्बई की इन्टरग्रेड ड्राइंड परीक्षा को मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त है। महाराष्ट्र राज्य ड्राइंग ग्रेड परीक्षा भी इस परीक्षा के समकक्ष मानी जाती है।

पिथौरागढ़ डिग्री कालेज में एम० ए० की कक्षाओं का खुलना

*८१---श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)---

क्या सरकार यह बताएगी कि पिथौरागढ़ डिग्री कालेज में जुलाई १९७१ से एम० ए० की कक्षाएं खोली जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां।

चरित्र पंजिका में अनुसूचित जातियों की सेवाओं में आरक्षण के कोटे का उल्लेख

*८२---श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा परिपत्र प्रसारित हुआ है जिसके अनुसार नियुक्ति अधिकारियों (जिलाधिकारी तक) की चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि देते समय अनुसूचित जातियों की सेवाओं में आरक्षण के कोटे के पूरा करने का उल्लेख किया जाता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां।

अतारांकित प्रश्न

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, कार्यालय में विगत चार वर्षों में बचत

१---श्री राम गोपाल संड---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टर उत्तर प्रदेश के कार्यालय इलाहाबाद में १९६७–६८, १९६८–६९, १९६९–७० में सरकार को कितनी बचत हुई? सरकार को १९७०–७१ में कितनी बचत का अनुमान है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय के लिए विगत ४ वर्षों में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि में प्रत्येक वर्ष बचत की धनराशि निम्नवत् है :--

वर्ष	बचत
	रु०
१९६७-६८	१,०१,३४५
१९६८-६९	१,९२,३४४
१९६९-७०	१,४१,०२०
१९७०-७१	८५,४५५

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय में १९६६ तथा १९७१ में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या

२--श्री राम गोपाल सण्ड--

माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रयाग के कार्यालय में १९६६ में कितने तृतीय श्रेणी में कर्मचारी थे तथा ३१ मार्च, १९७१ तक उनकी संख्या कितनी हो गई है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

३१ मार्च, १९६६ तक ३०३ थे और ३१ मार्च, १९७१ को उनकी संख्या ४०७ हो गई है।

नवयुग डिग्री कालेज, राजेन्द्रनगर, लखनऊ के विद्यार्थियों की परीक्षा को प्रमाण-पत्र

३--श्री धर्म वीर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि नवयुग डिग्री कालेज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से सन् १९६८ में जिन विद्यार्थियों ने इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी उनको प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और ये प्रमाण-पत्र कब तक दिए जाएगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इन्टरमीडिएट कक्षाओं के एक सेक्शन पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति पर सरकारी स्वीकृति

४--श्री गोविन्द सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्टरमीडियेट कक्षाओं के लिये, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक सेक्शन पर कितने प्रवक्ताओं की नियुक्ति सरकारी अनुदान के आधार पर, विभाग द्वारा स्वीकृति भेजी जाती है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

गत वित्तीय वर्ष तक प्रत्येक सेक्शन के दूने के बराबर परन्तु प्रधानाचार्य को मिला कर कम से कम पांच अध्यापक अनुदान हेतु मान्य थे किन्तु १ अप्रैल, १९७१ से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट कालेज (अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अध्यादेश, १९७१ लागू हो जाने के फलस्वरूप उन सभी अध्यापकों को वेतन भुगतान हेतु मान्य किया जा रहा है जो मान्यता की शर्तों को पूरी करने हेतु नियुक्त किये गये हैं ?

थाना तुलससीपुर, जिला गोंडा द्वारा न्यायालयों में दायर किये गये अपराधों के मुकदमें

५—श्री डी० पी० बोरा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा के तुलसीपुर थाने द्वारा १ जनवरी, १९६७ से ३० अगस्त, १९६८ तक विभिन्न अपराधों के कुल कितने मुकदमें न्यायलयों में दायर किये गये थे ? उक्त मुकदमों में कितने अभियोगों को सिद्ध करने में पुलिस सफल नहीं हो सकी है और कितने मुकदमें के फैसले अभी नहीं हो पाये हैं और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोंडा जनपद के थाना तुलसीपुर द्वारा १ जनवरी, १९६७से ३० अगस्त, १९६८ तक विभिन्न अपराधों के कुल २८ मुकदमें न्यायलयों में भेजे गये इनमें से ९ मुकदमों में पुलिस अभियोजन सिद्ध करने में सफल हुई ६ मुकदमों में अभी फैसलें नहीं हो पाए, शेष १३ मुकदमें न्यायलय से रिहा हुये ।

थाना तुलसीपुर, गोंडा द्वारा "आवश्यक वस्तु अधिनियम" के अन्तर्गत कायम किये गये मुकदमों पर कार्यवाही

६— श्री डी० पी० बोरा—

क्या ग्रह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर थाने द्वारा १ जनवरी, १९७० से ३१ दिसम्बर, १९७० तक कुल कितने मुकदमें "आवश्यक वस्तु अधिनियम" के अन्तर्गत कायम किए गए हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१ जनवरीं, १९७० से ३१ दिसम्बर, १९७० तक की अवधि में तुलसीपुर थाने पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के अन्तर्गत कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ ।

७—श्री सूरज लाल गुप्त—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सन् १९६७ में इमरजेंसी के अन्तर्गत आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० की नियुक्ति

८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में १९६७ इमरजेन्सी के अन्तर्गत कितने आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस नियुक्त किये गए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आई० एस० एस० में ३० तथा पी० सी० एस० में ३६ नियुक्तियां की गईं ।

बिजली कर्मचारियों की सम्भावित हड़ताल से सम्बन्धित कार्य-स्थगन—प्रस्ताव को पहले विचारार्थ लेने की मांग

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)

बिजली कर्मचारियों के आन्दोलन पर विद्युत मंत्री का वक्तव्य होना चाहिये । श्री पहरौत्रा और श्री चतुर्वेदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

मैं कार्य स्थगन-प्रस्ताव करने की अनुमति चाहता हूं । विद्युत् कर्मचारियों और सरकार के बीच समझौता हुआ था जिसको वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया है और ४०,००० कर्मचारी २४ तारीख से कलम रोको हड़ताल करने जा रहे हैं । ९ अगस्त से वे पूरी हड़ताल करने जा रहे हैं । सरकार ने उनके दो कर्मचारियों को पकड़ लिया है । १७-१-७१ को यह समझौता हुआ था कि सेंट्रल वेजबोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जायेगा, मगर १८ जून को इस सरकार ने एक परिपत्र निकाल कर उस समझौते को तोड़ दिया है । अगर यह स्थिति व्याप्त है तो सारे प्रदेश में अन्धकार छा जायेगा और एक विचित्र स्थिति पैदा हो जायेगी । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर कार्य स्थगन प्रस्ताव रखने की कृपया आप अनुमति दें और इसके लिये आप समय दे दें ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं । मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के राज्य उद्योग मंत्री ने कल श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी, निवासी ग्राम गन्धौर, जिला बिजनौर से कहा कि आप अपना काम कुछ ले दे कर करा लो । श्री त्यागी ने बिजली वगैरह के कनेक्शन के मामले में उनसे प्रार्थना की थी । एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश में पैदा हो चुकी है । मुख्य मंत्री जी उसका नाम लिख लें । वह व्यक्ति यहां पर आया हुआ है और यह कल का वाकया है । जब राज्य उद्योग मंत्री इस प्रकार की सलाह दे सकते हैं तो कैसे इस प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है और कुशल प्रशासन लागू किया जा सकता है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसके साथ मेरा भी प्रश्न जोड़ लें । क्या वर्तमान सरकार की कोई ऐसी नीति है कि मंत्रीगणों के पास कोई आदमी कार्य कराने के लिये आये तो उससे यह कह दिया जाये कि ले दे कर काम करा लो ? इसके प्रमाण में अभी राज्य उद्योग मंत्री की बात भी कही गयी है । तो क्या इस सरकार ने कोई ऐसी नीति अपनायी है ?

(शेम, शेम)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अभी श्री कृष्णानन्द राय जी ने एक प्रश्न उठाया जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है । नियम ५१ के अन्तर्गत दो प्रश्न दे चुका हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय को जो कि कर्मचारियों की मांगों से संबंधित है तकिये के नीचे रख कर सो रहे हैं । सारे प्रदेश के अन्दर इस समय असंतोष व्याप्त है । हजारों कर्मचारी हड़ताल के लिये आ गये हैं और उन्होंने हड़ताल का नोटिस दे दिया है । मैं यह चाहता हूं कि इस विषय को टाला न जाये । सेंट्रल वेज बोर्ड की सिफारिशों को मान कर भी उनको लागू नहीं किया गया और फिटमेंट चार्जेज भी नहीं लागू किये गये । केसा के दो लीडर्स को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया है । इस विषय को बिल्कुल ही किसी और समय के लिये न टाला जाये । नियम ५१ के अन्तर्गत, श्रीमन्, मैं दो प्रश्न दे चुका हूं ।

श्री राम गोपाल संड—

मेरा हायडेल कर्मचारी संघ से घनिष्ट संबंध है । कल कानपुर से एक कर्मचारी आया और मुझे उसने बतलाया कि ट्रेड यूनियन लीडर्स विमल मेहरोत्रा और एम० एम० चतुर्वेदी को पुलिस ने घसीटा है और पुलिस उनको हजरतगंज थाने में ले गई है । मैं और जैसवाल साहब वहां गये और अपने परसनल बांड पर ११ बजे रात उनको छुड़ाया । मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय । कानपुर ही नहीं रिहन्ड, इलाहाबाद आदि में लगभग ५०,००० कर्मचारी

हड़ताल पर जाने वाले हैं । वेजबोर्ड की सिफारिशों को इस सरकार ने नहीं माना है । तो मैं नोटिस देता हूं कि आज सदन का कार्य रोका जाय ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

मैंने भी इस संबंध में कार्य स्थगन--प्रस्ताव दिया है । स्थिति यह है कि हमारे क्षेत्र में ओबरा थर्मल पावर हाउस है । वहां से कार्यवाहक अध्यक्ष आया हुआ है । उसने कहा है कि जो वेतन मंडल की संस्तुति थी उनको स्वीकार नहीं किया गया है और तोड़ा गया है इसलिये वहां के वर्क चार्ज इम्प्लाईज में जो ४०,००० हैं बड़ा असंतोष है । अगर हड़ताल हो गई तो प्रदेश अंधेरे में डूब जायगा तो आज का काम रोक दिया जाय और पहले इस पर विचार किया जाय ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

मैं प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

इतने लोग कार्य-स्थगन पर बोल चुके हैं तो इसका पहले समाधान कर लें तब दूसरे लोग बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मैं कैसे कर सकता हूं, मैं किसी को रोक कैसे सकता हूं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मैंने दिया है और कई सदस्यों ने इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किये हैं । ४०,००० आदमियों का सवाल है और इंडस्ट्री बन्द होने का सवाल है, तो कोई इसका समाधान आप कर लें और हमको अनुमति दें कि इस कार्य स्थगन---प्रस्ताव को प्रस्तुत करें और विवाद के लिये आज शाम या कल जब आप चाहें कर सकते हैं लेकिन इसकी अनुमति आप दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर नियमों की बात कर रहे हों तो नियम में जब आयेगा तभी स्वीकार किया जावेगा लेकिन अभी जैसे कि आप बोल रहे थे वैसे ही दूसरे लोग बोल सकतेहैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, तो नियम ५६ में तो ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जैसे आप समझते हैं कि सवाल उठायेंगे वैसे सभी सदस्य कहेंगे तो कहीं रोक नहीं रहेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

बोलने-बोलने में अन्तर होता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी को मैंने बोलने को कहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर समय से न मिलने पर आपत्ति---(क्रमागत)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मैं प्रश्नों के संबंध में एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी अपनी बात कहना चाहते हैं । प्रश्नों के बाद जो चाहे बोले मैं किसी को नहीं रोकूंगा । इसके लिये कोई रास्ता तो आप निकालेंगे न ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रश्नकर्त्ता कोई समस्या लेकर शासन से जानकारी प्राप्त करना चाहता है । दूसरी बात यह कि संबंधित लोग जो हैं वे प्रश्न करके आपके माध्यम से सामान्य नीति के बारे में कुछ कहना व जानना चाहते हैं । जैसे चीनी मिलों का मसला है, पहला प्रश्न हमारी तरफ से श्री शम्भूनाथ चौधरी ने किया । श्रीमन्, प्रदेश में हमारे देवरिया में १४ चीनी मिलें हैं और उसके बाद गोरखपुर का नम्बर है जिन पर किसानों का लाखों रुपया बकाया है । तो आपकी दृष्टि और विवेक ऐसा तो होना चाहिये कि जो लोग उन समस्याओं से पीड़ित हैं उनको पहले मौका देना चाहिये । यह नहीं कि जो भी खड़ा हो जाय और अपनी बात कहने लगे तो उसी को मौका दे दिया जाय । संबंधित और पीड़ित को मौका दिया जायेगा तो उससे बड़ा लाभ होगा । उसके लिये आप भविष्य के लिये ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे लिये सब एक हैं, किसी में कोई अन्तर नहीं है । प्रश्नों का उत्तर दिलाने का तो मैं प्रयत्न करूंगा लेकिन एक-एक प्रश्न पर १०-१० और १५-१५ सदस्य एक साथ खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगें तो इससे काम का नुकसान तो होगा ही । जहां तक प्रश्नों का संबंध है, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधीकरण का नियम २७ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं ताकि कल को गलती न हो और आगे के लिये सवाल स्थगित न हो । इसलिये मैं इसको पढ़ देता हूं और इसी के अनुरूप कार्य का निर्देशन करूंगा—

"२७—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३२ के उपबन्धों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्यों को उत्तरों के लिये नियत दिन के उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व उपलब्ध करा दी जाय । अतः सरकारी सचिवालय के विभाग प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रतियां उत्तरों के लिये नियत दिन के ४८ घं पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दिया करें ।

इस टे की अवधि में केवल कार्य दिवस (वर्किंग डेज) ही गिने जायेंगे । उदाहरणार्थ जो उत्तर सदन में सोमवार को दिया जाता हो उसकी प्रतियां विधान सभा सचिवालय को पूर्वगामी शुक्रवार को दिन के ११ बजे तक प्रेषित कर दी जायं और १२ बजे के अन्दर वे विधान सभा सचिवालय में अवश्य प्राप्त हो जायं ।"

तो इस अपेक्षणीयता की ओर भी मैं सरकार और सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं (व्यवधान)—

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रवर कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें । अब श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह बोलेंगे ।

बाढ़ पीड़ितों को सड़ा आटा खिलाने के संबंध में शिकायत

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर छितौनी की बात बहुत कही जाती है। मैं आज आपके सामने विखलाना चाहता हूं कि अपने ही लोगों द्वारा वहां के लोगों को खाने के लिये आटा जो दिया जाता है वह कितना सड़ा हुआ है। जब अपने ही लोग वहां रहते हैं और उनके साथ ऐसा सौतेलेपन का व्यवहार हो तो मेरा यहां उनका प्रतिनिधि होना बेकार है। बंगला से देश आये हुए लोगों के लिये तो शिविर बनते हैं और अपने ही इलाके के जो लोग बाढ से बह गये, उनके लिये सरकार की तरफ से कहा तो यह जाता है कि हमने यह इन्तजाम कर दिया है, ऐसा इन्तजाम कर दिया है, लेकिन असलियत क्या है मैं माननीय मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्रीजी से मांग करता हूं कि यह आटा और गेहूं मैं उनके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, वे उन आफिसरों और लेखपालों को दंडित करें जिन्होंने ऐसा सड़ा हुआ आटा वहां के लोगों को खिलाया है। वह इतना भ्रष्टाचार है कि लोग तो बाढ की वजह से मर रहे हैं और उनको सड़ा आटा खिलाया जाता है। छितौनी संबंधी बात तो यहा लोग वर्षों से कहते आये हैं और यहां भाषण देते रहे हैं लेकिन वहां के प्रतिनिधि सिर्फ भाषण करके चले जाते हैं। वहा के एम० एल० भी सरकार में हैं, फिर ऐसा आटा उनके सामने ही उनकी सरकार वहां के लोगों को देती है, यह बड़े अफसोस की बात है, शुक्र है कि मैं उनमें नहीं हूं....

प्रश्नों के सही उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

मैं तेरह बार खड़ा हो चुका हूं। मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप १०० बार खड़े हों। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं तो इतनी शांति से सब को मौका दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप मौका दे रहे हैं, यहां तो अव्यवस्था फैल रही है।

श्री कल्याण सिंह—

मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या ३० और ३१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने प्रश्न संख्या ३०में पूछा था, "क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या १७४३८/५००/१४-६-८३, दिनांक ३० मार्च, १९७१ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश प्रेषित किये गये हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन वितरण का क्रम पूर्ववत ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह क्या उठा रहे हैं?

श्री कल्याण सिंह—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दें ।

श्री कल्याण सिंह—

मैं यह व्यवस्था उठाता हूं कि जिस प्रश्न की सूचना मुख्यालय पर उपलब्ध है और टेलीफोन द्वारा मंगायी जा सकती है और यह प्रश्न मैंने ११ जून को भेजा था और यह आज २२ जुलाई है उस पर इतने दिन बाद यह उत्तर सरकार की ओर से आया है कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है तो इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दें । यह यहां से संबंधित नहीं है । यह जो प्रश्न आप उठा रहे हैं क्या इसका फैसला सदन में किया जाय ?

श्री कल्याण सिंह—

सदन में हमें यह अधिकार है कि हम प्रश्न करें और उसका सही उत्तर हमें मिले । आप कुर्सी पर हैं तो आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं क्या करूं । आप जो सवाल कर रहे हैं उसका उत्तर मैं दूं ?

(व्यवधान)

आप कृपा कर आसन ग्रहण करें । मैं आपको इजाजत नहीं देता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप नाराज न हों । मैं बैठ जाऊंगा ।

बिजली कर्मचारियों की सम्भावित हड़ताल से संबंधित कार्य स्थगन प्रस्ताव को पहले विचारार्थ लेने की मांग (क्रमागत)

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, बिजली कर्मचारियों वाले प्रश्न को ले लें । आप तो स्वयं कर्मचारियों के बड़े हित चिंतक हैं ।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि माननीय कृष्णानन्दराय ने और नित्यानन्द स्वामी ने बिजली कर्मचारियों का प्रश्न उठाया है तो अगर आप नियमों को भी देखें तो भी उसकी स्वीकृति मिलनी चाहिये । अगर विद्युत् कर्मचारियों के साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ और वेज बोर्ड की सिफारिशों को वे मान चुके तब भी उनको लागू नहीं किया जा रहा है । अगर ९ तारीख से हड़ताल हो गयी तो क्या यह सदन चलेगा ? न सदन चलेगा, न यह बत्तियां जलेंगी और न यह पंखे चलेंगे । नियम ५६ देखें तो इसमें कहीं यह नहीं है कि ४ बजे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वीकृति होगी । इसके बाद नियम ६१ को देखें जिसमें यह है प्रस्ताव को लेने का समय । इसमें है यदि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय । अगर अनुज्ञा प्राप्त हो गयी तो उस पर बहस होगी और वह ४ बजे होगी । ऐसे लोक महत्व के प्रश्न ५६-५७ के अन्तर्गत जो आवश्यकतायें हैं यह नियम उनकी पूर्ति करता है । इतना अहम मसला हमारे प्रदेश में है । दो नेता विद्युत् कर्मचारियों के कल गिरफ्तार हुये जिनके बारे में राम गोपाल संड जी ने बतला दिया है । इन्हीं नियमों का हवाला देते हुये आप इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुज्ञा दे दें जिससे सायंकाल ४ बजे उस पर विचार हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह स्थिति ठीक है तो आपने और कार्य मंत्रणा समिति ने सापेक्ष अग्रेता में क्यों परिवर्तन किया? क्योंकि अभी आपने जो नियम ३१५ का जिक्र किया, अगर आप सही हैं, अगर आपकी व्याख्या नियमानुसार है, तो मैं आपको यह बता दूं कि आप जो उसके नीचे सूची दी हुई है उसे ध्यान से देखें । अग्रेता सूची के नं० २८ में यह आता है नियम समिति ने अगर कोई चीज तय की है तो जब तक वह नियम नहीं बन जाता, उसके अनुसार कार्यवाही नहीं हो सकती । तब तक यह ३१५ का २८ लागू होगा ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इसका क्लैरीफिकेशन होना चाहिये । मैं आपके संसदीय विवेक से अपील करना चाहता हूं कि जो सब्सटैंटिव नियम हैं उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । नियम ५६ में एक घंटा पूर्व सूचना देने की बात है । अब अगर आप समझते हैं कि प्रस्ताव लोक महत्व का है तो जब आप निदेश देंगे उस वक्त उसे लिया जा सकता है नियम ६१ के अनुसार । उसके पूर्व नियम ६० के अनुसार यह है कि आप सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थगन पर खड़े होकर सदन के स्थगित करने के प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुज्ञा प्राप्त करेगा । जब इस प्रकार आज्ञा प्राप्त हो जायगी तब चर्चा के लिये आप समय नीयत करेंगे । तो यह सब्सटैंटिव नियम हैं कार्य-स्थगन के संबंध में । इन नियमों में अभी कोई नया संशोधन विधान सभा ने स्वीकार नहीं किया है । नियम समिति में भी यह तय हो गया था सर्वसम्मति से कि नियम ५६ का जो रूप है उसी के अनुसार कार्य स्थगन का प्रस्ताव आना चाहिये । श्रीमन्, फिर आप तो स्वयं सोशलिस्ट विचारधारा के हैं और यह कर्मचारियों का मामला है । हम किसी तरह काम में बाधा नहीं डालना चाहते, किन्तु ९ अगस्त को आम हड़ताल हो रही है, कल दो नेता गिरफ्तार हो चुके हैं । सरकार और उनके बीच एक समझौता हुआ था । इनकी कांफ्रेंस भी हुई थी और १८ जून को एक परिपत्र जारी हुआ था । अब ऐसी सूरत में जब कि सदन की हर पार्टी एक अपील कर चुकी है, इसे आप स्वीकार कर लें और जिस दिन चाहें समय दे दें, यह आपके विवेक पर है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, अभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो चर्चा चल रही है, इस संबंध में मुझे निवेदन करना है कि नियम समिति तो इसलिये बैठती है कि वह विचार करे कि हम अपना कार्य किस प्रकार चलायें, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है जब सदन के सारे नेता भी अपील करते हैं और हाउस चाहता है कि कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव लायें तो आपको उसे ले लेना चाहिये । नियम समिति तो केवल एक काम चलाऊ कमेटी है । लेकिन विशेष परिस्थिति में आप इसे स्वीकार कर सकते हैं जिसकी तरफ सारे लोगों ने इशारा किया है । आप अपने विवेक से इसे स्वीकार करें और इस पर चर्चा करने का अवसर दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस महत्व के विषय पर चर्चा के संबंध में जो विवाद हो रहा है, उससे यह अनुभव होता है कि उसकी भावना ही समाप्त हो जाती है, यदि इस एडजर्नमेंट मोशन को शाम को लेंगे । इसलिये मैं बीच का रास्ता निकालना चाहता हूं क्योंकि यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है और मुख्य मंत्री जी भी ऐसे नहीं हैं जो इतने इम्पारटेंट मसले की उपेक्षा करना चाहें । इसलिये मैं सब सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह अभी इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण कर दें कि उनकी हड़ताल टालने के लिये उनके प्रतिनिधि मंडल से मिलकर जो इस समय इस हेतु यहां आया हुआ है, इस समस्या को हल करने के लिये कोई पग उठा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो दूसरा प्रश्न है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, यह तो आप इसलिए कह रहे हैं कि आप नियम ५६ की टेक्निकलटी में चले गये हैं

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो व्यवस्था का यह प्रश्न उठ रहा है कि इस समय यह लिया जा सकता है या नहीं। इस पर आपको अपनी राय देनी हो तो दें। लेकिन आपने तो बिल्कुल दूसरा प्रश्न उठा दिया है ।

श्री रामगोपाल संड--

मैं आपके द्वारा यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह सदन यहां पर बैठा है, इसको सब प्रकार की सत्ता प्राप्त है । नियम के बावजूद भी सदन किसी विषय को लेने में सक्षम है । नियम भंग किये जा सकते हैं इसलिये आप व्यवस्था दें कि सदन इसको लेने के लिये सक्षम है या नहीं मैं समझता हूं कि आपका उत्तर आयेगा कि इसको तत्काल लिया जा सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर आधे घंटे से दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी के सिलसिले में इस वक्त कार्य-स्थगन लिया जाये या न लिया जाये, विषय पर विवाद हो रहा है । मैं, श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग की मांगों पर विवाद होने वाला है । आज यह प्रदेश बाढ़ और वर्षा से बुरी तरह से तबाह है, गांवों में भुखमरी व्याप्त है, सरकारी अमीन वसूली के लिये किसानों को पकड़ कर तहसील हवालात में बन्द कर देते हैं। तो यहां तो वे बन्द हैं और वहां देहातों में हजारों किसान बन्द हो गये हैं । इसलिये मैं चाहता हूं आप इस महत्वपूर्ण विषय पर अब चर्चा आरम्भ करावें । जिससे हम लोगों को इस पर अपनी बात कहने का अवसर मिले ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से २ व्यवस्था के प्रश्न उठाना चाहता हूं । एक तो श्री कृष्णानन्द राय ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में है । नियम ३१५ इस प्रकार है:- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निदेश के अधीन रहते हुए सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों की, जो नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं, साक्षेप अग्रेता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी । कार्यसूची में सापेक्ष अग्रेता के बारे में यह नियम है जो नियमावली में दिया है । अलग से आपकी कोई व्यवस्था हो जाती है तो उस पर यह लागू नहीं होगा । अर्थात् यदि आप अनुमति दे दें तो सापेक्ष अग्रेता का यह नियम लागू नहीं होगा । इस प्रकार इस नियम से

उठाने के लिये आपकी अनुमति होनी चाहिये । तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह प्रश्न जिस पर सभी दलों के सदस्यों की दिलचस्पी किसी न किसी रूप में है, इस पर यदि आप अनुमति प्रदान कर दें तो, मैं समझता हूं इसमें कोई अनियमितता नहीं होगी, इस नियम के रहते हुए भी । एक तो प्रश्न यह है ।

दूसरा प्रश्न यह है , जिसे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रश्नों के घंटे में आपके मुखारविन्दु से निकला एक वाक्य असंसदीय था । मैं एक बहुत ही माकूल और मुनासिब व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । प्रश्न के उत्तर जो फराहम किये जाते हैं उसको लेकर, वह इतना माकूल था कि श्रीमन् ने तुरन्त कार्यवाही की है, सरकार को आदेश दिये हैं, कि वह ४८ घंटे पहले.....

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न को आप तोड़मरोड़ कर उठा रहे हैं । मैंने प्रश्न उठाने से पहले कार्यवाही कर दी, जो प्रश्न उठा रहे थे उसकी आवश्यकता नहीं थी । आप उसी को दोहरा रहे हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं यह कह रहा हूं कि आप के मुखारविन्द से....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरे बारे में जो वाक्य निकले.....

श्री उपाध्यक्ष--

आपके बारे में नहीं कहा, आपने जो कुछ किया होगा उसके बारे में कहा होगा । मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । बिना इजाजत के कौन व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है ? आप तो लायक हैं, सब नियम, विधान जानते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं नालायक ही सही ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप कह रहे हैं । लेकिन अगर आप हैं तो मुझको बताइये कि किस नियम के अनुसार बिना इजाजत के खड़े होते हैं ?

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का सवाल है । आपके मुखारबिन्द से यह शब्द निकले "अगर आप लायक हैं" । मैं समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य हैं सब लायक हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं देता हूं । आगे चलता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो कहें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह व्यवस्था का प्रश्न है । यह मेरा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा अधिकार है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं....।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं (शोर)। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं ।...मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप खड़े हैं । कृपा करके आसन ग्रहण करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप गुस्सा न करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस तरह से इजाजत नहीं देता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप को चाहिये कि ऐसे लोग जो रुकावट डाल आपके रास्ते में...

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य सूची, संख्या ३ । यह सवाल है कि कार्य-स्थगन का सवाल उठाया जा सकता है, मैं सुनना चाहता हूं । अगर नियम है तो उठाया जा सकता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आप बार-बार असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मान्यवर ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

कार्य-स्थगन के संबंध में निवेदन करना है । जिस नियम ३१५ का हवाला आपने दिया है उसकी शब्दावली की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । श्रीमन्, आप देखें कि नियम में सापेक्ष अग्रेता के संबंध में आपको अधिकार दिया गया है कि अन्यथा विनिश्चय कर दें तो वही विनिश्चय होगा जो आपका होगा । अगर आप अन्यथा विनिश्चय न करें तो यह सापेक्ष अग्रेता जो नियमों में दी है, होगी । मैं उस नियम को सुनाना चाहता हूं--"इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निदेश के अधीन रहते हुये । सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों की, जो नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं, सापेक्ष अग्रेता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी। श्रीमन् इसका मतलब यह है कि आपको इस क्रम में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है । अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली कर्मचारियों की मांगों के संबंध में श्री मेहरोत्रा जो आपके भी मित्र हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, इस संबंध में जो कामरोको प्रस्ताव लाया गया है उसके लिये आप अपने आदेश इसी समय जारी करें। सरकार के लिये इससे अधिक दूसरी शर्म की बात हो नहीं सकती और हमारे अधिकारों की सुरक्षा भी इस प्रकार हो जायगी।

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मैं आपका ध्यान नियम ६१ की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर इस समय आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लेते हैं तो फिर नियम ६१ के कोई मानी नहीं रह जाते हैं । नियम ६१ इस प्रकार है "प्रस्ताव को लेने का समय--यदि ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिये साधारणतया नियत समय से एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाय, उस प्रस्ताव को लिया जायगा।" अब आप कहते हैं कि चार बजे अनुज्ञा देंगे तो फिर उसी समय उस पर बहस नहीं हो सकती । चार बजे दोनों बातें नहीं हो सकती कि आप उस के लिये आज्ञा भी दें और उस पर बहस भी हो जाय । अनुज्ञा पहले होगी और उसके बाद बहस होगी। लिहाजा इसी समय आपको अनुज्ञा देनी चाहिये । ३१५ इसमें बाधक नहीं होगा। अगर नियम ३१५ इसमें बाधक है तो दोनों कांट्रेडिक्टरी हैं । आप इसके लिये अनुज्ञा तो इसी समय दे दें और चार बजे जब एक घंटा समय रह जाय तो आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बहस करा दें ।

श्री कृष्णानन्द राय--

सबकी राय है कि इस पर बहस हो । उधर से जब कोई बात नहीं आ रही है तो नियम यह है कि वह उसे स्वीकार करते हैं । सभी विरोधी दलों की यह अपील है कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की आप इसी समय अनुमति दें और इस संबंध में कल्पनाथ सिंह जी ने सदन में नियम ३१५ भी पढ़कर सुनाया, इस सबको दृष्टि में रखते हुए आप इसी समय इस पर अनुज्ञा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सभी सदस्य मुझसे सहमत होंगे जब एक पक्ष की राय मेरे सामने हो तो जो पीठासीन अधिकारी है उसको निर्णय देने के पूर्व दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिये । (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर मुझे निवेदन करना है कि जिस समय प्रश्नों के बारे में.....

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न पर आपको कुछ कहना है तो कहिये । कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाइयेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरा व्यवस्था का दूसरा प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप सुन लेते । बीच में ही आप कहने लगे । दूसरे आपके सवाल पर खड़े हो जायं और रोष दिखाने लग जायं आप जो व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहते हैं वह सही नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, आप जिस शानदार कुर्सी पर बैठे हुये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

और आप जिस शानदार सदन में बैठे हुये हैं मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, आपने अब हाथ जोड़ लिये इसलिये मैं अब इस विषय को छोड़ रहा हूं और बैठ जाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

बड़ी मेहरबानी आपकी । मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था । उस सैद्धांतिक पुस्तक में कार्य-स्थगन के बारे में दो बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है एक तो वित्तीय विधेयक (मनीबिल) के प्रमाणीकरण और दूसरे कार्य-स्थगन को स्वीकार करना । तो जहां तक कार्य-स्थगन का सवाल है और जहां वित्तीय मामलों के प्रमाणीकरण का मामला है उसमें अध्यक्ष का ही निर्णय होना चाहिये । इस वक्त मैं उपाध्यक्ष यहां पर हूं और अध्यक्ष भी हैं । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो निर्णय हैं वे एक दूसरे से विपरीत और परस्पर विरोधी हैं । इसलिये मर्यादा का यह तकाजा है कि यह जो प्रश्न आपने उठाया है और जो आपने कागज लिखकर दिया है वह माननीय अध्यक्ष को संबोधित करके दिया है । अगर वह यहां पर इस समय बैठे होते तो दूसरी बात थी किन्तु चूंकि वे अकस्मात् अस्वस्थ हो गये....

श्री कृष्णानन्द राय--

मान्यवर, हमारी जो नियमावली है उसमें साफ दिया हुआ है कि जो व्यक्ति उस कुर्सी पर आसीन होगा वह माननीय अध्यक्ष की हैसियत से वहां पर कार्य करेगा और आप तो स्वयं ही उपाध्यक्ष वहां पर इस समय बैठे हैं । दूसरी बात मान्यवर, यह है कि आपने कहा कि हमने माननीय अध्यक्ष को संबोधित करके लिखे हैं तो हम लोग तो कभी माननीय सचिव महोदय करके भी लिखते हैं किन्तु उसकी स्वीकृति तो आप ही देते हैं । मान्यवर, यह तो एक तरीका है । अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप न टालें । आप पूर्णरूप से सर्वशक्तिमान हैं । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मान्यवर, हम यह समझेंगे कि आपने हम लोगों के ऊपर न्याय नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो प्रश्न है वह तो आपने सचिव के मार्फत ही माननीय अध्यक्ष को भेजा है। अध्यक्ष यहां पर इस समय नहीं हैं। दूसरा सवाल यह आता है कि मैं इसके ऊपर अपनी अनुज्ञा दे सकता हूं या नहीं। दे सकता हूं उसे आप छोड़ दीजिये। किन्तु स्थिति को देखते हुए मुझे सोचना पड़ेगा कि इस सदन में जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं उनमें से यह कार्य-स्थगन का जो प्रश्न है वह सर्वाधिक महत्व का है अथवा नहीं.... (व्यवधान)

एक सदस्य--

जी हां, है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपकी राय है किन्तु मेरे विचार से क्या यह प्रश्न छितौनी बांध के टूटने से जितनी जान और धन दोनों की अपार क्षति हुई है, से अधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट है.... (व्यवधान) और मैं समझता हूं कि क्षतिग्रस्तता जो वहां पर हुई है उससे बड़ा सवाल आपने नहीं उठाया है। यदि आप मुझे इस पर आश्वस्त कर दें तो....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसी पर मान्यवर, आप बहस करा दें।

श्री गोबिन्द सिंह--

उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी मदद के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

उनको तो मैं देख रहा हूं। लेकिन जो मैंने निवेदन किया वह सुन लिया आपने? आप अगर मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिये।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, यह जो प्रश्न है बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का, उससे सरकार पूरी तरह से परिचित है और हम उस दिशा में उनसे बात-चीत कर रहे हैं और सरकार की नीति यह रही है कि जहां तक हो इस तरह के कर्मचारियों के मसले को सहानुभूतिपूर्वक हम हल करें।

बिजली के कर्मचारियों की कई मांगें हम मान चुके हैं वेज बोर्ड लागू किया है। उनकी सेवा की निरंतरता स्वीकार की है और तदनुसार जो लोग अवकाश ग्रहण करके चले गये हैं १९६६ के बाद, उन पर भी यह लागू किया गया है। अब वेज बोर्ड की मांग के सिलसिले में जो एडजस्टमेंट किया जाता है फिटमेंट में उसके बारे में विचार किया जा सकता है। यह सूचना दी गयी थी लोगों को कि ५ जुलाई तक जिसकी जो आपत्ति हो वह अपने एक प्रार्थना-पत्र के साथ दे दें। जो आपत्तियां थी वह उन लोगों के पास से आ गयी हैं और आपत्तियां ली गयीं इसलिये कि उनको सुविधा हो। उन्हीं स्थानों पर वे आपत्तियां ले ली गयीं जहां हमारे संस्थान हैं और हमारे कर्मचारी काम करते हैं। अब उसमें एक कमेटी बन गयी है जो उन आपत्तियों को देख करके फिटमेंट में जो शिकायतें रह गयी हैं उनको पुनः देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने रखेंगे और उनको स्वीकार किया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मेहरोत्रा जी से बात-चीत हुई थी । उस कमेटी के सामने वह आये थे । अपना बयान दे गये केसा के मामले में और कल २३ तारीख है, फिर उस कमेटी के सामने केसा के मामले पर विचार होना है । मेहरोत्रा जी को गिरफ्तार करने की किसी की इच्छा नहीं हो सकती । वह बात-चीत करके गये थे । उनसे निवेदन किया गया था आप २३ तारीख को केसा के मजदूरों का मामला रख दें, हम जल्दी से जल्दी उसका फैसला कर देंगे । कहा गया था कि कोशिश यही की जायगी, लेकिन मुमकिन है कि यह मसला बहुत बड़ा है और फिटमेंट के ऐडजस्टमन्ट में हड़ताल के उठाने का सवाल है उसमें कहीं न कहीं कुछ सोचने की जरूरत पड़ सकती है, मुमकिन है दो चार रोज की देर हो जाय । एक ढंग से कहते हुए भी कि नहीं ९ तारीख को बात करने की कोशिश करें, हमारे स्वीकार करने के बाद भी कि कोशिश करेंगे हम इस पर, वह आश्वस्त हो कर गये और फिर आये प्रदर्शन करने दो आदमियों को लेकर और उस में वे गिरफ्तार किये गये । अब मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश है और हम कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इसमें सफल होंगे मसलों को हल करने में । हमारी बात-चीत चल रही है । लेकिन जब प्रश्न उठता है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदन से भी आज कुछ करो सदन में ऐसा भी समझते हैं कि चलो विधान सभा हो रही है, कुछ करो सदन में प्रश्न उठ जायगा । तो ऐसे ही आपने देखा कि पंचायत राज के मंत्रियों का भी हमने तय किया, हमने स्वायत्त शासन के कर्मचारियों का भी तय किया । अभी आगे आयेगा, आपके अन्जुमन अनहार, उनका भी हमने तय किया और उनका भी तय करना चाहते हैं और किया । अब जब इस प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिक्कत भी पैदा हो जाती है और बहुत से लोगों को इस दिशा में कुछ प्रोत्साहन भी मिल जाता है जिससे कि कटुता पैदा होने की संभावना होती है । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इसमें किसी समय चर्चा हो जाय । आप के कार्य स्थगन प्रस्ताव को मैं नहीं मानता कि जो स्थिति आज है उसमें यह कार्य स्थगन पेश करना उचित है—न उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है । २३ को तो मीटिंग ही है, इसलिये अगर सदन इस पर विचार करना चाहे तो मंगलवार के लिये आप इसको रख दें और असेम्बली दो घंटे का समय जो देना चाहे दे दे । जो भी सूचना उस समय हमको देनी होगी वह भी दे दी जायगी । इसलिये इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, इसका विरोध हो गया अब आप सदन की अनुज्ञा इस पर लिये जाने के लिये माननीय सदस्य को आज्ञा दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं कार्यसूची की अगली मद नम्बर ३ पर चला गया तो उसके मानी ही यह हैं कि मैंने उसकी अनुज्ञा नहीं दी ।

१९६३–६४ के विनियोग लेखे तथा १९६५ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लोक लेखा समिति १९६३–६४ के विनियोग लेखे तथा १९६५ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में

की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु की गयी कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

यह प्रतिवेदन १९६९–७० की लोक लेखा समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था, किन्तु प्रतिवेदन को मुद्रण हेतु भेज दिये जाने के कारण इससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

१९६४–६५ के विनियोग लेखे तथा १९६६ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं १९६४–६५ के विनियोग लेखे तथा १९६६ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वित हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवदन विधान सभा में ९ दिसम्बर, १९६६ को, प्रस्तुत किया गया था तथा शासन को समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए २९ अगस्त, १९६७ को प्रेषित किया गया था ।

शासन के विभिन्न विभागों से समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्यवाही की सूचनाओं पर समिति ने अपनी १७, १८, १९, २६, २७, २८ नवम्बर, १९७०, ३१ दिसम्बर, १९७०, १, २, ७, १६, १८ तथा १९ जनवरी, १९७१ की बठकों में विचार किया । आवश्यकतानुसार संबंधित विभागीय सचिवों तथा अन्य अधिकारियों का साक्ष्य भी लिया ।

प्रतिवेदन के प्रत्येक अनुच्छेद पर समिति ने जो निर्णय लिए हैं उनको प्रत्येक के सामने अंकित किया गया है ।

प्रतिवेदन को २७ अप्रैल, १९७१ की बैठक में समिति ने स्वीकार किया ।

उक्त प्रतिवेदन पर विचार करते समय समिति ने यह अनुभव किया कि शासन के कुछ विभाग समिति की सिफारिशों के प्रति उदासीनता का परिचय देते हैं । कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग से सूचनाएं बहुत विलम्ब से प्राप्त हुईं । सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य और वित्त (बिक्रीकर) विभागों से सूचनाएं तो प्रतिवेदन पर विचार करने के समय ही प्राप्त हुई । इसी प्रकार से कुछ अन्य विभागों ने भी विलम्ब किया । समिति समझती है कि शासन के इन विभागों द्वारा यह ढिलाई केवल उदासीनता की परिचायक ही नहीं, समिति की अवहेलना और निरादर सूचक भी है । समिति सानुरोध अपेक्षा करती है कि भविष्य में शासन के सभी बिभाग समिति की सिफारिशों के अनुपालन में और तत्संबंधी सूचनाएं भेजने में यथोचित तत्परता दिखायेंगे जिससे समिति को पुनः इस प्रकार की आपत्ति करने का अवसर न मिले ।

समिति यह भी अनुरोध करती है कि जिन सिफारिशों का अभी तक पूर्णरूप से कार्यान्वयन नहीं हो पाया अथवा जिन पर समिति ने असंतोष व्यक्त किया है उन पर शासन समिति की टिप्पणी के अनुसार सक्रिय कार्यवाही करें ।

समिति के समक्ष इस प्रकार के मामले भी आये जिसमें शासन ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसलिये कोई कार्यवाही करने से असमर्थता प्रकट की, क्योंकि वे अधिकारी सेवा मुक्त हो चुके थे । इसी प्रकार अन्य कारणों से भी समिति की संस्तुतियों को कार्यान्वित किसी न किसी ऐसे कारण से नहीं किया गया जिससे समिति सहमत नहीं हो सकती ।

[श्री मैनेजरसिंह]

प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में विधान सभा और उसकी समितियों की संस्तुतियों का आदर-पूर्वक अनुपालन होना अनिवार्य है। यदि लोक लेखा समिति की सिफारिशों का अनुपालन दृढ़ता और सक्रिय रूप से न किया जाय तो यह प्रजातंत्र पद्धिति के प्रति असम्मान है। अतएव मैं आशा करता हूं कि शासन इस ओर विशेष ध्यान देगा और ऐसा सुनिश्चित करेगा कि लोक लेखा समिति की संस्तुतियों का अनुपालन अविलम्ब हो जाय। अन्यथा इसकी उपयोगिता ही नहीं रहेगी।

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के समुचित एवं समय से अनुपालन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा करने के लिये कोई समय निश्चित करने का कष्ट करें। इससे प्रदेश की प्रशासनिक एवं आर्थिक दशा सुधारने में सहायता मिलेगी और प्रदेश की जनता का हित होगा, ऐसा समिति का निश्चित मत है।

समिति के समक्ष जिन विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित होकर समिति की सहायता की मैं उनका आभारी हूं। समिति की ओर से मैं महालेखाकार श्री बिशनचन्द्र, विशेष वित्त सचिव, श्री प्रकाश चन्द्र जैन और विधान सभा के सचिव श्री देवकी नन्दन मित्थल का भी आभार प्रकट करता हूं जिनके सहयोग से कम समय में भी समिति का कार्य सुचारु रूप से पूर्ण हो सका।

लोक लेखा समिति के कर्मचारियों ने लगन एवं परिश्रम से कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप समिति का कार्य सुचारू रूप से समय के अन्दर पूर्ण हो सका। अतः समिति उनकी भी सराहना करती है।

लोक-लेखा समिति के सिंचाई कर्मशालाओं से सम्बन्धित कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के सिंचाई कर्मशालाओं से सम्बन्धित कार्य संपरीक्षण प्रतिवदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार समिति ने चुनी हुई योजनाओं का निर्माण कार्य लेखा परीक्षा का कार्य अपने हाथ में ले लिया। उसी शृंखला में १९६१ में बरेली, रुड़की, मेरठ तथा झांसी में स्थित सिंचाई कर्मशालाओं का सम्परीक्षण करके समिति ने अपना द्वितीय सम्परीक्षण प्रतिवेदन १४ नवम्बर, १९६१ को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था।

२८ सितम्बर, १९६५ को समिति ने उक्त प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस समय समिति ने खेद व्यक्त किया था कि समिति की लगभग सभी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार कोई निर्णय लेने में असमर्थ रही।

सिंचाई कर्मशालाओं की वर्तमान स्थिति के अध्यन एवं सम्परीक्षण की दृष्टि से लोक लेखा समिति ने १७, १८ तथा १९ मई, १९७१ को क्रमशः बरेली, रुड़की तथा मेरठ की सिंचाई कर्मशालाओं क निरीक्षण किया। समिति ने अनुभव किया कि सिंचाई कर्मशालाओं में नीचे स्तर पर लगे हुए कर्मचारियों के कठिन परिश्रम एवं लगन से कार्य के फलस्वरूप ही सिंचाई कमशालायें

लाभ पर चल रही हैं। किन्तु खेद है कि १०-१०, १२-१२ वर्ष से कार्यरत कर्मचारी अभी तक वर्कचार्ज के रूप में दैनिक मजदूरी पर रखे गये हैं। इनके लिये सेवा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई है। यह स्थिति दुखद है। रुड़की कर्मशाला के अधिकारी एवं कर्मचारी एक साथ स्नेह एवं एकता के साथ कार्य में लगे हुए प्रतीत हुये और वहां का वातावरण उत्साह वर्द्धक अनभव हुआ। किन्तु बरेली तथा मेरठ कर्मशालाओं के अधिकारियों से कर्मचारियों में मनमुटाव या मतभेद का अनुभव हुआ। साथ ही इन दोनों कर्मशालाओं के स्टाक में भी बहुत कमी बेशी पायी गयी।

कर्मशालाओं के निरीक्षण के समय कर्मशालाओं के अधिकारियों ने समिति के कार्य को सुलभ और उपयोगी बनाने में पर्याप्त सहायता की। इस सम्बन्ध में मैं अधीक्षण अभियन्ता, श्री सत्यदेव पंडित का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। ये अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सचिव, विधान सभा श्री देवकीनन्दन मित्थल ने भी अत्यन्त कार्यकुशलता से समिति के कार्य में सहायता की। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति के कर्मचारियों ने निष्ठा और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। मैं समिति की ओर से उनकी सराहना करता हूं।

यमुना जल विद्युत् परियोजना तथा राम गंगा परियोजना क्षल्मा गेट के सम्परीक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति की ओर से यमुना जलविद्युत परियोजना तथा रामगंगा परियोजना, कालागढ़ के सम्परीक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

हमारे देश में हो रही प्रगति में विभिन्न परियोजनाओं का विशेष स्थान है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का लोक लेखा समिति द्वारा सम्परीक्षण प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली में आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है। इसी दृष्टि से प्रदेश लोक लेखा समिति ने कई महत्वपूर्ण कार्यों का सम्परीक्षण किया। उसी क्रम में १९७०-७१ की लोक लेखा समिति ने ३० अप्रैल तथा १ मई, १९७१ को यमुना जल विद्युत् परियोजना तथा राम गंगा परियोजना का सम्परीक्षण किया। मैं तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यह प्रतिवेदन समिति द्वारा ८ जुलाई, १९७१ को स्वीकृत किया गया था। उक्त सम्परीक्षण में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री कृष्णमुमारी समिति के साथ थे, उन्होंने समिति के कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। समिति उनका धन्यवाद करती है। समिति विधान सभा के सचिव श्री देवकी नन्दन मित्थल का भी आभार प्रकट करती हूं जिनके सक्रिय सहयोग के कारण समिति को काय करने में सहायता मिली। विधान सभा लोक लेखा समिति के कर्मचारीगण ने भी समिति के कार्य में अत्यन्त कार्यकुशलता का परिचय दिया, समिति इन कर्मचारियों के कार्य की भी सराहना करती है।

१९६७-६८ के विनियोग लेखे तथा १९६९ के लेखा परिक्षा प्रतिवेदन पर आधारित उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं १९६७-६८ के विनियोग लेखे तथा १९६९ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति का प्रतिवदन प्रस्तुत करता हूं।

[श्री मैनेजर सिंह]

उत्तर प्रदेश शासन का उक्त प्रतिवेदन १४ दिसम्बर, १९७० को राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया और विधान मंडल के सदनों के पटल पर १४ दिसम्बर, १९७० को रखा गया था। वर्तमान समिति का गठन ८ सितम्बर, १९७० को हुआ था। समिति ने अपनी २८,२९,३० जनवरी; ८,९,१९,२० फरवरी; १७,१८,१९, मार्च; १२,१४, १५,२६,२८ अप्रैल; ५,१४,१५,२५,२६,२७ मई; २,३,१४ तथा १५ जून, १९७१ की बठको में विचार किया। शासन के प्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों का साक्ष्य भी लिया। समिति ने अपनी २४ तथा २५ जून और ७ तथा ८ जुलाई, १९७१ की बैठक में प्रतिवेतन के प्रारूप को तैयार किया। प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्षों तथा संस्ततियों को रेखांकित कर दिया गया है और उनका सारांश परिशिष्ट १ में दिया गया है। समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का सविस्तार अभिलेख अलग से रखा गया है। समिति ने कार्य करने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया। शासन के कुछ विभागों से लेखा परीक्षा आपत्तियों पर स्पष्टीकरण विलम्ब से प्राप्त हुए जिस क कारण उनके पूर्वाध्ययन तथा विचार में बाधा पड़ी।

इसके अतिरिक्त समिति ने ऐसा अनुभव किया कि कुछ अधिकारी पूर्ण रूप से तैयार होकर समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विशेषकर वर्तमान सिंचाई व विद्युत् सचिव, श्री चौधरी, राजस्व सचिव श्री अतहर हुसेन तथा वन सचिव के उत्तर असंतोषजनक रहे। इसके फलस्वरूप वे समिति के समक्ष वांछित पूर्ण सूचनाएं नहीं दे पाए। वे संतोषप्रद उत्तर देने में असमर्थ रहे। परन्तु साथ ही कुछ विभागों के सचिव पूरी तैयारी से आए और उन्होंने संतोषजनक रूप से अपना स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया जैसे खाद्य सचिव, श्री महमूद बट्ट, उद्योग सचिव श्री ज्ञान प्रकाश तथा क्रीड़ा परिषद् के सचिव श्री बाजपेयी। समिति को विद्युत् विभाग के अधिकारियों के साक्ष्य से पूर्णतया असंतोष हुआ। समिति ने साक्ष्य के दौरान अनुभव किया कि विद्युत् परिषद् का गठन ही अधिनियम के अनुकूल नहीं हुआ है। अधिनियम एवं राज अधिकारी सेवा नियमावली के अनुसार किसी अधिकारी या उसके परिवार का किसी प्रकार व्यवसाय शासन के किसी विभाग या विद्युत् परिषद् से नहीं हो सकता। समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए मुख्य अभियन्ता श्री जी० के० आर० वर्मा ने स्वयं स्वीकार किया कि उनके भाई, मां, स्त्री आदि परिवार के लोगों की एक फर्म फैजाबाद में है जो विभाग में सामान की सप्लाई तथा अन्य ठेके लेती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इसकी सूचना नियमतः उन्होंने शासन या विद्युत् परिषद् को कभी नहीं दी। इस प्रकार समिति ने अनुभव किया कि विद्युत् परिषद् में अव्यवस्था व्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है। समिति इस स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करती है।

समिति इस विषय पर पहले भी संस्तुति कर चुकी है। शासन के विभिन्न विभागों से अपेक्षा की जाती है कि ये समिति के महत्व को समझकर उसके प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करें। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सभी विभाग अपनी टिप्पणियां निर्धारित समय पर भेजेंगे और अधिकारीगण समिति के समक्ष पूर्णतया तैयार होकर और पूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे।

मैं यह भी आशा करता हूं कि समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुपालन हेतु शासन के विभाग सक्रिय कार्यवाही करेंगे, जिससे कि शासन की जनतंत्र प्रणाली को समुचित आदर प्राप्त हो।

समिति श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा के कठिन परिश्रम एवं कार्य दक्षता की सराहना करती है। समिति के कार्य-संचालन में निरन्तर जो रुचि और लगन उन्होंने दिखायी उसके लिए समिति उनके प्रति धन्यवाद अभिलिखित करती है।

समिति उत्तर प्रदेश के महालेखाकार, श्री बिशन चन्द्र को धन्यवाद देती है जिन्होंने पूरे समय समिति को सहायता पहुंचाई है। समिति वित्त विभाग के विशेष सचिव, श्री प्रकाश चन्द्र जैन और अन्य अधिकारियों के प्रति भी अपना विशेष धन्यवाद प्रकट करती है जिनके सहयोग और परिश्रम से समिति को पर्याप्त सहायता मिली।

लोक लेखा समिति के कर्मचारियों ने अभिरुचि एवं दक्षता और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया। समिति के कार्य की सफलता में जो उनका सहयोग प्राप्त हुआ समिति उसकी भी सराहना करती है।

मान्यवर, मैं एक बात और इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। लोक लेखा समिति का गठन पिछले वर्ष सितम्बर के महीने में हुआ था। इस कम समय में काफी कठिन परिश्रम करके अपने कार्य को समाप्त किया। श्रीमन्, इस समिति को अवसर मिला हरियाना, पंजाब और हिमांचल प्रदेश जाने का और केराला की लोक लेखा समिति जो हमारे प्रदेश में आयी, उससे विचार विमर्श करने का। आज हमारे प्रदेश की विधान सभा में और अन्य प्रदेशों में भी यह विचार चल रहा है कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति या और भी जो अन्य समितियां हैं, उनका कार्यकाल प्रायः एक वर्ष ही रखा गया है। आज विचार चल रहा है कि एक साल के कार्य काल के कारण बहुत दिक्कत पड़ती है क्योंकि पुराने सभी सदस्य बदल जाते हैं। इस तरह से विचार है कि इस समिति के एक तिहाई सदस्यों को अलग कर दिया जाय। इस प्रकार से एक तिहाई नए सदस्य होंगे और दो तिहाई पुराने सदस्य रहें ताकि पिछले कार्य से लगाव बना रहे। हरियाणा और केरल में विचार है कि समिति का कार्यकाल २ वर्ष कर दिया जाय। तो यह प्रश्न भी मैं आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि इस पर विचार करें और कोई निर्णय करें कि या तो एक तिहाई सदस्यों का प्रतिवर्ष निर्वाचन करना उचित होगा या इनका कार्यकाल २ वर्ष करना उचित होगा। मौजूदा जो हमारा नियम है, उसकी ओर भी इस अरदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, लोक लेखा समिति इस सदन की सबसे महत्वपूर्ण समिति है और प्रतिवर्ष इसका प्रतिवेदन माननीय सदन में प्रस्तुत किया जाता है लेकिन उसके ऊपर शायद कभी बहस नहीं होती है। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों और इसके प्रतिवेदन पर बहस के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से कोई समय लेकर निर्धारित करें। कम से कम इसके लिए २ दिन का समय होना चाहिए तभी कहीं इस लोक लेखा समिति की सिफारिशों और इसके प्रतिवेदनों को अमली जामा पहनाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने उठाया है उसके बारे में विचार हुआ। ऐसा है कि मांग करने पर जिस विषय पर चर्चा चाहेंगे हो सकेगी और इस संबंध में नियम में भी परिवर्तन करने की चेष्टा है और वे नियम आपके समक्ष रक्खा भी गया है। पटल पर हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस बीच में हम लिखकर अध्यक्ष महोदय को दें या जब नियम में परिवर्तन हो जाएगा तब दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी भी दे सकते हैं। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। ऐसा हो गया है। आप मांग करें।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

जो प्रतिवेदन आया है उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

लिखकर आप मांग करेंगे कि इस बात पर हम चर्चा करेंगे तो पर उस समय मिलगा।

इन्जीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में नगरों एवं ग्रामों की जन संख्या के अनुपात से क्षात्रों की संख्या सुरक्षित करने हेतु अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों, में नगरों एवं ग्रामों की जनसंख्या के अनुपात से छात्रों की संख्या सुरक्षित करने हेतु अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में श्री बुद्धिसागर मिश्रा, ग्राम खेड़ा बझेड़ा, पो० खेड़ा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

भारतीय दण्ड विधान की धारा ३२३ व ५०६ को पुलिस हस्तक्षेप योग्य बनाने हेतु याचिका

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय दण्ड विधान की धारा ३२३ व ५०६ को पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य बना देने के संबंध में श्री खुर्शीद अख्तर सिद्दीकी, मो० कांकड़, कस्बा तिलहर, जिला शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के बारे में जानकारी

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, दीक्षित जी और मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया था । वह आज निर्णय के लिए रक्खा गया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी से अध्यक्ष ने क्या तथ्य हैं इसकी जानकारी मांगी है और अभी वहां से आया नहीं है । जल्दी से जल्दी होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान अध्यक्ष पद से दिए गए निर्णयों की ओर ले जाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

किस बारे में है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

विषय यह है कि श्रीमन् की ओर से यह कहा गया कि माननीय अनन्तराम जायसवाल को, कि आप सदन का वक्त जाया कर रहे हैं । श्रीमन्, उसी पद से दिए हुए निर्णय आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं । यह शब्द उचित नहीं है । कहा गया है कि....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि लोक लेखा समिति के बारे में याचिका के बारे में प्रश्न उठाना चाहिए था....

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप सुन लीजिए। आप प्रोसीडिंग का वह हिस्सा अपने पास सुरक्षित कर लें और इसको भी देख लें और इसके बाद यदि मुनासिब समझेंगे तो उसको प्रोसीडिंग में रहने दीजिए और यदि नहीं मुनासिब समझते हैं तो नहीं रहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

जो कार्यवाही हुई है वह सब लिखी जा रही है।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं यह समझता हूं कि आपने जानबूझकर नहीं कहा है। अनजाने में कह दिया है। इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप किसी बात के लिये अनुमति न दें, यह तो आपका अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न की कोई बात है तो लिख कर दें।

श्री कल्पनाथसिंह---

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष---

जितने महत्वपूर्ण विषय हों क्या वह हर वक्त उठ सकते हैं? क्या आप यह ज्यादती नहीं करते हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने तो यह कहा कि इस तरह का निर्णय हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष---

जिस चीज के ऊपर मैं कह चुका हूं और जो आपके हिसाब से कोई व्यवस्था मैं दे चुका हूं, उसके बाद भी आप उसी चीज को दोहराते रहें तो उसको क्या कहा जाय?

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर किसी व्यवस्था में विरोधाभास है तो उसकी ओर ध्यान दिलाना भी हमारा पुनीत कर्तव्य है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो समय पर होना चाहिये। अब कार्य सूची का नम्बर १३ होगा।

अन्जुमने अनहार की मागों के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य---

श्रीमन् मुझे इसकी कापी नहीं मिली है।

उपाध्यक्ष--

यह नियम है कि जिनका नाम है उन सबको कापी दी जाती है।

एक सदस्य --

श्रीमन्, मेरा नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं दिखवाता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

ऐसी ही व्यवस्था हो रही है ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, १४ वाला हमें नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो १३ ले रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, रोज जब यह कार्यसूची मिलती थी तो उसमें किस माननीय सदस्य का नोटिस है यह छपा रहता था। लेकिन आज नहीं छपा है। उसका कोई विशेष कारण होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

२०, २१, २२ में जो वक्तव्य हैं उनमें नाम छपा है। इस तरह के वक्तव्य का आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं कि उसमें सबका नाम छपा हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अभी तक यह होता रहा है कि जिन माननीय सदस्यों की सूचना होती है उनका नाम छपता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन केवल वक्तव्य वाले में नाम नहीं छपता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल --

वह मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आप इसका ध्यान रखें कि किस तरह से सारा काम हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं खुद दिखवा लूंगा कि क्या किसी ऐसे वक्तव्य में जैसा कि नम्बर १३ पर है, उसमें नाम छपा है या नहीं।

सिंचाई उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

अन्जुमन अनहार, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय समय पर शासन के सम्मुख मांग प्रस्तुत की गई और इन पर शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार होता रहा है परन्तु कुछ मांगें शासन के अब भी विचाराधीन हैं। इन मांगों की स्थिति निम्नवत् है :

(१) वेतन असमानतायें समाप्त कर वेतन वृद्धि की जाय।

इस मांग के विषय में वित्त विभाग से परामर्श करा गया था। वित्त विभाग नें परामर्श दिया है कि वेतन आयोग गठित कर दिया गया और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर शासन द्वारा कार्यवाही की जाय ।

(२) रहने के लिये अन्यथा मकान किराया दिया जाना—

नलकूप चालकों को निःशुल्क सरकारी आवास जहां कहीं भी उपलब्ध है दिये जाते हैं। जहां सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है वहां शनैः शनैः उनका निर्माण कराया जा रहा है। किन्तु जहां ऐसे आवास उपलब्ध नहीं है वहां उनके एवज में मकान का किराया नहीं दिया जा सकता क्योंकि निःशुल्क आवास तो केवल इस लिए देय हैं कि नलकूप चालक नलकूप पर ही निरन्तर बने रहे। यदि किसी भी कारण से उनका वहां रहना संभव न हो तो फिर मकान का किराया देने का कोई औचित्य नहीं रहता।

अमीन तथा पतरौलों को उक्त सुविधा देना संभव नहीं। अन्य विभागों में भी उनके समकक्ष पदाधिकारियों को उक्त सुविधा नहीं दी जाती है।

(३) कन्टेन्जेसी एलाउन्स—

अमीन तथा पतरौलों को सरकारी कार्यों में स्टेशनरी। तेल आदि के उपयोग हेतु कन्टेन्जेन्सी एलाउन्स दिया जाता है। इस एलाउन्स में बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(४) एरियर क्लेम—

समस्त अधिशासी अभियन्ताओं तथा अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं कि एरियर क्लेम्स के भुगतान अविलम्ब कर दिए जाएं। इस प्रकार के आदेश पहले समय-समय पर दिए जा चुके हैं।

(५) साईकिल एलाउन्स—

अमीन व पतरौल को साईकिल भत्ता दिए जाने की मांग शासन के विचाराधीन है। नलकूप चालकों को यह भत्ता देने का प्रश्न उठता क्योंकि आमतौर पर उनकी अपने नलकूप पर ही ड्यूटी रहती है।

(६) क्वार्टरों में बिजली की सुविधा—

जहां कहीं बिजली उपलब्ध है वहां अमीन पतरौल के आवास को भी बिजली दी जाती है।

(७) ५ मील के अन्दर वेतन वितरण या यात्रा भत्ता की स्वीकृति—

यह नई मांग है। इस पर मुख्य अभियन्ता के विचार मांगे जा रहे हैं।

(८) यात्रा भत्ता की लिमिट की समाप्ति—

सिंचाई विभाग के पतरौलों, आपरेटरों तथा अमीनों की यात्रा भत्ते की सीमा निश्चित नहीं है। केवल जिलेदारों के यात्रा भत्ता की वार्षिक सीमा २,००० रु० जो घोड़ा रखते हैं तथा १,२०० रु० जो घोड़ा नहीं रखते हैं, निश्चित है। इस सीमा की बढ़ोत्तरी मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा विचाराधीन है।

(९) स्थानान्तरण—

इस संबंध में पहले से ही शासन द्वारा आदेश पारित किए जा चुके हैं कि जहां तक संभव हो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर न स्थानान्तरित किए जाएं। इन आदेशों का पालन किया जा रहा है और अमीन पतरौल कूपचालक जो खण्डीय स्तर के कर्मचारी है, का स्थानान्तरण साधारणतः खण्ड क्षेत्र में ही होता आ रहा है।

[श्री वीर बहादुर सिंह]

(१०) मोटर फुक जाने पर कटौती दिया जाना---

नलकूप के मोटर जलने पर उसकी पूरी-पूरी जांच की जाती है और यदि उसके लिए नलकूप चालक अथवा अन्य कोई दोषी पाया जाता है तो हानि की वसूली दोषी व्यक्ति से ही की जाती है। यह कहना ठीक नहीं है कि बिना कसूर अथवा छानबीन किए ही जले हुए मोटरों की कटौती नलकूप चालक से कर ली जाती है।

कल दिनांक २१ जुलाई, १९७१ को अन्जुमन अन्हार सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिला और इस संबंध में वार्ता की। मैंने उनको बताया कि शासन उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नं० १४ लिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो केवल वक्तव्य है, उसमें प्रश्न नहीं हो सकते हैं....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय तो इजाजत दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन मांगों के औचित्य को वित्त विभाग और सिंचाई वभाग दोनों ने स्वीकार किया है। दूसरी बात एरियर क्लेम की है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ताओं व अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता के आदेश हो चुके हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छोटे-छोटे कर्मचारियों के एरियर क्लेम्स के लिये भी, जो कि पड़े हुए हैं, कोई आदेश हुये हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)---

जहां तक इन कर्मचारियों के वेतन के औचित्य का सवाल है उसको तो सिंचाई विभाग और वित्त विभाग मानते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि ये कर्मचारी राजस्व कर्मचारियों से अपनी तुलना करते हैं। इनका वेतन स्तर पहले राजस्व विभाग के कर्मच रियों के समकक्ष था। इस बात को वित्त विभाग नहीं मानता है कि वेतन इस बात को वित्त विभाग नहीं मानता है कि वेतन में समानता होने से वे राजस्व विभाग के कर्मचारियों के समकक्ष हो जाते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मेरा दूसरा भी प्रश्न था।

श्री राम लखन---

कर्मचारियों के क्लेम्स समय से नहीं मिलते हैं इसलिए उनके भुगतान में विलम्ब हो जाता है। यह प्रयास किया जा रहा है कि उनके एरियर क्लेम्स न रहें और उन्हें जल्दी से जल्दी भगतान हो जाए।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि नलकूप चालकों का वेतन-क्रम पहले लेखपाल के बराबर था तो किन कारणों से घटा दिया गया है ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

पी० आर० सी० की सिफारिशों के अनुसार वेतन फिक्स हुए हैं। वही दिए जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

राजस्व विभाग के कर्मचारियों का १९६४-६५ में जो वेतनमान था वही सिंचाई विभाग के छोटे कर्मचारियों का था। तो क्या ऐसा हुआ है कि नए वेतनमान में पहले से भी वेतन कम हो गया है ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

यह सभी केसेज में नहीं है, एक आध में है जो कि बाद में ठीक कर दिए गए हैं। यह पी० आर० सी० की सिफारिशों पर हुए थे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १९४७ में पतरौल और नलकूप चालक का वेतन लेखपाल से ज्यादा था। १९६५ में भी ज्यादा था, परन्तु घटाकर नलकूप चालक का ७५ हो गया है और लेखपाल का ९० हो गया है।

श्री बीरबहादुर सिंह---

१९४७ से पहले अमीन, पतरौल और राजस्व विभाग के कर्मचारी लेखपाल के वेतन बराबर थे।

इरादत गंज इलाहाबाद में बांगला देश के शरणार्थियों के लिए स्थापित शिविर में अव्यवस्था के संबंध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये भारत सरकार ने इलाहाबाद में इरादतगंज के हवाई अड्डे पर जो अब प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है एक अस्थायी शिविर खोला है। पहले इस शिविर में ५०,००० शरणार्थियों के रखने का प्रस्ताव था किन्तु अब भारत सरकार ने यहां केवल १०,००० शरणार्थी ही रखने का निश्चय किया है। इस शिविर का संचालन पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और वे ही इस पर सारा व्यय वहन कर रहे हैं। भारत सरकार ने प्रदेश सरकार से शिविर में जल पूर्ति, सफाई, चिकित्सा तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने में सहायता मांगी थी।

२---इस शरणार्थी शिविर के संचालन के लिये भारत सरकार ने फौज के एक सेवा निवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल को कमाडेण्ट के पद पर नियुक्त किया है। इनकी सहायता के लिये १ डिप्टी कमाडेण्ट, ५ सहायक कमाडेन्ट, १ महिला वेलफेयर अधिकारी, १० सेवक सेविकायें तथा लगभग ४५ अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं।

३---इस शिविर में पहला जत्था १३ जुलाई को, दूसरा जत्था १६ जुलाई था तथा तीसरा जत्था १९ जुलाई, १९७१ को आया जिसमें कुल मिला कर ४४२९ व्यक्ति (बच्चों सहित) आये।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

४—शिविर में रहने वाले शरणार्थियों के उपचार के लिये एक अस्पताल कायम किया गया है जिसमें १५ शैया हैं और आउट डोर में दवा दी जाती है। अलग से एक संक्रामक रोग का अस्पताल है जिसमें १० पलंग हैं। ये दोनों अस्पताल पहला जत्था आने के पूर्व ही स्थापित कर दिये गये थे। पहले ही दिन १३ जुलाई, १९७१ को इस अस्पताल में पहले जत्थे के आते ही २ बच्चों की पैदाइश हुई। अभी तक इनडोर मरीजों की संख्या जिनका उपचार हुआ है ६३ हैं, जिसमें ६ बच्चों के पैदाइश से संबंधित हैं। आउट डोर खंड से १०७६ लोगों को दवा बांटी गई है।

५—संक्रामक अस्पताल में ७ मरीजों को भर्ती किया गया और जांच व उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं था। ६ मरीजों को उपचार के लिये सदर अस्पताल इलाहाबाद भेजा गया है।

६—शिविर में १०८ पुरुषों व १०८ महिलाओं के लिये शौचालय तथा ७३२ पी० आर० ए० आई० टाइप लैट्रिन बन चुके हैं।

७—शिविर में रहने वाले विस्थापितों को राशन देने की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की है। एक दिन के लिये ४०० ग्राम चावल, १०० ग्राम दाल, ३०० ग्राम सब्जी व मसाला, तेल, नमक, चीनी, चाय, दूध, लकड़ी दिया जाता है। इसका प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मूल्य १ रुपया निर्धारित है।

८—रोशनी के लिये कुछ तो बड़ी-बड़ी बत्तियां लगी हैं और शिविर में लालटेनों का प्रबन्ध है।

९—कपड़ों का वितरण की व्यवस्था भारत सरकार की ओर से नहीं है। अधिकांश लोग अपने कपड़े व अन्य जाती सामान लेकर आये हैं। कुछ लोगों को जेल के पुराने कम्बल, जो जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुये थे, दिये गये हैं। समाज सेवी संस्थाओं से इस कमी को दूर करने में सहायता करने के लिये कहा गया है।

१०—सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध के लिये शिविर में १ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, १ इंसपेक्टर, २ सब इंसपेक्टर, २ हेड कान्सटेबिल व १० कान्सटेबिल, १ प्लूटून पी० ए० सी० व एक कम्पनी होमगार्ड तैनात हैं। इसके अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की एक इकाई दो वाहिनी के साथ तैनात हैं।

११—पीने के पानी की व्यवस्था नलकूप से की गई है। पानी साफ करके दिया जाता है। शिविर में जगह-जगह पानी की टंकियां हैं और पाईप लाइन द्वारा जल की पूर्ति होती है। १७ टंकियां और ५ टेंकर लगे हुये हैं।

१२—झोपड़ियों का निर्माण केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हो रहा है।

१३—यह बात सही नहीं है कि जो कार्य हो रहे हैं उनमें किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ने जो व्यवस्था की है उसका पूरा लाभ शरणार्थी उठा रहे हैं। अल्प सूचना पर यह नई बस्ती इस बरसात के मौसम में बसाई गई है। प्रदेशीय सरकार के विभिन्न विभागों में एवं जिले के अधिकारियों ने जो जान से रात दिन काम किया है, जिससे बांगला देश के शरणार्थी यहां लाये जा सकें। वे बधाई के पात्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर बहुत प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं एक प्रश्न करूंगा। मैं इलाहाबाद का हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बहुत सवाल न करें।

श्री रामगोपाल संड--

मैं केवल एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह केवल वक्तव्य के लिए है और यह ऐसा विषय है कि सभी प्रश्न करना चाहते हैं। इस पर ज्यादा प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामगोपाल संड--

इलाहाबाद के 'भारत' में और कानपुर के 'जागरण' में प्रकाशित हुआ है और मैं भी शिविर देखने गया था तो पाया कि वहां अधिकांश महिलाओं के पास ऊपर के शरीर को ढांकने का वस्त्र नहीं है। क्या मंत्री जी स्वयं उन शिविरों में गये और देखा कि इन माता बहिनों के ऊपर के शरीर को ढांकने के लिए कपड़े का प्रबन्ध किया जा रहा है? 'जागरण' में छपा है कि लगभग सभी शरणार्थी बीमार हैं और इलाज का प्रबन्ध नहीं है। तो उनके इलाज का प्रबन्ध कब तक किया जायेगा और जो नागरिक परिषद् बनी है, जिसके अध्यक्ष रामकुमार शास्त्री हैं, उसके द्वारा कपड़ा भिजवाया जायेगा?

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

वहां राहत कार्यों में गड़बड़ियां हो रही हैं और हमने नियम ५१ में लिख कर भी दिया था जिसमें कहा था कि माननीय मंत्री जी खुद जाकर जांच कर लें। वहां खाने पीने के ऊपर जो व्यय होता है उस तक में भ्रष्टाचार है। यह भी आरोप है कि जो मरीज हैं उनको भर्ती नहीं किया गया। वक्तव्य के पृष्ठ २ पर आप देखें तो उसमें यह है कि दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया लेकिन यह नहीं कहा कि वह मरीज वहां भर्ती भी हुए या नहीं। जो राशन, दूध, चावल दिया जाता है तो उसमें कटौती करके ठेकेदार ने आधे पैसे का गबन कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ब्योरे में न जायं। ऐसा कुछ न कहें कि जो कुछ हो रहा है उसमें असफलता जाहिर हो।

श्री रामगोपाल संड--

हम तो बड़ी नम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मंत्री जी स्वयं किसी दिन संडे को चले जायं और जाकर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक है कि ये या इनके कोई अधिकारी जाकर देख लेंगे। यह मैं व्यवस्था के लिए कह रहा हूं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

(राजस्व मंत्री के खड़े होने पर)

एक सदस्य---

शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में सर्वश्री जगदीश शरण अग्रवाल एवं बसन्त सिंह गलहौत के बढ़ाये गये कार्यकाल के दिनांक १० अगस्त, १९७१ को समाप्ति के कारण रिक्त होने वाले स्थान पर इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के मद (ङ) के अनुसार २ सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, माध्यमिक शिक्षा परिक्षद्, उत्तर प्रदेश में सर्व श्री जगदीश शरण अग्रवाल एवं बसन्त सिंह गलहौत के बढ़ाये गये कार्यकाल के दिनांक १० अगस्त, १९७१ को समाप्ति के कारण रिक्त होने वाले स्थान पर इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के मद (ङ) के अनुसार दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजविहारी सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को, यदि विधान परिषद् भी सहमत हो, तो वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को, यदि विधान परिषद् भी सहमत हो, तो वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १---वृहत जोत कर तथा अनुदान संख्या २---भू-राजस्व

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १---वृहत जोत कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,४०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १०६७ १––बृहत जोत कर तथा अनुदान संख्या २––भू-राजस्व

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २––भू–राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,८२,९९,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं यह कोशिश करूंगा कि बहुत सूक्ष्म में ये जो अनुदान मांगे गये हैं, इनके बारे में निवेदन करूंगा और उसके बाद जो कटौती के प्रस्ताव आयेंगे और विपक्ष के माननीय सदस्यों की जो आलोचनायें एवं सुझाव होंगे, उनके बाद में जहां तक सम्भव होगा, मैं इस बात का प्रयास करूंगा और यह बतलाऊंगा कि इस विभाग द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। मान्यवर, पहला ग्रान्ट नं० १ तो बृहत जोत कर के सम्बन्ध में है। इसमें कुल ४,१४,१०० रुपये की मांग की गयी है। जिसमें से ४ लाख ११ हजार रुपया तो वोटेड है और ३ हजार रुपया चार्ज्ड है। श्रीमन्, को जैसा मालूम है कि इसके पहले काफी धनराशि लेखानुदान द्वारा दी जा चुकी है। तो उनको छोड़ कर २ लाख ४० हजार १०० रुपये की धनराशि की स्वीकृति चाहिये। यह खर्च ज्यादातर हेड क्वार्टर और जिले के स्टाफ पर होता है। बृहत जोत कर का जहां तक सम्बन्ध है यह जुलाई, १९६२ से लग रहा है। पहले इसका रूप एल० एल० एच० टी० था और उसके पहले ए० आई० टी० था। बृहत जोत कर की रकम घटती जा रही है। १३७० फसली में करीब ३२ लाख रुपये की धनराशि थी जो फसली १३७७ में घट कर ११,४२,००० रुपये रह गयी है। पहले ११ हजार कर दाता थे। १३७७ फसली में घट कर लगभग ६ हजार ही रह गये। बृहत जोत कर, जसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं ३० एकड़ जमीन के ऊपर लगाया जाता है। यानी ३६०० रुपये से अधिक जिसकी आय होती है उसको यह देना होता है। यह मूल्यांकन हैरीडिटरी रेट के लगने का साढ़े १२ गुना लगाया जाता है।

जहां तक मद नं० २ का सवाल है, इसमें भू-राजस्व के लिये १९७१–७२ के लिये १३,५५,३१,९०० रुपया मांगा गया है। जिसमें से १३,५५,१४,२०० रुपया मतदेय तथा १७,७०० रुपया भारित है। इसमें से लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को निकाल कर ७,८२,९९,२०० रुपये की मांग है। इसमें प्लान और नान-प्लान दोनों शामिल हैं। प्लान का एक ही आइटम चकबन्दी का है जिसके लिये कुल ४,१५,००,००० रुपया मांगा गया है। पिछले साल से यह ८,५१,००० रुपये अधिक है। यह वृद्धि अधिकांश, मंहगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता और वेतन में वृद्धि की वजह से है। नान-प्लान आइटम्स के अन्तर्गत कई आइटम्स हैं। सामान्य राजस्व व्यय भी इसमें शामिल है। इसमें लैण्ड एक्वीजीशन तथा बाउन्डरी पिलर्स शामिल है जिसके लिये १७,८९,५०० की मांग की गयी है। क्लेक्टरेट का नजूल इस्टैब्लिसमेन्ट के लिये १७,८९,५०० की मांग की गयी है। क्लेक्टरेट का नजूल इस्टैब्लिशमेंट के लिये ५७,४६० रुपये चाहिये। राजकीय आस्थानों के प्रबन्ध के लिये ३,४९,५०० रुपये चाहिये। स्टोन क्वेरी चार्जेज के लिये ७५,८०० रुपया मांगा गया है। लैण्ड रेवेन्यू क्लेशन (भू-राजस्व की उगाही) के लिये २,०३,२३,८०० रुपया मांगा गया है। यह पिछले साल से ५४,३६,००० रुपये कम है क्योंकि सवा ६ एकड़ तक की जोतों को मालगुजारी से मुक्त करने पर कुछ स्टाफ की कमी होगी। लेकिन अब शायद इस स्टाफ को कम न किया जायेगा क्योंकि अन्य विविध देयों की डिमान्ड बहुत बढ़ गयी है जिसके कारण अन्य कामों में इनको लगाया जा सकेगा। इसके लिये बाद में रुपया मांगा जायेगा। क्लेक्शन का खर्च ७.१ प्रतिशत है। इसमें सर्वे और सेटिलमेन्ट के लिये २,६४,३०० रुपया मांगा गया है। रेकार्ड आपरेशन इस समय मिरजापुर, बलिया, गोरखपुर, रायबरेली, और नैनीताल में हो रहा है। इस साल तराई भावर में बन्दोबस्त भी कराया जायेगा। साथ ही भू अभिलेख के लिये २,५५,३५,१०० रुपया मांगा गया है। इसमें कानूनगो, लेखपाल, रजिस्ट्रार, कानूनगो, सुपरवाइर कानूनगो और कागजात आदि का खर्च शामिल है। पर साल से १२ लाख रुपया

[श्री उदित नारायण शर्मा]

ज्यादा मांगा गया है जो तनख्वाह में वृद्धि के कारण हैं। अदर मिस्लेनियस कम्पेन्सेशन ऐन्ड एसाइनमेन्ट के लिये २३,१८,७०० रुपया मांगा गया है। इसमें बड़ी रकम १७,५०,००० की एन्युइटी की है।

श्रीमन्, इस तरह से ये मोटी चीजें मैंने आपके सामने पेश की है। मैं आरम्भ में कुछ उन कार्यों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जिनको इस वर्ष में इस शासन के आने के बाद में हमने किया है और जिनको आइन्दा करने का हमारा इरादा है। श्रीमन्, एक अध्यादेश हमने जारी किया है, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य खेतिहर मजदूरों के लिये आवास की व्यवस्था की गई है। इस अध्यादेश के अनुसार हमने इस बात का प्रयास किया है और बहुत ही जल्दी यह अध्यादेश इस सम्मानित सदन के सामने बिल के रूप में आएगा, जिसमें हम यह प्रयास करने जा रहे हैं कि जो हमारे अनुसूचित जाति, हरिजन और खेतिहर मजदूर लोग हैं, जिनकी रहने की दयनीय स्थिति देखते ही बनती थी, उसको हल किया जा सके। गांवों में हरिजनों, अनुसूचित जाति के लोगों को बड़ी ही तकलीफ में रहना पड़ा था। उनको कोई प्रथक स्थान भी रहने के लिये नहीं मिला करता था। हरिजनों की बस्ती के बीच से गुजरने पर बिना बताये ही हर किसी को मालूम हो जाता था कि यह हरिजन बस्ती है। जिस तरह से हम समाज में रहते हैं, उनको रहने के लिये जैसा मानवोचित स्थान चाहिये, उसको हम देने में गुरेज करते हैं। इस अध्यादेश के द्वारा हमने निश्चय किया है कि हमारा यह प्रयास होगा कि किसी हरिजन को बिना किसी जमीन प्राप्त किये रहने न दिया जाए, जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं है।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)--

यह तो पहले से ही आदेश है, जमींदारी एबालीशन के अधीन भू-प्रबन्ध समिति आप बनाते हैं, जो कि सरप्लस लैण्ड को बांटने का इंतजाम करती है। तो क्या आप इस संशोधन ऐक्ट के द्वारा उसको अनिवार्य रूप से गांवसभा की बची हुई जमीन दे देंगे? मेरा कहना यह है कि आपको खाली जमीन नहीं मिलेगी, इसलिये आपका अध्यादेश बेकार हो जायगा। यदि आप उसे देना चाहते हैं तो इस अध्यादेश के द्वारा आपको अनिवार्य रूप से उन्हें रहने के लिए जमीन दिलाना चाहिये।

श्री उदितनारायण शर्मा--

इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। अभी तक जितने हमने नियम या कानून बनाए हैं, वे इस बात के लिए पर्याप्त असरदार सिद्ध नहीं हुए हैं कि उनके माध्यम से इस बड़ी जरूरत को हम पूरा कर सकें। जब हमें यह अनुभव हुआ तो भी इस अध्यादेश को निकाला गया है। इसमें यदि गांव समाज की जमीन किसी तरह से भी उपलब्ध होगी तो जरूर हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो लेंगे, एक्वायर करेंगे, लेकिन जिसका जो हक है, वह उसका अवश्य दिला देंगे। श्रीमन् का अधिक समय यह बताने में नहीं लूंगा कि इसके क्या प्राविजन्स हैं क्योंकि वह निकल चुका है।

श्रीमन् एक दूसरा कार्य जो अब तक किया गया है वह एक अध्यादेश है जो नागर क्षेत्र के भाग से जमींदारी विनाश सम्बन्धी अध्यादेश है। यह देखने में आया था कि बहुत से गांव ऐसे थे वास्तव में, जिन पर जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट लागू होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से कार्य हुआ था और जो प्राविजन्स थे उनके कारण उनको वह सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जो कि कृषकों को प्राप्त हैं जहां पर जमींदारी समाप्त हो चुकी है यद्यपि पूर्णतया वे गांव थे। उनमें रहने वाले सारे के सारे खेती करने वाले थे। इस लिये यह आवश्यकता पड़ी कि जो इस प्रकार के गांव छूट गये हैं उनको भी वही लाभ दें जो दूसरी जगहों पर प्राप्त है जहां पर जमींदारी विनाश ऐक्ट लागू है।

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इसके पहले नियम बनाये गये थे कि जो गांव समाज की भूमि पर ट्रेसपासर्स होंगे उनको न केवल बेदखल किया जायगा बल्कि उन्हें हरजाने

के रूप में हेरिडिटरी रेस्ट का पचास गुना देना पड़ेगा । बहुत सी शिकायतें इस बात की आयीं कि बहुत से केसेज ऐसे हैं । ज्यादातर खयाल यह था कि हम उन्हीं लोगों को जमीन से बेदखल करेंगे जिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया है । चाहते यह थे कि जो ग्राम समाज की भूमि है वह भूमिहीनों को दी जाय और भूमिहीन के अलावा दूसरे लोग जिनके पास ज्यादा भूमि थी उन्होंने अपनी हैसियत या अधिकारों का दुरुपयोग करके, उन लोगों के पास पहुंच जाने दिया जिनको वास्तव में नहीं मिलनी चाहिये थी । और एक बात यह भी अनुभव में आयी थी कि जो लोग इस तरह से अनधिकृत कब्जा करते हैं वह सोचा करते हैं कि पांच गुना, दो गुना, तीन गुना लग भी गया तो जो देंगे, उससे जो एक साल में फसल पैदा होगी वह कहीं ज्यादा होगी । इस लिये इस कानून की अवहेलना करके बड़ी आसानी से जिन जमीनों पर कब्जा नहीं करना चाहिये कर लिया । इस लिये पहली सरकार ने यह नियम बनाया था कि जो लोग इस तरह से अनाधिकृत कब्जा किये होंगे उनसे हरजाने के रूप में ऐसी धनराशि लेंगे जिससे वह उनके ऊपर प्रिवेंटिंग काम करे, जो दूसरों को निरुत्साहित करे कि वह इस तरह का कब्जा न करें ।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

यह आलरेडी प्राविधान है कि जो नाजायज कब्जा किये रहेंगे उनसे जुरमाने के रूप में खासी रकम लेंगे । क्या रकम ले कर जमीन उन्हीं के पास पड़ी रहेगी? फिर चकबन्दी जहां जहां कर चुके हैं वहां एक परसेंट जमीन आबादी में हरिजनों के लिये देते हैं । फिर अगर किसी इंडिविडुअल की जमीन ले लेंगे तो वह अपनी खेती बारी से गया । हरिजनों के आवास की बात मैं कर रहा हूं ।

श्री उदितनारायण शर्मा---

हरिजनों के आवास की बात मैं समाप्त कर चुका । मैं यह कह रहा था कि पहले यह नियम बनाया गया था कि जिन्होंने अनधिकृत कब्जा किये होंगे उनको न केवल बेदखल किया जायगा बल्कि जुरमाने के रूप में जमीन के हेरेडिटरी रेंट का ५० गुना वसूल करेंगे । यह इस ख्याल से बनाया गया था कि दूसरे लोग इससे सबक लें और उनकी हिम्मत न हो कि वह ऐसा करें । लेकिन अनुभव ने यह बतलाया कि ये कार्यवाहियां जो हुईं उनके लपेट में कुछ खाते पीते लोग तो आये ही लेकिन उनके अलावा गरीब लोग, भूमिहीन खेतिहर मजदूर भी इतनी बड़ी तादाद में आ गये कि उनके लिये इतने रुपये हरजाने के रूप में देना असंभव सा हो गया । हमारे न्यायालयों में जो न्याय होता है वह जरूरी नहीं है कि शत प्रतिशत ठीक ही हो ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

पट्टों के देने के सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया था कि प्रधान को अधिकार होगा पट्टा देने का, क्या अब उससे अधिकार ले कर दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है या वही तरीका रखा गया है ?

(इस समय २ बज कर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए ।)

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह ठीक है कि अब तक यही प्राविधान था कि ग्राम समाज का सभापति अथवा लैंड मैनेजमेन्ट कमेटी इन पट्टों को देगी और यह लोग गलत पट्टे दे दिया करते थे । अभी तक मौजदा स्थिति यही है और कहीं-कहीं पर इस अधिकार का दुरुपयोग भी किया गया । उस दुरुपयोग को रोकने के लिये यह नियम बनाया गया है कि इस प्रकार के पट्टों को मान्यता तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक तहसीलदार या एस० डी० ओ० भी उसकी तसदीक न कर लें । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उससे यह भी आभास होता है कि मूलतः प्रश्न यह रह जाता है कि किसी हरिजन को पट्टा मिलना चाहिये और ग्राम समाज का सभापति अथवा लैंड मैनेजमेन्ट कमेटी उसे पट्टा देने में गुरेज करती है तो क्या परिस्थिति होगी ? यह प्रश्न विचाराधीन

[श्री उदित नारायण शर्मा]

है क्योंकि यह दिक्कत अपनी जगह सही है । अगर गांव समाज का प्रधान अथवा लैंड मैनेजमेन्ट कमेटी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो यह बात विचारणीय है क्या अधिकारियों को इस बात का अधिकार दे दिया जाय वे उस बात की परवा न करके अपनी तरफ से पट्टे दे दें । लेकिन अभी तक यह बात है नहीं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

यह जो भूमिहीनों पर मुकदमा चलता है और वह खास तौर से हरिजन होता है तो उन हरिजनों को उस जमीन का पट्टा दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह सही है कि १९६७ में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा १९८ के अन्तर्गत जितने भी पट्टे अनियमित हों उनको खारिज कर दिया जाय और खारिज करके जमीन ग्राम समाज को दिला दी जाय । उसमें अनुभव में यह आया कि जब वह पट्टे खारिज होने लगे तो न केवल उनके खारिज हुए जिनके पास जमीन थी उल्टे जिनके पास जमीनें थीं उन्होंने भी उन जमीनों के पट्टे करा लिये जो नियमानुसार भूमिहीनों के पास जानी चाहिये थी। इस कठिनाई को देखने के बाद शासन की ओर से एक विज्ञप्ति निकाली गई । मैं उस समय सन् १९६७ में भी राजस्व मंत्री के रूप में आपकी खिदमत करता था उस समय यह विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें हमारी तरफ से धारा १९८ जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के मातहत यह कहा गया था कि अधिकारी अगर चाहे तो स्वतः या किसी दूसरे की शिकायत पर या प्रार्थना पर जांच कर सकता है कि अमुक पट्टा नियमित है अथवा नहीं । सन् ६७ में जो पहले विज्ञप्ति हुई थी उसके अनुसार हम लोगों ने यह लाजिमी कर दिया था कि जितने भी जिलाधिकारी है और जितने भी अधिकारी उसके मातहत हैं उन सब का यह कर्त्तव्य होगा कि एक अवधि के अन्दर जितने भी पट्टे हुये हैं उन सब की जांच स्वतः करे और यह जानने के बाद कि वह पट्टा अनियमित है, स्वयं ही उन पर मुकदमा चलाये और मुनासिब कार्यवाही कराये अर्थात् जितने भी अनियमित पट्टे लिये हैं उनमें बेदखली कराये ।

मा यवर, दूसरी विज्ञप्ति यह निकाली गई थी कि अगर इस किस्म का अनधिकृत कब्जा किसी भूमिहीन ने किया है तो उसमें यही है कि उसमें बहुधा जितने भी लोग हैं या कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करने के बजाय बड़े आदमियों की अधिक मदद करते हैं और मान्यवर, जिनको हम चाहते भी हैं कि बेदखली की जाय, उनको भूमि मिले। तो श्रीमन्, दूसरी विज्ञप्ति यह निकाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया है अगर वे वह लोग हैं जो कि वास्तव में भूमिहीन हैं तो हमको स्वतः अपनी ओर से बेदखली नहीं करनी चाहिये । मैं यह भी तसलीम करना चाहता हूं कि उसका पालन जिस प्रकार होना चाहिये था वैसा नहीं हुआ । इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूमिहीन थे जिनको जमीन मिलनी चाहिये थी इसके बावजूद भी उनको बेदखल कर दिया गया । श्रीमन्, हम चाहते हैं और हमारी नीति भी यही है कि जो इस प्रकार के भूमिहीन व्यक्ति हैं अगर उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है तो उनको हमारी तरफ से बेदखल नहीं किया जायेगा । माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये वे भी काफी अपने में बल रखते हैं । इस बात के ऊपर भी विचार करना चाहिये कि यदि उन्हें बेदखल कर दिया जाय तो क्या यह समुचित होगा कि वह फिर से उन्हीं को दे दिया जाय यदि वास्तव में वे भूमिहीन हैं । ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जो इस समय पर्टिनेंट क्वेश्चन हैं और उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं । वे सारे के सारे मसले हमारे सामने हैं । उनको हमने देखा है और हम उनसे अच्छी तरह से अवगत हैं और हम चाहते हैं कि उनका निराकरण हम कर सकें ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो यह बेदखली का तरीका है उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है यह सब हो जाता है तो आपके कहने का मतलब यह है कि उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा और जिस जमीन को वे जोत रहे हैं उसे वे जोतते रहेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने आपसे ह निवेदन किया कि अब तक के जो नियम और कानून बने हुये हैं उनके मातहत अगर कोई पट्टा अनियमित किया गया है अर्थात् जो नियम लन्ड मैनेजमेंट कमेटी के बने हुये हैं उनको पट्टे देने की कार्यवाही करना आवश्यक है और उसको नहीं किया गया है या उसमें कोई कमी रह गई है तो वे अनियमित पट्टे कह दिये जाते हैं और उनको बेदखल किया जाता है। मैंने जैसा आप से निवेदन किया, हम चाहते हैं कि यदि कोई पट्टा किया गया है, उसमें अनियमितता वास्तव में बरती गयी है लेकिन फिर भी वह भूमिहीन के पास जमीन है तो हमारा पहले भी इरादा था और आज भी है कि हमारे सामने अगर इस किस्म के केसेज लाये जायंगे तो हम यह भी प्रयास करेंगे कि सरकार की तरफ से बेदखली न की जाय।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भूमिहीन हरिजन बेदखल न किये जायं और उन्हीं को पट्टा कर दिया जाय, इस नियम का सख्ती से पालन करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने यह निवेदन किया कि अभी तक इस कानून को हमने बदला नहीं है और जब तक कानून बदला नहीं है तब तक उस की आड़ में कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं। यदि हमारे नोटिस में आ जायं तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से वह कार्यवाहियां बन्द की जायंगी।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी मंत्री जी ने बताया इसके पहले कि हम जरूरत समझेंगे तो जमीन अक्वायर करके भी उनको देंगे, तो वह किसी की होगी, कैसे अक्वायर करेंगे ? क्या सीलिंग का इरादा नहीं है ? सीलिंग से बची हुई जमीन हरिजनों को देने का इरादा है या व्यक्तिगत अक्वायर करेंगे या सामूहिक करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, इरादा यह है कि सीलिंग से बची हुई जमीन जो है यदि अभी बाकी है, मिल सकती है, तो निश्चय, निस्संदेह हम इस काम को करेंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

जब तक आप सीलिंग ऐक्ट को नहीं बदलेंगे उस समय तक आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे, वह तो जमीन वालों को ही जमीन जायगी।

श्री उदित नारायण शर्मा--

इस किस्म के लूपहोल्स उसमें नहीं हैं। जो सीलिंग से बची हुई जमीन है उसको लेकर उसमें जहां तक ग्राम समाज की भूमि है उसमें जरूर हैकि प्रधान जब तक पट्टे न दें उसको हम नहीं दे सकते, लेकिन सीलिंग से बची हुई जमीन जो है उसको तो हमारे अधिकारी पट्टे पर देते हैं। इसलिए उसका नियंत्रण करना हमारे हाथ में है। यह बात दूसरी है कि ऐसी कोई जमीन हो जो सीलिंग से बची हो पर उसको इस काम के लिए लिया नहीं जा सकता तो ऐसी सूरत में तो सीलिंग से बची हुई कोई जमीन उपलब्ध ही नहीं है।

श्री महीलाल---

मेरा मतलब यह था कि सीलिंग की जमीन किसे दी जायगी ? उसकी तो आपने प्रायोरिटी कर दी है, मुस्तकिल सेटिलमेंट कर दिये हैं आपके अधिकारियों ने ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

हमने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा है कि सीलिंग से बची हुई जो जमीन है उसमें हम देखेंगे। यह उसके बाद का कानून है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री रामबिलास पांडेय---

हमारा स्पष्टीरकरण नहीं हो सका। मैं जानना चाहता था कि आप किसकी जमीन अक्वायर करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

आज यहां खड़े होकर कैसे बता दूं कि फलां गांव में फलां आदमी की जमीन अक्वायर की जायगी। जो जमीन किसी गांव में यदि अन्यथा उपलब्ध नहीं है तब फिर उनके आवास के लिए जो उचित पग होगा वह लिया जायगा। जहां तक संभव होगा बड़े काश्तकारों से ही ली जायगी। बड़े काश्तकारों से मिल सकेगी जहां, वहां छोटे काश्तकारों की कभी नहीं लेंगे।

एक सदस्य---

जहां पर चकबन्दी हो गयी है और जहां पर हरिजनों की आबादी है और उनका एक चक बन गया है तो आप उन्हीं की जमीन अक्वायर करेंगे। तो ऐसी हालत में जहां चकबन्दी हो गयी है और चकबन्दी में आबादी कट गयी है, क्या आप पुनः विचार करके आबादी के लिए जमीन लेकर पुनः चकबन्दी में परिवर्तन कर देंगे या पुनः चालू कर देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

चकबन्दी कराना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में हमारे सामने ऐसे उदाहरण आयेंगे जिन में इस तरह की खामियां हुई हैं जैसे कि सदस्य ने कही है। इसलिए यह संभव नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जब हमने एक यह निर्णय ले लिया कि यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम हर खेतिहर मजदूर को, हर भूमिहीन को, हर हरिजन को उसके रहने के लिए उसका मकान जिस पर बना हो ऐसी जमीन का मालिक बनायेंगे तो फिर हम उन सभी उपायों को करेंगे कि जिससे हमारा अभीष्ट सिद्ध हो जायेगा।

अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने कट मोशन आयेंगे, उनके बारे में भी चर्चा होगी, उसके बाद अगर माननीय सदस्य कोई स्पष्टीकरण मुझसे मांगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पहले मुझे अपना भाषण समाप्त कर लेने दिया जाय।

श्री रघुनाथ सिंह---

मान्यवर, मेरा कटमोशन नहीं है। एक उपयोगी और आवश्यक सूचना मैं चाहता था।

श्री अधिष्ठाता---

पहले आप माननीय मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त कर लेने दें, उसके बाद जितनी भी बात आप पूछना चाहें पूछ लें।

श्री रघुनाथ सिंह---

एक सीधी सी बात थी। हरिजनों और भूमिहीनों द्वारा अनधिकृत कब्जे के संबंध में जो पेनाल्टी लगायी गयी है, उसके बारे में था।

श्री अधिष्ठाता---

पहले आप उनको अपना भाषण समाप्त कर लेने दें।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मेरा यह निवेदन है कि मैं बहुत सूक्ष्म में अपने प्रारम्भिक भाषण को समाप्त कर दूंगा ताकि इधर के और उधर के माननीय सदस्यों के सुझाओं और आलोचनाओं को मैं सुन सकूं और सब को सुनने के बाद, जहां तक संभव होगा इस बात की कोशिश करूंगा कि उन सब का जवाब दे सकूं।

मैं यह कह रहा था कि हमारी ओर से यह अनेक बार कहा जा चुका है और कुछ कट मोशन भी इस बारे में हैं कि इस समय हमारे यहां जो मालगुजारी के कानून हैं वे बहुत अच्छे नहीं हैं और बहुत सी जगह तो लोगों को लाभ होने के बजाय नुकसान हो जाया करता है। उसके लिये हम एक नया रेवेन्यू कोड बना रहे हैं। रेवेन्यू के बारे में १३ अलग-अलग जो कानून थे उनको एक में ही समावेश करने का विचार है। इस रेवेन्यू कोड का काफी हिस्सा बनाया जा चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। वह हिस्सा जब पूरा हो जायगा तो जल्दी से जल्दी सदन के सामने रख दिया जायगा।

श्रीमन्, दो और अहम विषय हैं, उनके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि उन दोनों पर पिछले २–४ दिनों में काफी चर्चा हो चुकी है।

उनमें से एक बात तो है शहरी संपत्ति पर सीमा लगाने की और दूसरी आज तक जमीनों पर जो सीमा लगायी गयी है उसको कम करने की बात है। दोनों बातों को करने का हमारा इरादा है, हमारा संकल्प है, दोनों हमारे विचाराधीन हैं। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों कानून इस किस्म के होंगे कि अगर हम उनको जल्दी में पास कर दें तो यह संभव हो सकता है कि हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और यह भी संभव है कि जितनी छानबीन के पश्चात् ये कानून बनने चाहिये उतनी छानबीन किये बिना उनको पास कर दिया जाय तो हो सकता है उनमें कुछ कमी रह जाय और उनके द्वारा जिन लोगों को हम आराम पहुंचाना चाहते हैं, उनको तकलीफ हो जाय। इसके लिये जरूरी होगा कि हम अन्य सूबों में जो इनके बारे में कानून बने हैं उनको भी देखें और आज तक उनके बारे में जो आक्षेप या सुझाव आये हैं उनको भी देखें। इसलिये सारे पहलुओं पर विचार करने के लिये एक सब-कमेटी बना दी गयी है। यह कमेटी जल्दी से जल्दी सारी बातों को देख कर उसको समाप्त करने की कोशिश करेगी तथा जल्दी से जल्दी सदन के सामने विधेयक के रूप में उसको लाया जावेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आपने अभी कहा कि सीलिंग के मामले में कानूनी दिक्कत है और जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिये (व्यवधान)

सर्वश्री रूपनाथ सिंह यादव तथा रघुनाथ सिंह दोनों एक साथ बोलने लगे।)

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से बड़ी नम्रता से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके सम्मुख यह सभी कटौती के प्रस्ताव हैं जो आज यहां पेश होने वाले हैं। यदि आप देखेंगे तो यह विषय उसमें है। उसके ऊपर चर्चा होगी और अपने अपने खयालात का इजहार सदस्यगण करेंगे। उसके बाद जो मैं चाहूंगा वह निवेदन करूंगा। इसलिये कृपा करके मुझे इसको समाप्त कर लेने दें।

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हम जिन जमीनों पर अवैध कब्जे थे उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ३ लाख ५३ हजार एकड़ भूमि ऐसी थी जिसमें से २ लाख १ हजार

[श्री उदित नारायण शर्मा]

एकड़ भूमि पर बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है और शेष १ लाख ५२ हजार एकड़ भूमि से कब्जा हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। जितनी भूमि से कब्जा हटाया जा चुका है उसमें से १ लाख ३ हजार एकड़ भूमि के पट्टे लिखे जा चुके हैं और शेष ९० हजार एकड़ भूमि पट्टे पर उठाने की कार्यवाही जारी है।

यह कार्य हैं जिनको हम करना चाहते हैं। इन्हीं कार्यों के सम्पादन के लिये श्रीमन् के सामने मैंने यह राजस्व विभाग का बजट पेश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसको अपनी स्वीकृति देने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

अब श्री जयराम यादव अपना कटौती का प्रस्ताव रखेंगे। उसमें सभी कटौतियों का समावेश हो जायगा।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १--वृहत् जोत कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-स्वच्छ प्रशासन तथा वैकल्पिक सुझाव देना।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य संक्षेप में कहेंगे क्योंकि आज बहुत अधिक समय और कार्यों में बीत चुका है।

श्री जयराम यादव--

मैं आपकी आज्ञा से इसी के साथ-साथ अनुदान संख्या २ के बारे में भी अपना कटौती का प्रस्ताव पेश कर दूं ?

श्री अधिष्ठाता--

जी हां।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह चर्चा कब तक चलेगी ?

श्री अधिष्ठाता--

साढ़े ४ बजे तक।

श्री जयराम यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--भू-राजस्व के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, इस विभाग की तरफ से कार्य विवरण की पुस्तिका दी गयी है अनुदान संख्या १ के बारे में। मैं सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि कृषि आय कर के मद में जो रकम वसूली गयी है, वह है २२,०७,७०५ रुपये और बकाया की राशि है ८०,८८,५५१ रुपये। इससे स्पष्ट है कि वसूली की प्रगति बहुत धीमी है और बकाया की धनराशि वसूली से साढ़े तीन गुना अधिक है। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, जो पुराने जमींदार हैं उनसे वसूल करने में सरकार की नीति बहुत ढीली है। उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही नहीं होती, लेकिन किसी भी छोटे

किसान के जिम्मे अगर थोड़ी सी भी रकम रहती है तो सख्त से सख्त मेजर्स, जानवर कुर्क करने के और उसको भी जेल में बन्द किया जाता है। मैं अपने यहां करोढ गांव की एक मिसाल दूंगा कि वहां के निवासी महादेव को ३०.३६ रुपये के लिये वसूली न होने पर बन्द कर दिया गया और उसके साथ यह भी रियायत नहीं की गई कि उसको कुछ समय ही दे दिया जाता। उस के बैलों को कांजी हाउस में बन्द किया गया। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अन्त में अपने भाषण मे बतायें कि कृषि आय कर की वसूली में राज्य सरकार ने दिसम्बर, ७० तक किसी भी बड़े आदमी को बन्द किया और उनके खिलाफ कौन से कोअर्सिव मेजर्स उठाये।

इसके अलावा आय कर निर्धारण की पद्धति बहुत त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है। तहसील में जिनके ऊपर कर निर्धारण होता है वह झूठी गवाही दे कर जमीन के गलत और फर्जी बटवारे की बात लाकर रख देते हैं और जमीन में भिन्न भिन्न-लोगों को हिस्सेदार बता देते हैं और कह देते हैं कि वह फलां फलां रिश्तेदार के कब्जे में है जबकि वास्तव में अधिकारपत्रों में जमीन उन्हीं के नाम रहती है और नतीजा इस का होता है कि इस फर्जी बटवारे के नाम पर उचित कर उन पर नहीं निर्धारित हो पाता और इवेजन को प्रोत्साहन मिलता है। इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि इस तरह के मामलों में एक विशिष्ट अधिकारी के द्वारा सारी आपत्तियां सुनने के बाद जांच कराई जाय, साक्ष्य आदि लिये जायं जो कम से कम असिस्टेंट कलेक्टर और फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की पावर जिसके पास हों और जो हाकिम परगना के स्टेट्स का हो।

इसके अलावा बागों की जो मालियत है और उनके संबंध में जो साढ़े १२ गुने की पद्धति है उस के मुताल्लिक भी थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। जब से यह कलमी बाग लगाये गये हैं और अब इधर ज्यादातर कलमी बाग ही लगे हैं और उनके मालिकान को अब काफी आय होती है। जमींदारी समाप्त होने से पहले और सन् ६३ से पहले जब से यह अधिनियम लागू किया गया है तब से अब तक बागों की आय में काफी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि माननीय सदस्य हमें सुझाव दें कि कौन से कर लगाये जायं और कैसे सरकारी आय बढ़ सकती है। मेरा कहना है कि यह बागों पर जो कर लगाया जा रहा है उस की मात्रा बढ़ाई जाय क्योंकि उनके मालिकान में कर देने की क्षमता है। दिसम्बर, ७० तक लगभग ८० लाख रुपया बाकी हैं और वसूल नहीं हुआ है।

दूसरी मांग भू-राजस्व के सम्बन्ध में है और वह प्रदेश की ८७ प्रतिशत जनता से संबंधित है। इस संबंध में अपने सुझाव को मैं २ भागों में विभक्त करूंगा। देश की आजादी के बाद भूमि सुधार के संबंध में जो कानून बनाये गये उनमें क्या प्रगति हुई और दूसरे जो हमारी माली की अदालतें हैं उनके बारे में मैं कहूंगा। आजादी के बाद कुछ इस तरह से चला कि बहुत ज्यादा मुकदमों में गरीब किसान को फंसना पड़ा है और परेशान होता है। वह अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं खा पाता और तरह तरह के मुकदमें उस पर चलते हैं। उन मुकदमों को कम करने के उद्देश्य में इन कानूनों से और सुधारों से कोई कामयाबी नहीं मिली। अगर आप आंकड़ों को देखें तो सन ६९ में विभाग की तरफ से एक सूचना गई कि तमाम मुकदमें जो कागजात दुरुस्ती के है और गैरनिजाई हैं उनका निबटारा २-३ मास में हो जाना चाहिये लकिन देखना यह है कि क्या इस नियम का पालन हुआ है। आज तहसील में तरह तरह के जो मुकदमें चले हुए हैं वे बहुत अनावश्यक हैं। जैसे भूमिहीन को जो भूमि पट्टे पर दी हुयी है, या दी जाती है तो कागज में उनका नाम दर्ज करने के लिये दाखिल खारिज के मुकदमे चलाने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में जमींदार जब काश्तकार को जमीन पट्टे पर देता था तो लैन्ड रिकार्ड मैनुअल में यह नियम था कि उसके आधार पर खतौनी में उसका नाम पटवारी दर्ज कर लेता था लेकिन अब पट्टे लेने वाले को अपना नाम दर्ज कराने के लिए तहसील में दाखिल खारिज की प्रार्थना करनी पड़ती थी। यह अनिवार्य है। अब तो नायब तहसीलदार से नीचे के रैंक का पट्टा रजिस्ट्री नहीं करता है। मैं चाहूंगा कि सुपरवाइजर

[श्री जयराम यादव]

कानूनगो उस पट्टे के आधार पर उसका नाम दर्ज कर ले और उसको मुकदमा चलाने की जरूरत न हो।

बगैर निजाई के मुकदमें, जैसे एक आदमी मर गया तो उसके वारिसान को अपना नाम दर्ज कराने के लिए तहसील में जाना पड़ता है। इस तरह के दाखिल खारिज के मुकदमे अगर आप पूरे प्रदेश की तहसीलों से इकट्ठे करें तो लाखों की तादाद में हो जायेंगे, जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तहसीलों में भरा हुआ है कि बयान नहीं किया जा सकता है। मिसाल के रूप में मैं कुन्डा तहसील को लेता हूं, वहां पर १२ १/२ रुपया अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। मछली शहर में भी जांच करने से मालूम हुआ कि गैर निजाई के मुकदमों में २५ रुपया अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। कहीं पर यह १२ १/२ रुपया है, कहीं पर २५ रुपया है और कहीं पर ५० रुपये तक है। शासन ने गैर निजाई मुकदमों की अवधि २ महीने रखी थी लेकिन कहीं पर उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर हमारे मंत्री जी जिलों से सूचना मंगाये तो पायेंगे कि ऐसे गैर निजाई मुकदमें २ साल से विचाराधीन हैं जिनमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल लेखपाल का बयान न होने के कारण तय नहीं हो पाते हैं। जब तक काश्तकार लेखपाल को ५० रुपया या १०० रुपया, जो उससे तय होता है, नहीं देता तब तक वह अपना बयान देने के लिए कचहरियों में नहीं जाते हैं। राजस्व परिषद् का आदेश है कि गैर निजाई मुकदमों में लेखपाल का बयान होना जरूरी है। हालांकि लेखपाल केवल यह बयान देता है कि कागज में पट्टे पाने वाले के नाम में साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा दर्ज नहीं है जबकि लैण्ड रेवेन्यु ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि उसे एक शपथ पत्र देना पड़ता है कि उसके पास १२ १/२ एकड़ से कम जमीन है तो लेखपाल के बयान को समाप्त कर दिया जाय।

दाखिल खारिज के मुकदमों के बारे में लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३३ में यह संशोधन १९६८ में किया गया है जिसके तहत सुपरवाइजर कानूनगो को मौके पर जांच करके मरे हुए व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसा अनुभव में देखा गया है कि सुपरवाइजर कानूनगो जिसका नाम खाते में दर्ज कर देते हैं, वहीं दूसरा आदमी जिसको आपत्ति होती है एक साल, दो साल, छः महीने जब भी वह जाता है धारा ३४ में आकर तहसीलदार के यहां एक दाखिल खारिज का मुकदमा दाखिल कर देता है। दो बात हुई, एक तो यह कि धारा ३३ के अन्तर्गत सुपरवाइजर कानूनगो मौके पर जाकर दाखिल खारिज का आदेश करता है लेकिन धारा ३४ में इस प्रकार का प्राविजन दिया गया है जो कान्टेस्टेड केसेज हैं जिसमें विरोध है वह कान्टेस्ट पैदा करके दूसरा मुकदमा दायर कर सकता है। इससे दो तरह की बातें चलती हैं। यद्यपि धारा ३३ में सुपरवाइजर कानूनगो को जो अधिकार उसमें दिया है उसके विपरीत अपील का प्राविधान उसमें नहीं है। लेकिन धारा ३४ में स्वतः अपने अधिकारों का पालन करने के लिये कोई भी आदमी आपत्ति लिख कर एक मुकदमा खड़ा कर देता है। इस तरह से दूसरा मुकदमा हुआ और दाखिल खारिज के मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है।

इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कलेक्टर को जो अधिकार दिया गया है यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में इसमें कलेक्टर को अपने परगने के सारे भूमि के बारे में जितने अभिलेख हैं खसरा, खतौनी तथा अन्य रिकार्ड्स इन सब को शुद्ध करने का स्वतः उनको अधिकार दिया गया है तथा अगर कोई आदमी मर जाता है उसके वारिस को अथवा कोई आदमी बैनामे से जमीन हासिल करे, मौजूदा व्यवस्था में यह दिया गया है कि तहसील में वह अपना नाम दर्ज कराने के लिये ऐसा करे। हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि जिस वक्त कोई शख्स बैनामा ले उसको केवल इतनी सूचना देनी चाहिये तहसीलदार को कि हमने फलां शख्स की इतनी बीघे जमीन ले ली है। कानून में इस तरह

संशोधन किया जाय कि तहसीलदार उस बैनामे से उस आदमी को हासिल कराये। लेखपाल कानूनगो को बुलाकर उस आधार पर तरमीम करने का आदेश दे।

श्रीमन्, तहसील में जितने मुकदमे हैं उसका फैसला किया जाता है पर उसमें स्वामित्व का निर्णय नहीं होता। वे रेगुलर केसेज नहीं हैं। वे सरसरी मुकदमे हैं। यह एस० डी० ओ० का कर्त्तव्य है कि वह सही रिकार्ड मेन्टेन करे तहसील की घूसखोरी को समाप्त करने के लिये यह ज्यादा जरूरी है कि इसकी पाबन्दी तहसीलदार पर की जाय। वह स्वतः दाखिल खारिज की कार्यवाही करे। किसी पक्ष को जो सम्बन्धित काश्तकार है उस पर अनिवार्य न किया जाय, उसे व्यय करने की अथवा लेखपाल के बयान कराने की, यानी उसकी सारी जिम्मेदारी हटाकर केवल तहसीलदार को दे देने से यह नतीजा निकलेगा कि जो तहसीलदार के मुकदमे हैं जिनकी संख्या बढ़ जाती है वह नहीं बढ़ेगी। आये दिन किसान परेशान हो रहा है वह समाप्त हो जाता है।

इस सम्बन्ध में श्रीमन्, जो शिकायत है सबसे बड़ी वह लेखपाल के बारे में है खसरा, खतौनी की नकल देने में माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर बतायेंगे कि लेखपाल पांच रुपये से पचास रुपये और कहीं कहीं सौ रुपये ले लेते हैं। लेखपाल के चंगुल से छुड़ाने के लिये हमारा आपका सबका उद्देश्य होना चाहिये कि हम कैसे लेखपाल से काश्तकार को राहत दिला सकें। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से छपे छपाये फार्म समन के या इश्तहार के या रेवेन्यू कोर्ट्स से सम्बन्धित अन्य फार्म जाते हैं छपकर, उसी तरीके से लेखपाल को खसरा और खतौनी का जो प्रेस्क्राइब्ड (prescribed) फार्म है वह छपकर रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से हर लेखपाल को मिलना चाहिये और खरीफ और रबी की पड़ताल के बाद ही अनिवार्य रूप से यह आदेश प्रदान किया जाय कि खातेदार को उस पड़ताल के बाद खतौनी ना और खसरे की प्रतिलिपि वह स्वतः प्रदान करे। उसे मांगने की जरूरत न पड़े। इसमें मौजूदा जो व्यवस्था है, खतौनी के लिए लेखपाल को ५० पैसे मिलने चाहिये और खसरा के लिए २५ पैसे। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर लार्ज स्केल पर यह अनिवार्य कर दिया जाता है तो हर काश्तकार को हर पड़ताल के बाद खसरा, खतौनी देना चाहिये। उससे उसे पैसा भी मिलेगा और काश्तकार को भी इंतखाब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लेखपाल पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पायेगा।

कोई आदमी बैंक में रुपया जमा करता है तो उसको पास बुक मिलती है ताकि जमा धनराशि की उसे जानकारी रहे। लेकिन जो जोत बही मिली है इसका क्या उपयोग हुआ? अगर काश्तकार किसी की जमानत के लिए जाता है या ऋण लेने में कोई जामिनदार होता है या खाते के बारे में कोई मुकदमा चलाता है तो उसमें जोतबही का कोई उपयोग नहीं है। अगर जुडीशियल अफसर या मुन्सिफ के इजलास में अपने स्वामित्व के प्रमाण में उस खतौनी को दाखिल करे तो दो आपत्तियां की जाती हैं। एक तो करैन्ट नहीं रहती और दूसरे यह कहा जाता है कि पुरानी हो गयी, एवीडेन्स ऐक्ट की किस धारा में इसको माने। रेवेन्यू कोड मैनुअल में इस आशय का संशोधन नहीं किया गया है। काश्तकार अगर कोई मुकदमा दायर करे, २२९-बी का, बटवारे का या अन्य कोई मुकदमा दायर करे तो मौजूदा व्यवस्था यह है कि उसे करेन्ट खतौनी दाखिल करनी चाहिये। इसमें संशोधन नहीं हुआ है। यद्यपि व्यवस्था यह है कि लेखपाल जोतबही में परिवर्तन कर दिया करे लेकिन क्या आप समझते हैं कि लेखपाल अपने कर्त्तव्य क पालन करता है? जोतबही अभी सब को दी भी नहीं गयी हैं। जिनको दी गयी हैं उनके घर पर पड़ी हैं। जिस उद्देश्य के लिए उसको वितरित किया गया उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए लेखपाल से छुटकारा दिलाने के लिए अनिवार्य रूप से खसरा, खतौनी दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये और कानून में संशोधन किया

[श्री जयराम यादव---]

जाना चाहिए ताकि जोतबही का प्रयोग किया जा सके। जो मौजूदा व्यवस्था है इसमें संशोधन होना चाहिए।

जमींदारी एबालीशन ऐक्ट जब आया था यह समझा गया था कि साथ ही साथ भूमि के वितरण सम्बन्धी कानून भी बनेगा और जो जमीन खाली हो जायगी वह भूमिहीनों को दी जा सकेगी और इतनी जमीन खाली हो जायेगी कि जो भूमि हीन हैं उनको हम काफी जमीन दे सकेंगे। चालीस लाख लोग ऐसे हैं जो खेतिहर मजदूर हैं या जिनके पास कोई जमीन नहीं है। यह कल्पना की गयी थी कि सीलिंग से इनको जमीन मिलेगी। लेकिन श्रीमन्, बड़े-बड़े जमींदारों ने, बड़े-बड़े खातेदारों ने जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उन्होंने अपनी जमीनों को बचाने के लिए गलत लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिया। अपने कुछ नौकरों के नाम कर दिया, कुछ फर्जी ट्रस्ट, वक्फ कायम कर दिये। सीलिंग के कानून को बिलिटिल करने के लिए, ताकि उन पर उसका प्रभाव न पड़े। उन्होंने तरह-तरह के हथकन्डे अपनाए।

श्रीमन्, १९७० में राज्य सरकार की तरफ से एक सर्वे किया गया था। उसको सम्बन्ध में अखबारों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसका कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। पहले वाक्य में रिपोर्ट में कहा गया है --

"Imposition of Ceiling on Land Holdings Act enforced eleven years ago is an in Operative law.'

तो सीलिंग का कानून तो बन गया परन्तु जैसी हम कल्पना करते थे वह नहीं हुआ और उसका अधिक प्रभाव नहीं हुआ। पूर्वी जिले के एक काश्तकार थे। उनके पास ५,००० एकड़ जमीन थी। दिसम्बर, १९७० में एक कमेटी इसकी जांच करने के लिये गई थी मगर पता यह चला कि ५,००० एकड़ फार्म को बचाने के लिए ५०० एकड़ तो उन्होंने निजी चरागाह के लिए छोड़ दी और बकाया जमीन को अपने नौकरों के नाम रख लिया। उस जमीन को नौकर न ले लें इस कारण उन्होंने नौकरों से २०,००० और २५,००० रुपये के प्रोनोट लिखा लिये ताकि जमीन उनके हाथ से न चली जाये। फर्जी स्कूलों के नाम जमीन रख दी गयी। मैं निजी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि इन लोगों ने प्राइमरी स्कूलों व जूनियर हाई स्कूलों के नाम २००-३०० बीघा जमीन लिख दी और वास्तव में जमीन पर उनका कब्जा बना हुआ है। तो सीलिंग के बारे में बड़ा जिक्र हुआ है। मुख्य मंत्री जी का मिर्जापुर में १०,००० एकड़ का फार्म बना हुआ है। एक तरफ तो इतने बड़े-बड़े फार्म लिये हुये हैं और दूसरी तरफ सीलिंग की बात करते हैं। हमें विश्वास नहीं है कि वे ऐसा करेंगे। जहां तक संयुक्त सोशलिस्ट दल का सवाल है वह तो १० बीघे तक की जोत को अलाभकर मानता है। हम तो यह मानते हैं कि इसके तीन गुने यानी ३० बीघे जमीन से ज्यादा किसी के पास नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त जितनी जमीन बचे उसको भूमिहीनों में वितरित कर ा चाहिये। सीलिंग ऐक्ट का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये। अगर कड़ाई के साथ पालन किया जाता है तो काफी जमीन निकल सकती है और इस तरह से भूमिहीनों को राहत दी जाती सकती है।

जहां तक चकबन्दी का उद्देश्य है उसके बारे में तो मैं यह कह सकता हूं कि वह बड़ा ही अच्छा उद्देश्य है ताकि किसी एक आदमी के सब चक एक ही जगह पर हो जायं और सिंचाई तथा अन्य साधनों के मिल जाने पर पैदावार भी अधिक बढ़ेगी। चकबन्दी के सिलसिले में जितनी गड़बड़ियां हैं और जितना भ्रष्टाचार है उससे किसान चकबन्दी के बहुत खिलाफ है। चकबन्दी को दिल से कोई नहीं चाहता है। चकबन्दी से सार्वजनिक हित की जितनी जमीन छोड़ी गयी है चाहे गूल के लिये, नाली के लिए या चक रोड के लिए, चकबन्दी का आपरेशन समाप्त भी नहीं हो पाता है, कि उससे पहले ही उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं। सर्वजनिक हित की जितनी जमीन छोड़ी गयी है इस वक्त वह कागज में तो हो सकती है लेकिन मौके पर नहीं है। आपने ८ प्रतिशत जमीन चकबन्दी से अलग रखी है। अगर जमीन

इससे अधिक बचती है तो उसे भूमि-हीनों में वितरित की जानी चाहिए और तुरन्त ही उस जमीन के चक भूमि-हीनों के नाम काट देने चाहिए और खाते में इस आशय का इन्दराज हो जाना चाहिए। इस समय मौजूदा व्यवस्था क्या है ? जिस गांव में चकबन्दी होती रहती है उस समय पट्टा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। चकबन्दी वाले कहते हैं कि पट्टा देना उनका काम नहीं है, तहसील वाले कहते हैं कि यह उनका काम नहीं है बल्कि भूमि प्रबन्धक समिति का यह अधिकार है। जमीन तो छोड़ी जाती है ग्राम समाज के लिए। चकबन्दी का आपरेशन खत्म भी नहीं हो पाता है कि लोग जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेते हैं। इस जमीन पर वही लोग कब्जा कर लेते है जिनके पास ज्यादा जमीन पहले से होती है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हरिजनों की आबादी के लिए मन्त्री जी ने बताया कि कुछ कार्यवाही हो रही है और हरिजनों को जमीन देने के सिलसिले में क्रान्तिकारी कदम उठाये जा रहे हैं। गांवों में बहुत से लोग रहते हैं जो कि गांव वालों की सेवा करते हैं जैसे धोबी है, धोबी को कपड़े धोने क लिए और उनको सुखाने के लिये जमीन चाहिये, मगर कोई जमीन नहीं छोड़ी गयी है और न कोई व्यवस्था ही की जा रही है। कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी निकालता है, मगर उसको जमीन देने की कोई व्यवस्था नहीं कीजा रही है। वह मिट्टी कहां से निकाले ? इसी प्रकार गांवों में बढ़ई और कुम्हार भी रहते हैं और उनके लिए भी जमीन की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हरिजनों के लिये तो कुछ व्यवस्था की जा रही है मगर वहां पर तो अन्य लोग भी रहते हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है और उनको जमीन की आवश्यकता है।

अब मैं भूमि अधिग्रहण के सवाल के बारे में कहना चाहता हूं। सन् १९५७ में प्रतापगढ़ इलाहाबाद–उन्नाव रोड का विस्तार किया गया था।

किसानों की जो जमीग ली गई उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। जमीन एक्वायर करने के संबंध में मेरा सुझाव है कि जब तक काश्तकार को मुआवजा न मिल जाय उसके कब्जे से जमीन न ली जाय। होता क्या है कि नहर विभाग है, पी० डब्लू० डी० है, यह जिस जमीन को चाहते हैं एक्वायर कर लेते हैं, नहर खुद जाती है, सड़क बन जाती है लेकिन काश्तकार को दो तीन साल या कभी कभी १० साल दौड़ना पड़ता है। देवरिया जिले की पडरौना तहसील से सूचना मिली है कि वहां से २०० परवाने भेजे गये लेकिन बाद में पता लगा कि उनका कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है और परवाने फरजी थे।

श्री उदित नारायण शर्मा––

इसको कृपा कर साफ कर दें।

श्री जयराम यादव––

देवरिया जिले में पडरौना तहसील में २०० परवाने दफा २२९ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत जारी होकर गये और उन के बारे में लेखपाल और कानूनगो परिवर्तन करने लगे। काश्तकारों को मालूम हुआ तो आये और छानबीन की जिससे पता लगा कि इन परवानों के संबंध में जिन इजलास में यह दायर बताये गये थे वहां कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था, तो यह लेखपाल की गलती है या तहसील की है ? हां, तो मैं निवेदन कर रहा था कि मुआवजा नहीं दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य अब समाप्त करें, समय बहुत अधिक हो गया है।

श्री जयराम यादव––

यह कटौती का जो मेरा प्रस्ताव है उसको मैं पेश करता हूं और और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री रियासत हुसैन की ओर इशारा करते हुये) १० मिनट मिलेंगे ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

राजस्व मंत्री जी ने अनुदान की मांग की है और कटौती के प्रस्ताव में माननीय सदस्यों ने सुझाव प्रस्तुत किये हैं । इस समय प्रदेश के अन्दर जो जमीन का मसला है वह गम्भीर हो गया है और उस पर पुराने कायदे कानून लागू होने के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है । सबसे पहली बात तो यह है कि इस बात को सोचना चाहिये कि जो सेटिलमेंट अंग्रेजों के जमाने में हुआ था उससे हम आज भी गाइड होते हैं । १९७३ करोड़ रुपया प्लानिंग पर खर्च कर दिया गया, सिंचाई का भी खर्चे का परसनटेज बढा और दूसरी चीजों में प्रगति हुई, जमीन की तरक्की हुई लेकिन आज भी लैंड रिकार्ड पुराने से ही हम गाइड होते हैं, जमीन के पुराने सर्किल रेट से ही गाइड होते हैं । तो आज जरूरत है कि नया सेटिलमेंट पूरे सूबे का हो जिससे पता लग सके कि जमीन की किस्म में क्या-क्या तब्दीलियां हुई हैं । कौन सी अनइकानामिक होल्डिंग्स हैं, जमीन की कितनी तरक्की हुई है और लगान कितना बढ़ाया जाना चाहिये । यह सेटिलमेंट पूरे सूबे का जितनी जल्दी हो जाय उतना अच्छा है । देखने में यह आया है कि उसी वक्त का बना हुआ लैंड रिकार्ड मैन्युअल है जिसके आधार पर रेवेन्यू बोर्ड काम करता है । मैं यह नहीं समझ पाया कि रेवेन्यु डिपार्टमेंट में सुप्रीमेसी किस की है । रेवेन्यु बोर्ड सुप्रीम है या कि सरकार सुप्रीम है ? हरेक कागज रेवेन्यु डिपार्टमेंट का रेवेन्यु बोर्ड से ताल्लुक रखता है । जो कागज रेवेन्यु बोर्ड के अन्दर चला गया तो ऐसा मालूम होता है कि वह टी०बी० के मरीज की शक्ल में जाकर वहां दफन हो गया । चाहे किसी किसान की जमीन का मुआवजे का सवाल हो वहां से सड़क निकली हो, नहर निकली हो या इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी हो [illegible] ठ से द [illegible] स उ में [illegible] ते हैं। इसलिये कि रेवन्यु बोर्ड फाइनल नहीं कर पाता । इसलिये इस रेवेन्यू बोर्ड का ओवरहाल होना निहायत जरूरी है और अगर इसको एबालिश भी कर दिया जाय तो कोई कमी की बात नहीं होगी । दूसरा मेरा यह सुझाव था ।

तीसरी चीज यह है कि जो लैंड मैन्युअल बना हुआ है वह भी बहुत पुराना है । कहीं नेचुरल कैलामिटीज आती हैं सूखा, बाढ़, गरमी या अब की मई जून की बारिश की शक्ल में और ऐसी चीजें हैं जो हर साल किसी न किसी शक्ल में आती रहती हैं । लेकिन जब रिलीफ का सवाल आता है तो आपकी लैंड रिकार्ड मैनुअल हैं जिसमें एक खाते को यूनिट मानकर चलते हैं कि उस खाते में कितना नुकसान हुआ । इसके अन्दर भी और खाते हैं कि उसमें कितने फीसदी ज्वार बोयी थी और अगर उसमें ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान आया तो उसको रिलीफ मिले । यह ऐसा कैलकूलेशन है कि इसमें चाहे खरीफ का कितना ही नुकसान हुआ हो रिलीफ के लिये आ ही नहीं पाता जब तक कि कोई एक्स्ट्रा आर्डीनरी बात न हो । लिहाजा मेरा यह कहना है कि उसको एक खाता न मानकर गांव को यूनिट मानकर रिलीफ दें । आप देखें कि इस गांव में ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ या नहीं । अगर आप इस तरह से देखेंगे तब तो खरीफ के अन्दर कोई रिलीफ किसान को मिल पायेगा वरना तो कोई रिलीफ उसको मौजूदा कैलकुलेशन के तरीके से नहीं मिलेगा जब तक कि उसका हन्ड्रेड फीसदी नुकसान न हो ।

चौथी बात यह कि सीलिंग का सवाल है । सीलिंग से पहले सैटिलमेंट होना जरूरी है। यह देखें कि किस हिस्से में कौन सी जमीन अनइकनामिक है । मेरठ के अन्दर ३० एकड़ की सीलिंग कर दें तो ठीक है । मेरठ डिवीजन या रुहेलखंड के जो जिले में वहां ३० एकड़ ठीक है लेकिन अगर यही ३० एकड़ की सीलिंग झांसी, कुमायूं या बुन्देलखंड में लागू कर दें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो दोनों जगह में बहुत अन्तर पड़ जायगा और यह सोशल जस्टिस किसान के साथ नहीं होगा । इसी के साथ यह भी कहना है कि सीलिंग के साथ-साथ कुछ एग्जेम्पशंस भी देने होंगे क्योंकि अगर नहीं देंगे तो बाद में बुरा असर पड़ेगा । कुछ ऐसे बागात हैं जो महज बाग हैं जिनके अन्दर खेतीबाड़ी नहीं होती । इन बागों को लगाने के लिए सरकार ने अनुदान दिया, लोगों को प्रोत्साहित किया । अगर आप इन बागों को, जो कि केवल बाग हैं, सीलिंग से बरी नहीं रखते तो नतीजा यह होगा कि वह बाग काट डाले जायेंगे और खेती के काम में लाये जायेंगे क्योंकि बाग के मुकाबले में खेती में ज्यादा आमदनी होती है । इसलिये ऐसे बागात को सीलिंग से अलग रखना पड़ेगा ।

एक फैमिली के ऊपर आप सीलिंग की बात रखते हैं । लेकिन फैमिली में आप कहते हैं मियां, बीबी और नाबालिग बच्चे । अब मान लीजिये किसी किसान का एक बालिग बच्चा है जो कहीं पढ़ रहा है लेकिन आज भी उस पढ़े हुए नौजवान के लिये प्रदेश के अन्दर कोई गारंटी नहीं है कि उसे पढ़ने के बाद कहीं न कहीं नौकरी जरूर मिल जायेगी, फिर कल को वह कहां जायेगा । पढ़ने के बाद अगर मजबूरन उसे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं मिलता तो फिर वह उसी जमीन पर आता है । ऐसी हालत में जो उसके नाबालिग भाई हैं वे यह कह सकते हैं कि तेरा इस जमीन में कोई अधिकार नहीं है, इसलिये कि सीलिंग ऐक्ट के अन्दर पाबन्दी हो गयी है कि मां बाप और नाबालिग बच्चे का ही इसमें अधिकार हो । अब चाहे तू भीख मांग या चाहे कुछ कर हमसे कोई मतलब नहीं है । इसका नतीजा यह होगा कि वह एजूकेटेड क्रीमिनल में अपने को तब्दील कर देगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसे बच्चों के लिये जो कहीं पढ़ने के लिये जायं और बालिग हों, कहीं दूसरी जगह सर्विस न मिलने पर अपने घर लौटें तो उनके लिये ५ एकड़ या १० एकड़ जो कुछ उचित हो रख दें कि इतना हिस्सा उसको मिलेगा । अगर उसे कहीं सर्विस मिल जाय तो यह जमीन ले ली जाय । अगर ऐक्ट में इसकी गुंजाइश कर देंगे तो कहीं से वापस आने पर उसकी गुजर बसर के लिये यह जमीन मदद कर सकेगी ।

आपका जो ऐक्ट है उसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह है कि किसी के पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन न हो इसके लिये उसे बयान हल्फी दाखिल करना होता है कि मेरे पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है । अगर उसके पास साढे १२ एकड़ जमीन है तो वह ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता । लेकिन आपका जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है उसकी धारा १५४ को जब तक आप परिवर्तन नहीं करते तब तक वह बिल्कुल बेकार है । होता क्या है इस वक्त अगर माइनर बच्चे के नाम आपको जमीन निकालनी है तो १० एकड़ जमीन उसके नाम करके फिर नाबालिग बच्चे की तरफ से बयान हल्फी दाखिल कर दी जाती है कि मेरे पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है । धारा १५४ के अन्तर्गत आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह बरी है । जब तक इसमें मदर और फादर को भी नहीं जोड़ा जायेगा तब तक नाबालिग बच्चे का सहारा लेकर लोग उसका नाजायज फायदा उठाते रहेंगे । इसलिये धारा १५४ का अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है ।

हरिजनों के बारे में कहा गया कि गरकानूनी पट्टे हो गये थे इसलिये खारिज हो गये । जब आपने कलेक्टर को पावर दे रखा है तो फिर इसको कौन डिसाइड करेगा कि कौन पट्टा नाजायज है और कौन पट्टा जायज है ? अगर किसी के नाम लिखा है कि पट्टा जायज है और दूसरा उसे नाजायज कह कर अदालत में मुकदमा कर देता है तो सबजुडिस होने की वजह से उस जमीन पर कब्जा भी नहीं मिल सकेगा और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने तक वह फंसा रहेगा । वह तो कहेगा कि जमीन पर कब्जा हमारा है इसलिये बेदखल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है और इसलिये उसी की आमदनी से वह मुकदमा लड़ाता रहेगा । तो पट्टा जायज है या नाजायज है इसका फैसला जब तक तहसीलदार वा हाकिम परगना मौके पर जाकर और सारी बातें सुन कर फौरन का फौरन

[श्री रियासत हुसैन]

ही नहीं दे देता तो आपका मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंसा रहेगा कि पट्टा जायज है या नाजायज है । मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि ठाकुरद्वारा और हसनपुर तहसील से बहुत सी जमीन निकली सीलिंग की और ग्राम समाज की भी, मगर वह हरिजनों और भूमिहीन किसानों को नहीं मिली । प्रधान जी ने हाकिम परगना के यहां अपने भाई की तरफ से एक दरख्वास्त देकर, मिल मिलाकर यह फैसला करवा लिया कि १७ साल से उनका कब्जा है । उन्होंने फिर पिछला लगान दाखिल कर दिया और सीरदार घोषित कर दिया गया उनको जब कि वहां चकबन्दी, हो चुकी थी, कभी उस जमीन पर उनका कब्जा नहीं था । इस तरह से सकड़ों बीघे जमीन चकबन्दी से निकली जिस पर नाजायज कब्जा लोगों ने कर लिया ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त ।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)---

अधिष्ठाता महोदय जिन लोगों का जमीन पर नाजायज कब्जा है उनसे जमीन लेकर वह जमीन भूमिहीन हरिजनों तथा खेतिहर मजदूरों को कैसे दी जाय आज यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है । दलगत भावना से दूर उठ कर हर दल द्वारा इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना है । श्री गुप्ता जी ने पहले यह कानून बनाया था नाजायज कब्जा करने वालों पर ५० गुना जुरमाना किया जायेगा । मैंने उसका विरोध किया था और कहा था कि इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इस अपराध को अनैतिक अपराध घोषित किया जाना चाहिये । जब ऐसा होगा तभी नाजायज कब्जे रोके जा सकेंगे । यहां पर माननीय सदस्य अकसर मेरे जिले खीरी की नाजायज कब्जे की मिसालें पेश किया करते हैं । इस संबंध में पिछले साल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे जिले में एक भूमि हड़पो आन्दोलन भी चला था । चौधरी चरण सिंह जी की सरकार ने बड़ी सफलता के साथ उसका दमन किया था । ५० गुना जुरमाना के अन्तर्गत खीरी जिले में करीब १२ हजार मुकदमें चलाये गये । केवल निघासन तहसील में ३,९९७ मुकदमें चलाये गये । इनमें से २४३ को छोड़ कर बाकी लोगों ने अपना-अपना कब्जा छोड़ दिया और कह दिया कि हमारा जमीन से कोई वास्ता नहीं है । एकतरफा मुकदमें फैसल हो गये । जुरमाने भी हुये । बाद में सरकार की ओर से माननीय कमलापति जी ने एक बयान दिया कि जिन लोगों के खिलाफ नाजायज कब्जे के मुकदमें चले हैं उनमें बहुत से गरीब हरिजन हैं, इसलिये जुरमाने की रकम २० गुना ही रह जायेगी । इसका इतना विनाशकारी प्रभाव हुआ कि हजारों एकड़ जमीन जो नाजायज कब्जे से निकली थी, उस पर फिर पुराने मालिकों का कब्जा हो गया । जिन्होंने यह कहा था कि हमारा जमीन से कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने फिर उस पर कब्जा कर लिया । जब कि चौधरी चरण सिंह जी ने वहां पर दो अतिरक्त जिलाधीश तथा अन्य स्टाफ इस बात के लिये मुकर्रर किया था कि वह गांव गांव में जाकर नाजायज कब्जों का पता लगाये, मौके पर जाकर जांच करे, और जो जमीन निकले वह गरीब खेतिहर मजदूरी को और गरीब हरिजनों को बांट दे ।

जमीन बांटी गई लोगों को पट्टे दिये गये । उन्होंने बयान हल्फी दाखिल किया । पट्टा उनके पास मौजूद है, लेकिन खरीफ की फसल को उन्हीं लोगों ने बोया है, जो पहले काबिज थे । भूमि पर पट्टेदार को कब्जा नहीं दिया गया ।

मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा गैंग है, अनैतिक व्यक्तियों का, जो मिलाजुला अभियान चलाते हैं जमीन हड़पने का उनकी पहुंच से उत्तर प्रदेश के बहुत कम अधिकारी बच पाते हैं । हमारे यहां खीरी के दुधुवा व सम्पूर्णनगर रेस्ट हाउस में सरकार के बड़े-बड़े अफसर जाते हैं । इसको उप मंत्री जगन्नाथ जी भी अच्छी तरह

जानते हैं । हमारी और उनकी कांस्टीट्यूसीं मिली हुई है । वह रेवेन्यू विभाग के एक कर्मचारी की हैसियत से भी हमारी तहसील में रहे हैं, वह सब अच्छी तरह से जानते हैं । उनको इस बात का अच्छा ज्ञान है । दुधुवा और सम्पूर्णनगर के रेस्ट हाउस में जितने भी बड़े–बड़े सरकारी अफसर जाते हैं उन सबके शिकार का, उन सबके ठहरने खाने आदि का सारा प्रबन्ध एक रियासत के भूतपूर्व मैनेजर करते हैं । लोगों ने उनको शाही खानसामा की उपाधि दे रखी है, और एक विशेष व्यक्ति एक विशेष पार्टी का लेवेल लगाकर पहुंच जाते हैं अधिकारियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं । इन अफसरों के दौरे का सारा खर्च लेखपाल के मत्थे जाता है और लेखपाल इसे बड़े काश्तकारों यानी जमीनदारों से वसूलते हैं ।

श्रीमन्, मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल देना चाहता हूं । पिछले महीनों में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय दुधुवा के फारेस्ट रेस्ट हाउस गये थे और वह वहां से लौटते वक्त पलिया के 'कमल टाकीज' में १५ मिनट के लिये मेहमान बने थे । इस कमल-टाकीज का मालिक जमीन चोरों का एक बड़ा मुखिया है । उसके पास सकड़ों एकड़ नाजायज जमीन है । इब्राहीमपुरी में जो जमीन हरिजनों को एलाट की गई, उन्होंने कुछ की भूमि छीनकर कब्जा कर लिया है । उनके पास जाने कितने एकड़ जमीन पटिहन में है जो हरिजनों के नाम से पट्टा कराई गई थी और जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और जूतों से मारकर हरिजनों को भगा दिया है । जाने कितने फर्जी आदमियों से दूसरे आदमियों की भूमि १० गुना, दिला कर उन्होंने बयनामे अपने तथा अपने परिवार वालों के नाम करा लिये हैं और सारी जमीन हड़प बैठे हैं । राज्यपाल महोदय के उस जमीन चोर का मेहमान बनने से हमें बड़ी वदना पहुंची । मैं समझता हूं कि वह सच्चाई उसकी नहीं जानते होंगे। मैंने, इस संबंध में उनको एक पत्र लिखा था कि यहां सारी जनता में यह बात फैली है कि अभी तक बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी ही कमल टाकीज के मेहमान बनते रहे हैं लेकिन अब राज्यपाल महोदय भी बनने लगे हैं, तो अपनी फरियाद लेकर कहा जायं । मुझे पत्र जवाब नहीं मिला । लेकिन मेरे पास कमल टाकीज के प्रोपराइटर की तरफ से धौंस आई है कि तुम इतने बड़े आदमी के खिलाफ आवाज उठाओगे, तो बुरी तरह से कुचल दिये जाओगे । उसके बाद अधिकारियों से मैं मिला । मुझे वह मूल पत्र भी दिखाया गया, जिस पर एक कोई आर्डर पहले लिखा गया जिसे फाड़ कर बाद में दूसरा आर्डर लिखा गया मुझे कुछ अधिकारियों की तरफ परसुवेड किया गया कि यही एक ऐसे नहीं है जिनके पास ऐसी जमीनें हैं, तुम उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हो । तो मैंने कहा कि आखिर कहीं से शुरूआत तो होनी ही चाहिये ।

इसी तरह से बिड़ला फार्म की चार हजार एकड़ भूमि पर दो महीने पहिले, सरकार ने कब्जा किया था, आज भी वह उनके पुराने मालिकों के कब्जे में है और खरीफ की फसल उन्होंने ही बोई है । मेरे सामने घोला में जमीन बांटी गई थी, जिस में हरिजन अधिक थे। बाद में पट्टे वे कैंसिल कर दिये गये और फिर दुबारा पट्टा किये गये । और उसमें एक एक परिवार में २०-२०, २५-२५ पट्टे दिये गये । यह इतना बड़ा गिरोह है कि चाहे जितनी हम लफ्फाजी करें उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन हरिजनों ने, भूमिहीनों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है, एक निश्चित सीमा तक, २ एकड़, तीन एकड़, चार एकड़ जो कुछ भी रखें, जुर्माने से मुक्त कर दें, और उनका उस पर कब्जा रेगुलराइज कर दें यह मुनासिब बात है लेकिन अगर सब पर रियायत करते हैं तो ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जो जमीन हड़प रहे हैं ।

आज बहुत बड़ी बात की जाती है समाजवाद की । जो लोग उसका नारा लगा रहे हैं वे गांधी और विनोबा का सर्वोदय तो भूल गये । समाजवाद का नारा, उसकी

[श्री करन सिंह]

गरिमा उसकी महत्ता शायद इतनी बड़ी है कि जितना उसकी तरफ भागते हैं उतना ही पीछे चले जाते हैं, शायद हम लुढ़कते-लुढ़कते जा रहे हैं साम्यवाद की तरफ। कुछ ऐसे दल भी हैं जो जमीन के मामले को लेकर तमाम कानून और व्यवस्था को ही समाप्त कर देना चाहते हैं।

रघुनगर परगना खैरीगढ, में पूरी जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रक्खा है। इसी महीने की ८ तारीख को वहां तीन घंटे तक झगड़ा हुआ। आपस में गोली चली। कई मारे गये और घायल हुए। कुछ गिरफ्तार हुए। कुछ भागे हुये हैं। यह दशा है। इस मर्ज को दलगत भावना से परे हो कर सोचना चाहिये। इससे किसी को इनकार नहीं कि हरिजनों को, गरीब भूमिहीनों को सबसे पहले जमीन मिलनी चाहिये। लेकिन केवल कागज में लिखने से क्या जमीन उनको मिल जायगी ? जिस खीरी जिले में आपने अभी तक एक्सपेरीमेंट किया है, पूरी तरह से वह फेल हुआ है। मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने तथ्य बताये हैं वह उप मंत्री जी से पूछ लें कि कितने सत्य हैं। चाहे वह खुद चलें, मैं चाहता हूं कि शासक दल के ही चार पांच सदस्य चलें, मैं उनको दिखाऊंगा कि किस तरह से जमीन को लेकर अजीब सी फिजा पैदा हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

श्री करन सिंह—

जब तक जो जमीनें आपके अधिकार में है जिनको आप बांट रहे हैं, जो जमीनें आपने निकाल ली हैं उनका सही वितरण नहीं कर सकते, तब फिर अगर दोबारा कहीं सीलिंग की बात आप करते हैं, मैं सीलिंग के विरुद्ध नहीं हूं पर वह केवल उन शक्तिशाली हाथों में जमीन देने की बात होगी जिन्होंने आज तक जमीनों की छीना झपटी की है।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राजस्व की मांग पर बोलने का अवसर दिया। मैं मांग का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने जो राजस्व का कार्य-विवरण १९७० का पेश हुआ है उसमें तथा १९६९ और १९६८ से ज्यादा अन्तर है नहीं। हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने सारी बातें मैदानी क्षेत्र की जमीनों के बारे में बताई थीं। मैं माननीय करण सिंह की तरह जो खीरी लखीमपुर की बात कह रहे थे, मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान नैनीताल की तराई व पर्वतीय क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में खीरी लखीमपुर, बहराइच, गोंडा पीलीभीत और नैनीताल, इनकी तराई क्षेत्र के जमीनों की एक उलझनपूर्ण समस्या आज है जो शायद उत्तर प्रदेश में वैसी और कहीं नहीं है, विशेषकर नैनीताल की तराई में। वहां जो सरकारी आस्थान थे, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बाद और १९६९ की जुलाई में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत वहां के राजकीय आस्थान के जो किसान थे उनमें से बहुत से किसानों ने भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये।

अधिष्ठाता महोदय, आज नैनीताल की तराई में व भाबर में वहां भूमि की समस्या को लेकर बड़े झगड़े उठ खड़े हुये हैं। जब जमींदारी एबालीशन ऐक्ट लागू होने पर भूमिधरी राइट मिले तो ५० प्रतिशत से अधिक लोगों को जिनको यह राइट मिलने चाहिये थे, नहीं मिल सके और आज पटवारी, काननगो और तहसीलदार को घूस दे कर गलत इन्दराज करा

दिये गये और हजारों मुकदमें इसके कारण अदालतों में पड़े हुये हैं । सरकार ने आदेश निकाला कि सन् ७४ फसली तक जिनका कब्जा इन्दराज है उनको जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमिधरी राइट्स दे दिये जायं, तो हुआ यह है कि नैनीताल या कोटद्वार की तराई में पटवारियों तथा कानूनगो आदि ने सन् ७४ की फसली के इन्दराज में घूस लेकर गलत तरीके से इन्दराज कर दिये । जो लोग दस पंद्रह २० साल से जमीन पर काबिज नहीं थे केवल एलाटी थे, के रूप में आये थे और वहां बस गये थे, उनको जब मालूम हुआ कि ऐसा कानून बन गया है कि उनको भूमिधरी अधिकार मिल जायेंगे और वे अब जमीनों को लाखों में बेंच सकेंगे तो उन्होंने अधिकारी व कर्मचारीवर्ग को घूस दे कर सन् ७४ फसली में अपने नाम गलत इन्दराज करा दिये और वे लोग जो १८,२० साल से काबिज थे, सन् ६० फसली से काबिज थे, वे काबिज होने के बावजूद पटवारी द्वारा कब्जा इन्दराज न किये जाने के कारण भूमिधरी राइट मिलने से बंचित रह गये । जिम्मन १९ व २० के काश्तकारों की भूमि उनको रेगुलराइज करने का आदेश हुआ तो पुराने ऐलाटीज तथा भूमिपतियों ने साजिश करके तहसीलदार, कानूनगो से गलत इन्दराज अपने नाम करा लिये और जो काबिज थे १८-२० साल से वे बंचित हो गये । खैर जिम्मन १९ व २० वाला मामला तो सरकार ने कुछ हल कर दिया लेकिन जिम्मन १० वाला मामला हल न होने के कारण आज तराई क्षेत्र में भरी झगड़े तथा अशांति का कारण बना हुआ है । मेरा सुझाव है कि जिम्मन १० यानी वर्ग ४ के अन्तर्गत आने वाले चार एकड़ तक रेगूलेराइज किया जाय जिससे छोटे-छोटे किसानों को भूमि प्राप्त होगी । तराई व भाबर दोनों क्षेत्र में यह नियम लागू हो इस तरह के छोटे किसानों के वर्ग ४ के जो केसेज हैं उन पर फौरन कार्यवाही हेतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को माननीय राजस्व मंत्री जी मेरे इस सुझाव के अनुसार चार एकड़ तक रेगूलेराइज करने का आदेश दें इस प्रकार के जो हजारों केसेज जो छोटे-छोटे काश्तकारों के ननीताल की अदालत में पड़े हुये हैं वे सब केस समाप्त हो जायेंगे और उन गरीब भूमिहीन व छोटे-छोटे काश्तकारों को, जो कि हजारों की संख्या में हैं, जमीन मिल जायेगी ।

श्रीमन्, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र की भूमि का रिकार्ड आपरेशन जो सन् १९५७ में किया गया था, वह भी बहुत त्रुटिपूर्ण हो गया है । उस समय हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी माल मंत्री थे वे कहा करते थे कि जब मैदानी भागों में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू कर दिया है अतः पर्वतीय क्षेत्र पर भी होना चाहिये । मान्यवर, पर्वतीय लोगों के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई जमींदार नहीं था । जितने भी वहां पर लोग हैं उनमें से बहुत लोग तो अपनी रोजी-रोटी के लिये कोई दिल्ली कोई कलकत्ता, बम्बई लखनऊ आदि शहरों में चले जाते हैं उनकी थोड़ी भूमि थी और जितनी भी थोड़ी बहुत जमीन थी उसको किसी दूसरे को आबाद करने के लिये दे रक्खी थी या वह बंजर पड़ी रहती थी । लेकिन लैंड रिकार्ड आपरेशन से वे जमीन दूसरे के कब्जे में इन्दराज करा दी गई हैं । मान्यवर, उसका प्रतिफल यह हो रहा है कि आज हजारों व्यक्ति भूमिहीन हो गये हैं । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो लैंड रिकार्ड आपरेशन सन् ५७ में पर्वतीय क्षेत्र में हुआ उसको रद्द किया जाय और नये तरीके से एक स्थायी सेटिलमेंट लागू हो ।

मान्यवर, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि अंग्रेजों के जमाने में पर्वतीय क्षेत्र में आबादी के क्षेत्र का लगान लिया जाता था खेत की सीढियों तथा बंजर पहाड़ का लगान नहीं दिया जाता था किन्तु इस रिकार्ड आपरेशन के बाद तो उनसे इस दस-दस पंद्रह-पंद्रह फीट बंजर पहाड़ियों का भी लगान लिया जाता है । मान्यवर, लगान का क्षेत्रफल तो दुगुना हो गया किन्तु जमीन उतनी की उतनी ही रह गई । जहां पहले किसान को एक एकड़ का लगान एक रुपया पड़ता था वहां आज बंजर और पथरीली बहीड़ीदार वाले हिस्से वाली जमीन के लिये उसका ढाई गुना देना पड़ता है जब कि जमीन उतनी की उतनी ही रह गई है । इसलिये

[श्री डूंगर सिंह बिष्ट—]

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और वहां पर जो लगान पहले लिया जाता था उसी रेट पर लगान अब भी लिया जाय ।....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, सिर्फ, दो मिनट । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र के पटवारी और कानूनगो की सेवाओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं । वहां पर पटवारी और कानूनगो केवल एक तहसील के अन्तर्गत रहते हैं । उसी क्षेत्र में उनकी अदला बदली होती है । छोटा दायरा होने से सारे जीवन भर एक ही स्थान पर रह जाते हैं । अगर माननीय राजस्व मंत्री मेरे सुझाव को मानें तो किसी भी दृष्टिकोण से यह अच्छा होगा कि पटवारी और कानूनगो का भी सेवा क्षेत्र आयुक्त के क्षेत्र में बना दिया जाय । इस प्रकार उनका स्थानान्तर और सेवा कमिश्नर के क्षेत्र में हो जाय ।

माननीय राजस्व मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि वे नैनीताल जिले के शक्ति फार्म व दिनेशपुर की पुनर्वास व्यवस्था पर भी ध्यान दें । नैनीताल जिले में दो स्थानों पर बंगाल के शरणार्थियों को शक्ति फार्म व दिनेशपुर में बसाया गया है और उनको जो जमीन वहां पर दी गई है उस जमीन का लगान ४ रुपये एकड़ के हिसाब से वसूल किया जाता है । जबकि सर्किल रेट तराई में केवल २ रुपया एकड़ है । तो मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और उन गरीब बंगाली शरणार्थियों से दो रुपया प्रति एकड़ लगान लिया जाय।

एक विशेष बात यह मैंने राजस्व मंत्री जी से कहनी है कि पर्वतीय क्षेत्र के भूमिहीनों के लिये ही तराई भावर की भूमि सुरक्षित रक्खी जाय क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आज लाखों भूमिहीन हैं जिनके लिये भूमि का प्रबन्ध करना आवश्यक है । वहां पर लैंड आपरेशन होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है । पिछले साल शर्मा जी के मंत्रित्व-काल में जमींदारी विनाश ऐक्ट के अन्तर्गत संशोधन हुआ था उसमें थारू और बोगसा लोगों के लिए यह प्रतिबन्ध लगा दिया है । वे जिलाधिकारी की बिना आज्ञा के जमीन नहीं बेंच सकेंगे । लेकिन आज दिनेशपुर के बंगाली भूमि पर राइट मिलने के बाद भूमि बेंचने ला गये हैं । राजस्व मंत्री जी वहां से भूमि बेंचे जाने की सूचना मिली होगी कि बंगाली जमीन बेंचना शुरू कर रहे हैं । अगर उन्होंने जमीन बेंच दी तो वे नेक्सलाइट हो सकते हैं । इसलिए वहां लैंड आपरेशन इस तरह किया जाय कि बंगालियों को संरक्षण दिया जाय और बिना जिला अधिकारी की अनुमति के बंगालियों को भी जमीन बेंचने का अधिकार न दिया जाय ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, अगर दो तीन मिनट दें...

श्री अधिष्ठाता—

अभी नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इनकी वकालत मैं कर दूंगा...

श्री महीलाल—

मान्यवर, माननीय करन सिंह जी ने भू-व्यवस्था के संबंध में जो अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनसे शत प्रतिशत सहमत हूं। हम दलगत राजनीति से ऊंचे उठकर ही भूमि के

प्रश्न पर विचार करना चाहिये। मान्यवर, भूमिपति या भूमि का मालिक होना प्राकृतिक विधान के विरुद्ध जाता है। वह इसलिए कि भूमि प्रकृति की देन है और प्रकृति की देन को कुछ व्यक्ति विशेष यह समझें कि केवल उन्हीं को अधिकार है इस भूमि के मालिक होने का तो उनका आज के समाज के साथ अत्याचार होगा। यह अलग बात है कि किसी समय में कुछ लोगों ने पशु बल के आधार पर समाज से यह मान्यता स्वीकार करा ली कि भूमि का कुछ व्यक्तियों को स्वामी बनने का अधिकार है, लेकिन वह समाज पिछड़ा हुआ समाज था जिसने यह मान्यता स्वीकार की। आज का समाज यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भूमि जो प्रकृति की देन है वह कुछ व्यक्ति विशेष के अधिकार की चीज हो जाय। मैं यह समझता हूं कि यह केवल प्रकृति के साथ ही ज्यादती नहीं है, बल्कि समाज के और अपने साथ भी ज्यादती है।

रियासत साहब चले गये। उन्होंने किसानों के नाम पर बहुत दुहाई दी। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझता हूं कि किसान की न्यायसंगत परिभाषा यह है कि जो खेती पर काम करे वही किसान है। यह परिभाषा नहीं है कि मैं मुरादाबाद में रह कर बिजनेस करूं, सदन का सदस्य रहूं और अपने गांव में भूमि का मालिक भी बना रहूं। मेरी भूमि का मालिक उस मजदूर को होना चाहिए जो उस भूमि पर काम करता है। माननीय मंत्री जी समाजवादी हैं, आपकी पार्टी की क्या नीति है?

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

सदस्य नहीं बैठ रहे हैं। आप बैठ जायं।

श्री महीलाल—

मैं बाद में स्पष्टीकरण दे दूंगा। माननीय मंत्री जी समाजवादी हैं। उनका दल समाजवादी है, उनकी सरकार समाजवादी है और मेरे जैसे लोगों को माननीय माल मंत्री के चरण में बैठ कर समाजवाद की परिभाषा सीखने का भी अवसर मिला है। मान्यवर समाजवाद की परिभाषा यह है जो मैंने उनसे सीखी है कि "समाजवादी समाज वह होगा जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं होगा"। शोषण विहीन समाज ही एक समाजवादी समाज होगा। यह नहीं कि कुछ लोग भूमि पर अपना नाम अंकित करा लें, या परम्परावश भूमि किसी के नाम में जुड़ी आ रही हो, और वह भूमि की तरफ जाकर भी न देखता हो, उसके द्वारा अपने को किसान कहना समाजवाद के साथ अन्याय करना है।

मान्यवर, माननीय माल मंत्री जी ने गरीबों के साथ कुछ शुभ कामनायें प्रकट कीं और उन्होंने बताया कि वह गरीबों के लिये कुछ करना चाहते हैं। उनका गरीबों से मतलब था भूमि पर काम करने वाले खेतिहर मजदूरों से। वह उनका कुछ हित करना चाहते थे। मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा कि जिस ढंग से आप अपनी सरकार को चला रहे हैं, उस ढंग से सरकार को चला कर आप गरीबों का भला नहीं कर सकते नहीं कर सकते। (व्यवधान) इसलिये कि आज गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन समाज में भ्रष्टाचारी और बेईमान अधिकारी और कर्मचारी हैं। उनके द्वारा गरीबों का भला कभीभी नहीं हो सकता। (व्यवधान) शोर मचाने से काम नहीं चलता है। मान्यवर, मैं बोलने वाले सदस्यों का बयान दिलाना चाहता हूं कि जिस दन से शासन की बागडोर इस सरकार ने संभाली है, सहकारिता मंत्री को छोड़कर किसी एक मंत्री ने भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाषण नहीं दिया। किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया।

कुंवर चन्द्र प्रतापनारायण सिंह (जिला देवरिया)—

सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं हो जाता।

श्री महीलाल—

किसी भी सरकारी भ्रष्टाचारी कर्मचारी या अधिकारी को आज तक इनके द्वारा सजा नहीं दी गयी। हां, अगर कोई मोअत्तिल है या बरखास्त पहले कर दिया गया है तो उसको बहाल करने के लिये इतना ही काफी है कि हमको अमुक दल के शासन ने, अमुक दल के मंत्री ने यह सजा दी थी। फिर यह नहीं देखा जाता कि उसको जो सजा मिली थी, उसका कारण क्या था। बहाली के लिये कितना ही काफी है कि चौधरी चरण सिंह ने हमको यह सजा दी थी। इस प्रकार के बेईमान और भ्रष्टाचारी अधिकारियों द्वारा, जिनके दिमाग में बेईमानी, पक्षपात और लालच भरा है, किस प्रकार से गरीब जनता का भला हो सकता है। मैं फिर कहता हूं, वैसा होना नामुमकिन है, कतई नामुमकिन है। मान्यवर, एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं लेकिन जो मेरे दोस्त इस समय ज्यादा चीख रहे हैं वे खुद कहते हैं हमने तो भूमिहीनों को भूमि दी थी लेकिन बेचारों को मिलीं नहीं, क्यों नहीं मिली बेचारे हरजनों को भूमि नहीं मिली, इसलिये नहीं मिली कि बेईमान अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती की कार्यवाही नहीं हुई। और अगर किसी अधिकारी ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश भी की तो ऊपर के बेईमान अधिकारियों ने उसको सजा दी, उनको दण्डित किया।

माननीय माल मंत्री महोदय ने विधान की दुहाई दी और कहा कि अगर कानून इजाजत देंगे तो वह भूमिहीन खेतिहर मजदूर के लिये कुछ करेंगे। आप यह देखें कि संविधान का अनुच्छेद ३९ आप को कितनी शक्ति देता है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने तो ऐसा नहीं कहा।

श्री महीलाल—

आपने अन्त में कहा था। अनुच्छेद ३९ इस प्रकार है :—

"राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों की जीविका के प्रर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

है आपके शासन में यह अधिकार प्राप्त नर और नारी को नहीं है? एक आदमी को खाट बिछाने की जगह नहीं है और ग्राम सभा की जमीन उसको नहीं मिलती। दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास पहले से आबादी की सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है वह कब्जा कर लेते हैं।

(ख) समुदाय की भौतिक दम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो;"

कोई भी अदालत आपके काम में रुकावट नहीं डाल सकती इस संविधान के रहते हुए।

(घ) पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो;

(ङ) श्रमिक पुरुष और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकतासे विवश होकर नागरिकों को ऐसेरोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आय या शक्ति के अनुकूल नहीं;

आप अच्छी तरह जानते हैं कि देहातों में किस तरह से निर्धन आदमियों और स्त्रियों व बच्चों का शोषण होता है और कैसे उनसे काम लिया जाता है। जहां तक विधान का सम्बन्ध है वह आपके काम में रुकावट नहीं डालता बल्कि आपकी मदद करता है अगर आप करना चाहें। लेकिन करने से पहले यह मुस्तकिल इरादा कीजिये कि हम अपने शासन में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं रहने देंगे।

अब मैं आपका ध्यान थोड़ा-सा गांव समाज की जमीन की ओर दिलाऊंगा जो गांव समाज की जमीन जमीन वालों ने जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा २२९ (बी) का सहारा लेकर अपना ली है। वह बंजर ही पड़ी हो, क्योंकि वह जानते हैं कि सीलिंग आयेगी तो यह सरकार पूरा मुआवाजा इस बंजर भूमि का भी दिलायेगी। आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं अपने राज व परिषद् के द्वारा कि उन सब को बेदखल करा लें। साथ ही गांव समाज मैनुअल में यह व्यवस्था की गयी है कि गांव समाज की ८ फीसदी जमीन जो पहले १० फीसदी थी, सुरक्षित रहेगी। लेकिन वास्तविकता यह है, जिसे आप जानते भी हैं कि किसी गांव में चरागाह के लिये जमीन बाकी नहीं है। मेरी मांगें तो यह है कि आप इस क्लाज को बिल्कुल हटा दीजिये। लेकिन अगर रखना ही चाहें तो केवल ४ फीसदी रख दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री महीलाल---

दो मिनट और दे दीजिये। आपका जो चकबन्दी का ऐक्ट है, यह मूल अधिनियम, १९५३ में बना था। और इस मूल अधिनियम के मातहत प्रदेश के १६ तहसीलों में चकबन्दी हुई। नतीजा यह हुआ कि उन १६ तहसीलों में एक-एक किसान के ९–९, १०–१० चक बने हैं। चकरोड की कोई व्यवस्था नहीं है जो कि आज के संशोधित कानून में है। कृपा करके उन १६ तहसीलों में दोबारा चकबन्दी करा दीजिये। किसान तैयार हैं वहां का आपको खर्च देने के लिये।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और दिलाऊंगा कि आपके ही भूतपूर्व मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा ने सदन में आश्वासन दिया था कि इन १६ तहसीलों में दोबारा चकबन्दी कराई जायेगी, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं कराई गई है। इसके अलावा संविद सरकार ने जाते-जाते फैसला लिया था कि इन तहसीलों में चकरोड और गूलों के लिये जमीन की व्यवस्था ए० सी० ओज०, सी० ओज० करेंगे लेकिन माल विभाग की काबलियत से जहां चकबन्दी खत्म हो गई वह भी वही व्यवस्था करेंगे और उसके लिये ६ मासका समय दिया गया था लेकिन उसका फल यह हुआ कि उसका लाभ कोई नहीं उठा सका। मैं चाहता हूं कि वहां पर दुबारा चकबन्दी कराई जाय। और मूल अधिनियम के अनुसार जहां काम हुआ था वहां पर इस संशोधित अधिनियम का लाभ होने दिया जाय। मुझे सूचना मिली है कि बलिया के एक गांव में फर्जी कागजात बनाये गये हैं और मालखाने में तमाम पुराने रिकार्डस को भी तब्दील करा दिया गया है। यह काम बड़ा मुश्किल है और मंत्री जी आपने बड़ा मुश्किल काम यह अपने हाथ में लिया है और अगर आपने इसको अपने जमाने में पूरा कर दिया तो आपका नाम राजस्व विभाग के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। लेकिन मैं आपका समर्थन तभी करूंगा जब आप कुछ कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव कुमार पांडेय---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय महीलाल जी ने समाजवाद लाने के लिये जो सुझाव दिये हैं वे बहुत बेहतरीन हैं और हम उनसे सहमत हैं लेकिन मैं उनकी तरफ से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उनके इन सुझावों पर वह स्वयं या उनका दल अमल कर रहा है?

श्री महीलाल—

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि अगर १५ एकड़ की भी सीलिंग लाई जायगी तो हमारा दल और उसके नेता उसका समर्थन करेंगे, वह तो आप में ही हिम्मत नह है, आप कुर्सी के लोभ में वह नहीं ला सकेंगे। आपके यहां चेमोंगोइयां शुरू हो गई हैं।

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

मान्यवर, अभी-अभी की बात है कि अभी कुछ दिन पहले श्री महीलाल जी की और उनके दल की तरफ से सरकार चलाई जा रही थी और उनके जमाने में जो हुआ वह सब हमारे सामने है, जैसे उनके मुख्य मंत्री के जमाने में रोज तबादलों का सिलसिला चला था। उन्होंने तमाम कलेक्टर, एस० पी० और अधिकारी बदले थे। लेकिन हमारे आज के मुख्य मंत्री जो कि समाजवादी दृष्टिकोण रखते हैं उन्होंने इस बात की कभी कोशिश नहीं की कि किसी को तब्दील किया जाय। उनके उसूलों को हमने देखा वह सबको सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते हैं और कर रहे हैं। यह आप तो उन्हीं के जमाने का है और अभी पहले का जो मंत्रिमंडल भंग हुआ है जिसमें महीलाल जी भी उप मंत्री थे, उन्हीं के वह सारे कारनामे हैं। हमारे मंत्री महोदय ने जिनको महीलाल जी भी समाजवादी मानते हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया है, उसमें वास्तव में हरिजनों, भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के लिये बहुत कुछ रखा गया है और वह इसके लिये बधाई के पात्र हैं। मैं मंत्री जी को सुझाव के रूप में थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं।

सीलिंग से निकली जो जमीनें हमारे डिप्टी कलेक्टरों ने बांटी हैं उनमें भ्रष्टाचार पहले बहुत अधिक हो चुका है। उसको दूर करने के लिये और गलतियों को ठीक करने के लिये हमारा मंत्री जी से निवेदन है कि इस काम के लिये फिर से नई कमेटियां यहां बनाई जायं और जो कमेटियां उन्होंने बनाई हैं वह बहुत गलत हैं, उनको खत्म करके जिला स्तर पर नई कमेटियां बनाई जायं ताकि गरीब हरिजन और भूमिहीनों को जमीन मिल सके। समाजवादी होने के नाते मुझे हक है यह कहने का कि हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिये और उनके पालन-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिये और मुझे आशा है कि हमारे मंत्री जी इसके लिये कटिबद्ध हैं।

अधिष्ठाता जी, वास्तव में यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में पिछली सरकारों ने लोगों के साथ अन्याय किया है। बड़ी बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुयी हैं जिनमें अपनी औरतों और बच्चों के नाम से बड़े-बड़े लोग एक-एक हजार एकड़ तक की भूमि पर काश्त कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने हमें पार्टी मीटिंग में बताया है कि वे इन फार्मों को समाप्त करने जा रहे हैं ताकि वह जमीन भी भूमिहीन काश्तकारों को दी जाय।

इस विभाग में वास्तव में पहले से ही बहुत घूसखोरी चल रही है लेकिन अब कुछ कम होती जा रही है। अब हमारे प्रदेश में समाजवाद पनप रहा है और जितने बेईमान हैं उनको यह सरकार समाप्त करेगी।

एक सुझाव मैं अपने माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं दाखिल खारिज के मुकदमों के बारे में। जिस तरह से पंजाब में दाखिल खारिज के मुकदमों में कोई आदमी रजिस्टरी कराता है तो उसके बाद एस० डी० एम० स्वयं मौके पर जाते हैं और उसमें प्रार्थी का इन्दराज कर देते हैं। यह काम ३ महीने के अन्दर हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इस प्रथा को यहां पर भी लागू कर दें। आज कल हमारे प्रदेश में ऐसे मुकदमे २–२ साल पड़े रहते हैं और तय नहीं हो ाते हैं तथा जनता का लाखों रुपया रिश्वत आदि में खर्च हो जाता है।

कुछ जमीने सीलिंग में निकाली गयी हैं। वह जमीन काश्तकारों ने पहले काश्तकारों को बेचीं। मैं एक मिसाल श्री सुक्खरन सिंह, मजरा, पिपरिया, तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर की देना चाहता हूं। उसने जमीन एक जमींदार से खरीदी, आज तक उस पर कब्जा भी है और उसे जोत भी रहे हैं लेकिन उन्हें अब बेदखल किया जा रहा है। आज जो भूमिधर हैं वे अपनी जमीन को बचा रहे ह, सीलिंग की वजह से वे गरीबों का गला दबा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी इन भूमिहीनों की रक्षा करें और जो भूमि बड़े-बड़े लोगों के कब्जे में हैं, उसे उनसे निकालें तथा हरिजनों में वितरित कर दें।

(इस समय ३ बज कर ५० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

गांव के लेखपाल गरीब काश्तकारों की ६, १०, २० और इस प्रकार की भूमि पर ११५ के मुकदमें कायम करा देते हैं। इस बारे में मैंने पहले भी राजस्व मंत्री जी से निवेदन किया था और पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसे काश्तकारों पर से जिनके पास कोई भूमि नहीं है, वे मुकदमें वापिस लिये जायं और वह जमीन गरीब भूमिहीन काश्तकारों को दी जाय। इससे सरकार को भी कुछ रेवेन्यू मिलेगा और हमारे काश्तकार भी सुखपूर्वक रह सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे खीरी और लखीमपुर में उपनिवेषण (कोलोनाइजेशन) की स्कीम चलाई जा रही है। वहां पर १०,००० आदमी बसे हुए हैं जिनको आज तक भी सीरदारी हक नहीं दिये गये हैं हालांकि उन्हें वहां रहते हुए ९ वर्ष बीत गये हैं। पिछले वर्ष भी मैंने माननीय भूतपूर्व मंत्री जी से निवेदन किया था और पुनः निवेदन करता हूं कि उनकी जो पत्रावली शासन के विचाराधीन है, उस पर विचार करके उन्हें सीरदारी के हक दे दिये जायं ताकि उन्हें अपने पूरे हकूक मिल सकें। ९ वर्ष से इन जमीनों को जोतने वाले काश्तकार इस समय विवश हैं और इस कारण उन्हें कर्जा भी नहीं मिल रहा है।

एक बात और मैं निवेदन कर दूं। जिस समय हमारे प्रदेश में माननीय गुप्त जी की सरकार थी, और जो उधर बैठे हैं तथा जो गरीबों की बड़ी आवाज उठाते हैं, उन्होंने भूमिधरी पाने के लिए १० गुने के बजाय २० गुना लगान जमा करना तय किया था। बीस गुना लगान जमा करके काश्तकार अब भूमिधर बन सकता है। यह सामने बैठने वालों ने किया था। मैं मांग करता हूं कि जो भूमिधर बनने का लगान दस गुना से बीस गुना किया गया था, उससे भूमिधरी का राइट किसान को मिलता है। अब वह दस गुना हो जाये तो उसको भूमिधरी का राइट नहीं मिलता जिससे कि वह अपनी जमीन नहीं बेच सकता।

इसके अलावा जो सवा छः एकड़ का जो लगान माफ किया गया है उसमें यह जरूरी है कि अगर उस काश्तकार को जिसको जोत बही नहीं मिलती है तो वह मारे-मारे फिरते हैं। मंत्री महोदय व्यवस्था करें कि जोत बहियां प्रत्येक तहसील के प्रत्येक काश्तकार को मिलनी चाहिये। इसके अलावा जब सवा छः एकड़ का काश्तकार लगान नहीं देता है। तो वह अपनी भूमि की रजिस्ट्री किस प्रकार करा सकेगा? अगर वह अपनी जमीन बेचना चाहे तो वह किस बेच सकेगा। लगान ही नहीं है तो बी। गुना या दस गुना कैसे जमा करायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहूंगा कि हमारे चकबन्दी कार्यालयों में घोर भ्रष्टाचार चल रहा था। उसमें मंत्री जी ने बहुत लोग निकाल दिये हैं लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया गया है। वे अधिकारी एवं कर्मचारी अस्थायी हैं और बराबर निकाले जाते हैं। ईमानदार और अच्छे कर्मचारियों को स्थायी बना दिया जाय तो भ्रष्टाचार की प्रथा दूर हो सकती है। सन् ६७ में हमारे भूतपूर्व मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वे लेखपाल, तहसीलदार और सी० ओज० आदि जो अस्थायी हैं, उनको स्थायी किया जायेगा, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके साथ ही हम यह भी निवेदन करेंगे कि जो हमारा भूमि संरक्षण

[श्री हरनारायण]

डिपार्टमेन्ट है जो आपके ही मातहत है उसमें कोई कार्य नहीं होता है उसको खत्म कर दिया जाय तो हमारे प्रदेश का खर्चा कम हो जायेगा। काश्तकार उस काम को खुद ही सम्हाल लेगा। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है।

*श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्व एवं पुनर्वास के अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति प्रदान की है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, राजस्व और पुनर्वास विभाग इतने निकम्मे विभाग हैं जिसके लिये मैं बहराइच जिले कीएक घटना बता रहा हूं। मान्यवर, आज से करीब दस पन्द्रह वर्ष हुए कि हमारे बहराइच जिले में पयागपुर क्षेत्र में तीन सौ बंगाली परिवार बसाये गये थे। परन्तु खेद है कि अब तक उन बंगाली परिवारों को भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है जब कि उनसे कहा गया था कि आपको प्रति परिवार पांच-पांच एकड़ भूमि दी जायेगी लेकिन आज तक उस भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है। उन लोगों को जो भूमि दी गई थी उस भूमि पर गैर लोग कब्जा किये हुए हैं। मैंने सरकार को कई बार कहा परन्तु सुनवाई नहीं हो सकी है। मान्यवर, यह जो जमीन है यह तालाब बघेल नदी के पास है और इस नदी में हर साल सैलाब आने के कारण वहां की सारी भूमि जल मग्न हो जाती है परिणाम स्वरूप उनको कोई फसल नहीं मिलती है जिससे वे गुजर कर सकें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तत्काल इन बंगाली परिवारों के लिये कदम उठाये जांय और तालाब बघेल के नाला की खुदाई की जाय ताकि जो फसल की क्षति होती है उसकी सुरक्षा की जा सके। मान्यवर, पुनर्वास विभाग की तरफ से उनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिल रही है जिससे उनकी बड़ी मुसीबत है। एक ओर सरकार बंगला देश के शरणार्थियों को बसा रही है और दूसरी ओर जो १९–२० साल से आए हुये हैं, उनकी कोई सुनवाई न करना सरकार के लिए बहुत बड़े निकम्मेपन और शर्म की बात है।

तहसील का यह हाल है कि जो बयनामे किये जाते हैं उनके दाखिल खारिज के मामलों में २५ से ५० रु० तक पेशकार घूस लेते हैं। मैं इसका प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। मैंने दो वर्ष पहले गुप्ता जी जब मुख्य मंत्री थे तो उनको पत्र लिखा था। उसमें सी० आई० डी० की जांच करायी गयी और एक पेशकार पकड़ा गया, जिस पर जांच की गयी और मुकदमा किया गया। तो इस तरह का भ्रष्टाचार रोज होता है लेकिन यह सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है।

श्रीमन्, किसान देश का बड़ा ईमानदार वर्ग है और जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, ज्यादातर किसानों के वोट पर आए हैं। लेकिन किसान की कोई सुनवाई नहीं होती। जमीन की रजिस्ट्री में सरकारी फीस के अतिरिक्त दुगना-तिगुना पैसा लोग ठगते हैं और किसान का खून चूस-चूसकर मोटे होते जा रहे हैं। अगर आप सामाजिक न्याय देना चाहते हैं तो किसान के हित के लिए आप ऐसे कदम उठाएं जिससे तहसील का भ्रष्टाचार दूर हो। आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भूमिहीनों को भूमि देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा भूमिहीन बताएं जिसने बिना पैसे के भूमि प्राप्त की हो। जिसको भूमि मिली है उसको पैसा देना पड़ा है, चाहे उसे खरीद समझिए या कुछ भी समझिए। तो हर जगह पैसे के बल पर काम होता है।

आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस की सरकार रही है इसलिए जो भ्रष्टाचार है, जो गड़बड़ी है, जो लालफीताशाही है, उसके लिए आप ही दोषी हैं। दिल्ली में भी और यहां भी आप की ही सरकार है। अगर भ्रष्टाचार है, कोई गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है तो उसके दोषी आप ही हैं। जनता के सामने आप को बहुत जल्द जवाब देना पड़ेगा और आने वाले चुनाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आपके साथ जो व्यवहार होगा उसे आप देखेंगे। अगर आप समाजवाद का प्रचार चाहते हैं और सामाजिक न्याय करना चाहते हैं तो विभाग में जो गड़बड़ियां हैं इनको दूर करें।

बाढ़ के सम्बन्ध में जो रुपया आप देते हैं, जमीन किसी की कटती है, मकान किसी का गिरता है, लेकिन रुपया उनको मिलता है जिनको नहीं मिलना चाहिए। गत वर्ष बहराइच में काफी रुपया दिया गया। लेकिन मैंने स्वयं जांच की है, उन बेचारों को रुपया नहीं मिला जिनके खेत बह गए, जिनके मकान गिर गए। एक वर्ष भी बहराइच जिले में बाढ़ आयी थी लेकिन अभी तक कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ के सम्बन्ध में जो सहायता देनी चाहिए वह पहुंचाएं।

मान्यवर, जो कुछ सहायता यहां से जाती है, तहसीलदार वगैरह निश्चित रुपया लेकर ही लोगों को देते हैं। जो सहायता की सूची बनायी जाती है उसमें भी लेखपाल और कानूनगो वगैरह रुपया लेकर ही सूची बनाते हैं। चुनाव के पहले आप कहते थे कि विरोधी लोग काम नहीं करने देते हैं। अब तो आप को बहुमत मिल गया है। आज आप ठीक से काम कीजिए और सामाजिक न्याय के लिए विभाग में जो गड़बड़ियां हैं उन को दुरुस्त कीजिए।

मान्यवर, नानपारा से नवाबगंज रोड पर एक हरिजन गांव है—ढिढोरा। वहां पर हरिजनों को मकान के लिए जो भूमि दी गयी थी उस भूमि पर वहां के जबरदस्त, जो पठान लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। उन बेचारे हरिजनों के रहने के लिए और उनके बसने के लिए कोई भूमि नहीं मिलती है। आप हरिजनों के उद्धार की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हरिजनों का उद्धार हो तो आप जल्दी से जल्दी उन लोगों को भूमि दें और जो लोग नाजायज कब्जा किए हुए हैं उनको उस भूमि से हटाएं।

चकबन्दी तो आपने कर दी और चक रोड भी बना दिये। चारागाह भी छोड़ दी गयी है। न कहीं पर चारागाहें हैं और न कहीं चक रोड हैं। चकबन्दी के लिए आपने जनता से रुपया भी ले लिया मगर समुचित व्यवस्था नहीं की है। आजकल आपके विभाग में तहसीलों में गड़बड़ियां हैं। अगर कोई नकल लेने जाता है तो उससे २ रु० लिये बगैर नकल नहीं दी जाती है। जितना रुपया ले लें वह भी कम है। तो किसान की भलाई के लिए कौन सा काम हो रहा है? यह विकास का युग है। पम्पिंग सेट और बोरिंग के लिए किसान जब नकद रुपया मांगता है तो उसको नकद रुपया तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि उससे २ रु० और १० रु० नहीं लिये जाते हैं। तो यह आपके विभाग का भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? अगर कोई किसान अपनी जमीन की हरदबन्दी या निशां दे ही के लिए कानूनगो के पास जाता है तो उससे १०० रु० और २०० रु० मांगे जाते हैं और जब तक रिश्वत नहीं ले ली जाती है तब तक उसका काम नहीं होता है। श्रीमन्, यह अन्याय नहीं है तो और क्या है? किसी परिवार में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जमीन की विरासत, जब तक रुपया नहीं ले लिया जाता है तब तक नहीं होती है। जिन गड़बड़ियों की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है वे दिन आये होती रहती हैं और दिन प्रति दिन आप देखते हैं। यह पूरे देश की समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे समाजवाद लाना चाहते हैं और सामाजिक न्याय करना चाहते हैं तो इस प्रकार भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और निकम्मेपन को, जो कि उनके विभाग में व्याप्त है, दूर करने का प्रयास करें।

लेखपालों के सेलेक्शन में भी गड़बड़ी है। उनका सेलेक्शन सिफारिशों पर होता है। उनकी कोई योग्यता नहीं होती है और फिर भी उनको लेखपाल के लिए बजाए हाई स्कूल की योग्यता के इन्टरमीडिएट रखी जाये। जो लोग योग्य हों वही रखे जायें। लेखपाल का काम इतना आसान नहीं है, अब पुराना जमाना चला गया है।

[श्री बासुदेव सिंह]

आपने पास बुक की स्कीम चलायी है । सब किसानों को पासबुक नहीं दी गयी हैं, बल्कि किसी-किसी किसान को दी गयी है । हर किसान को पास बुक मिलनी चाहिये । जो आदमी जमीन जोते उसका इन्दराज भी ठीक से नहीं होता है । जैसा कानूनगो चाहते हैं वैसा करते हैं । मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि लेखपालों को किसान के सभी खेतों की परताल करनी चाहिये। वे खेत पर नहीं जाते हैं, बल्कि प्रधान के घर पर बैठकर या किसी बड़े आदमी के घर पर बैठ कर परताल कर देते हैं । उनको चाहिये कि किसान के हर खेत पर जायें और देखें कि किस किसान ने किस खेत में क्या बोया है । अगर ऐसा होगा तो किसी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं होगी ।

मान्यवर, आपने अपने विभाग के अधिकारियों पर काफी अधिकार सौंप रखे हैं । जो बात कोई लेखपाल लिख देता है उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काटती है और उसी की बात रह जाती है । जब आपने उनको इतने अधिकार दे रखे हैं तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विभाग में ऐसे आदमी रखें जो कि जनता को न्याय दें सकें और तभी उचित व्यवस्था हो सकेगी ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मुझे दो तीन मिनट देते तो अच्छा था । मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष --

तो आप ५ मिनट ले लें ।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, मैं अधिक ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी ने बाढ़ की चर्चा में यह कहा था कि मेरी तरफ इंगित करते हुये कि जिस भाषा का प्रयोग माननीय सदस्य करते हैं उस भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह आज से नहीं बहुत जमाने से मुझे जानते हैं । हम दोनों को एक साथ काम करने का अवसर मिला है । वह जानते हैं कि मक्कारी की भाषा मैंने जीवन में कभी नहीं प्रयोग की है । मैंने मक्कारी और मक्खनबाजी अपने मतदाताओं के साथ भी नहीं की है । जो मैं अनुभव करता हूं उसे बाद में सदन में और बाहर रखने की कोशिश करता हूं । मैं आज भी कहना चाहता हूं और खासकर माननीय राजस्व मंत्री जी से कि क्या आपको अपने विभाग के कार्य-कलाप पर संतोष है ? आज भी आपने जो मांग की है जिसके लिये आप चाहते हैं कि सदन की स्वीकृति प्राप्त हो उसमें आपदा की एक मोटी रकम है । इसका सदुपयोग आपके अधिकारी नहीं करना चाहते हैं । ऐसे अधिकारियों को हृदयहीन न कहा जाय , ऐसे अधिकारियों को कर्तव्यहीन न कहा जाय, ऐसे अधिकारियों को नालायक न कहा जाय तो आप बतायें कि कौन सी भाषा प्रयोग की जाय । इन अधिकरियों को जो आपदा के पैसे को खर्च नहीं करते हैं क्या कहा जाय । सन् १९६९ में ४.०७ करोड़ रुपया सदन में स्वीकृत हुआ और आपके विभाग ने केवल २.७७ करोड़ रुपया व्यय किया और १.३० करोड़ रुपया का सदुपयोग नहीं हुआ । २.७७ करोड़ रुपया जो प्रयोग में लाया गया उसमें भी आधे से अधिक रुपये का दुरुपयोग आपके अधिकारियों ने किया है ।

आज ही इस आदरणीय सदन में आपके ही दल के एक माननीय सदस्य ने आटा और गेहूं मुख्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय के यहां भेजा था जो कि छितौनी बाढ़ पीड़ितों में वितरित किया जा रहा है । इस सदन से रुपया दिया जाता है कि ८० रुपये क्विन्टिल का गेहूं खरीदें और ३०, ४० रुपये रक्विन्टिल का सड़ा हुआ गेहूं खरीदा जाता है और बांटा जाता है । तो आप अपने आप बतलायें कि कौन-सा विशेषण चाहते हैं । क्या हम आपको लायक कहें , ईमानदार कहें ? मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है । मुझे अपने सभी सोशलिस्ट मित्रों से शिकायत है । मेरा खयाल

था कि जब भी कुर्सी पर वह बैठेंगे तो शासन में कुछ तब्दीली दिखलायेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है, चाहे माननीय राजस्व मंत्री हो, य उधर के बैठने वाले सोशलिस्ट हों, उन्होंने कोई फर्क अपने कार्य कलाप में नहीं पैदा किया। इसलिये मैंने कहा कि जो हमारे पुराने कांग्रेसी हैं उनमें अभी लोक लज्जा है और जनमत का ध्यान है। गरीबों के लिये उनके दिल में आह है। यह नये लोगों में नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि सोशलिस्ट मित्रों ने अपने को कुर्सी पर जाने के बाद अपने को अनुयुक्त साबित किया है।

मैं सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि सीलिंग की मांग सारे देश की है कि जो हद-बन्दी भूमि की है वह कम की जाय। कोई भी दल ऐसा नहीं है जो हदबन्दी न चाहता हो। स्वतंत्रपार्टी भी यह नहीं कर रही है कि हकबन्दी कम न की जाय। कहने का मतलब यह है कि हदबन्दी की मुखालफत करने की ताकत किसी पार्टी में नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हदबन्दी को कानून द्वारा लागू न कराने का अपराधी कौन है? जितने लोग इस शासन की कुर्सी पर बैठे हैं वे सभी अपराधी हैं। जिन्होंने हदबन्दी के कानून को सही रूप से अमली जामा नहीं पहनाया। अगर ऐसा किया होता तो आज साढ़े तीन हजार एकड़ के फार्म कहां से आते। मैं कहना चाहता हूं कि आपके कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलक्टर सब बेईमान हैं। यह सही परताल नहीं करते। मुख्य मंत्री जी से मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि जहां आप इतने विभाग लिये हुए हैं, इस विभाग को भी ले लें। आप देखें कि सही परताल होती है या नहीं। अगर सही परताल होती तो किसी माननीय भूपतिका फार्म जिस पर दो तीन ट्रैक्टर्स से जोत होती है, परताल में फर्जी तरीके से १५ या २० एकड़ का न दिखाया जाता। सही परताल का मतलब होता कि आपका डिप्टी लिखता कि ३०० एकड़ का फार्म है। लेकिन आपके अधिकारी ऐसा नहीं करते। यही कारण है कि फर्जी नामों से, रिश्तेदारों के नामों से, कुत्तों के नामों से फार्म बने हुए हैं। देश के पूर्वा-न्चल में जो साम्यवाद का सूर्योदय हुआ है और बंगाल के कुछ अंचलों में डंडे से, हथौड़े से, बन्दूक से भूमि का बंटवारा हो रहा है जिससे भयभीत होकर आपमें हिम्मत नहीं है कि आप यह कहें कि भूमि का बंटवारा नहीं होगा। अगर आप बंटवारा नहीं करते तो श्री छांगुर राम के दल के लोग बंटवारा करायेंगे और वह दिन प्रदेश के लिए दुर्दिन होगा। आपका अधिक समय न लेकर मैं कहना चाहता हूं कि इन समस्याओं के प्रति जागरूक होकर प्रशासन का ओवरहाल कर दिया जाना चाहिए। हमारे राज्य मंत्री राजस्व का एक भाषण अखबार में छपा "ऐ मुसलमानों एक मुसलमान को सरकार ने आई०जी० पुलिस बना दिया है इसलिये सब कांग्रेस को वोट दो" और इसका खंडन उन्होंने नहीं किया।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मैंने इसको पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा होता तो खंडन करता।

श्री मैनेजर सिंह—

यह छपा था। मैं कहना चाहता हूं कि जाति बिरादरी के नाम पर पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा सचिवालय भी रोगग्रस्त हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि यहां प्रशासन स्वच्छ हो तो निकम्मे, नालायक, बेईमान अफसरों से इस सचिवालय को मुक्त करना होगा। अगर आप चरित्रवान् और योग्य अधिकारियों को नहीं लायेंगे तो यह प्रशासन गिरता जायगा। मुझे किसी मंत्री से या अधिकारी से रंजिश नहीं है। महीलाल जी ने नाम लिया था और कहा था कि इसी मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के विरोध की बात सार्वजनिक रूप से करते हैं और अपने विभाग में भी करते हैं। यह सच है कि माननीय लक्ष्मी शंकर यादव भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं यह आपके विरोधी दल के मुख्य सचेतक का बयान है। क्या आप समझते हैं कि अगर सही काम करेंगे तो विरोधी पक्ष के लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे? इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस राजस्व विभाग में सक्षम, योग्य और काबिल लोगों को लाइये। अगर आपकी इजाजत हो तो सीमा के सम्बन्ध में भी कुछ कह दूं।

[श्री मनेजर सिंह]

हमारे यहां यू० पी० बिहार की सीमा को लेकर जो जमीन का झगड़ा था, त्रिवेदी अवार्ड के अनुसार उसकी एक स्थाई सीमा निर्धारित हुई लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी सीमा के लिये एक अधिकारी का पद स्वीकृत है परन्तु आज तक उस के लिये शासन ने कोई अधिकारी नहीं दिया। तीन बार यहां से नियुक्ति हुई किन्तु हमारे जिले के अधिकारियों ने बलात उनको दूसरे काम में लगा दिया। एक बार नहीं दर्जनों बार मैंने लिखा और जवानी भी शासन के अधिकारियों से कहा लेकिन इसका कोई फल नहीं हुआ। आपके जो मुख्य सचिव हैं, और जिनको इस समय नियुक्त सचिव बना रखा है, उनको हटाइये। उस कलर्क को हटाइये। पी० सी० पांडेय जो प्राइवेट सेक्रेटरी था उसको नियुक्ति सचिव बना दिया है जो क्लर्की करता है और रोज दिन भर इस दफ्तर से उस दफ्तर घूमता रहता है। वहां कोई अधिकारी न होने से हमारे दर्जनों गांवों की हजारों एकड़ जमीन सीमा निश्चित हो जाने के बावजूद भी गलत नक्शे की वजह से बिहार में जा रही है। सन् ८२ की सीमा के होते हुये, त्रिवेदी अवार्ड सीमा के होते हुये, और सीमा अधिनियम के होते हुये ५००–६०० एकड़ जमीन की फसल आपके अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बिहार में चली गयी। चाहे नियुक्ति सचिव पी० सी० पांडेय को हेड क्लर्क बना दीजिये या और कुछ बना कर भेज दीजिये लेकिन यहां से हटाइये और सीमा के लिये कोई अधिकारी नियुक्त कीजिये।

श्री छांगुर राम—

श्रीमन्, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। दो तीन मिनट का समय मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे देंगे।

श्री छांगुर राम—

वैसे लिख कर तो हम लोग हमेशा देते रहे हैं लेकिन दो तीन मिनट का समय मुझे दे दें ताकि मैं अपने कुछ सुझाव दे सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

कल मैंने श्री मैनेजर सिंह को समय नहीं दिया था। इसलिये जब वे खड़े हो गये, उनके दल को या निर्दलीय किसी सदस्य को मौका नहीं दिलाया गया था इसलिये मैंने हालांकि श्री जयराम यादव को पुकार लिया था, फिर भी श्री मैनेजर सिंह को समय दे दिया। अब और किसी को समय नहीं मिलेगा।

श्री छांगुर राम—

आपसे पहले जो अधिष्ठाता महोदय वहां आसीन थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको समय मिलेगा। जब वे चले गये तो आप हमको समय नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब समय नहीं मिला तो हम क्या करें?

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपसे पूर्व अधिष्ठाता महोदय उस कुर्सी पर आसीन थे। जब हम खड़े हुये तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको बोलने का समय मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय हमलोग और हमारा दल इस सदन में और बाहर १० बीघे तक की मालगुजारी माफ करने के लिये आन्दोलन करता रहा हैं । हम इस सरकार से मांग करते हैं कि लगान की प्रथा को बिलकुल समाप्त कर दिया जाय । जमीन से जो मालगुजारी वसूल होती है वह गुलामी और दासता की प्रतीक है । अगर किसी काश्तकार की आमदनी पर कर लगाने की क्षमता हो तो उस पर कर लगाया जाय लेकिन मालगुजारी जिस ढंग से वसूल की जाती है उसको बिलकुल समाप्त होना चाहिये । आजाद देशों में इस तरह की मालगुजारी की कोई प्रथा नहीं है । इसी तरह आय प्रणाली में सुधार करना चाहिये । सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून पास किया उसके बाद समय समय पर कितने ही संशोधन पास किये मगर मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अरबन एरिया में इस कानूनको लागू करते वक्त केवल एग्रीकल्चरल लैंड को ही शामिल किया गया, शेष बन्जर जमीन अब भी ऐसी पड़ी है जिस पर यह कानून लागू नहीं किया गया जिसके कारण टाउन एरिया और नगरपालिकाओं के चुनाव में जमींदारी का डंडा अब भी तेज था । मैं तो कहता हूं कि जमींदारी प्रथा जहां कहीं भी अवशेष रही हो, उसे तुरन्त खत्म किया जाना चाहिये । इसके लिये हमारे दल ने हमेशा संघर्ष किया है । अगस्त और सितम्बर, १९७० में हमारे दल ने आन्दोलन किया भूमि बाटने के संबंध में । राजा अजीतप्रताप सिंह के फार्म पर हमारे दल के ५०-६० आदमी गिरफ्तार भी हुये । राजा दिनेश सिंह के पास भी बहुत बड़ा फार्म है, वे कांग्रेस (आर) के बहुत बड़े नेता भी हैं । उनके फार्म पर भी आन्दोलन के समय हमारे ४३ आदमी गिरफ्तार किये गये । कहीं चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम से, कहीं किसी स्कूल के नाम से, कहीं किसी नाम से दो दो सौ बीघा जमीन लोग लिये बैठे हैं । किसी ने अपने नौकरों के नाम से ट्रान्सफर कर रखी है किसी ने किसी नाम से ट्रान्सफर कर रखी है । यह लोग सीलिंग के कानून को तोड़ते रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर भूमि के वितरण के संबंध में सरकार कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाती तो हमारा दल आन्दोलन करेगा और जमीन को बटवा कर रहेगा । बड़े-बड़े लोगों के फार्मों पर कब्जा होगा, और वहां गरीबों के मकान बनेंगे । सरकार झूठा वायदा करती है कि हम समाजवादी व्यवस्था लायेंगे, देश की गरीबी मिटायेंगे मगर माननीय कमलापति त्रिपाठी के लड़के के पास १० हजार एकड़ का फार्म है, अन्य मंत्रियों, के पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, ५-५ हजार एकड़ के फार्म हैं, तो कैसे समाजवाद आयेगा, कैसे गरीबी मिटेगी । इस बात को बार बार यहां सदन में कहा गया है । क्या जनता इस सरकार से आशा कर सकती है कि वह ऐसे लोगों से जमीन लेगी और भूमिहीन किसानों को देगी और जमीन की सीलिंग करेगी ? नहीं ।

आज काफी जमीन पड़ी हुई है जिसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है । परती जमीन करीब ७९३ हजार हैक्टर है। दूसरी तरह की भी ६०२ हजार हैक्टर है । मेरा सुझाव है कि सरकार को ऊसर जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये कोई रचनात्मक कार्य करना चाहिये कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये और जब वह जमीन कृषि योग्य बन जाये तब उसे गरीब हरिजनों को देना चाहिये । ऊसर जमीन उनको देने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं होते न उनके पास हल होता है, न बैल होते हैं और न अन्य कोई साधन होते हैं । इसके लिये आवश्यक यह है कि एक भूमि सेना गठित की जाय । खेती योग्य जमीन इस तरह से नहीं बनेगी कि खाली ४-४, ५-५ बीघे के खेत लोगों को दे दिये जांय । उनको साधन देने होंगे । तभी जमीन कृषि योग्य बन सकेगी ।

अब मैं एक बात देवरिया के चकिया फार्म के बारे में कहना चाहता हूं । इस फार्म पर एक शुगर मिल है । २६ जून, १९७१ को इस मिल के पास ४०६ एकड़ जमीन थी । पट्टे की अवधि इसी तारीख को समाप्त हो गई है । यह सूचना मिली है कि उस जमीन का अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है । उस पर कुछ तेज-तराके लोगों ने कब्जा कर लिया है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भूमिहीनों को यह जमीन देने का इंतजाम किया जाए ।

[श्री जय राम यादव]

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं हरिजनों के लिए मकान आदि बनाने की जो बात है, उसमें प्रश्न यह है कि यदि बेचारा हरिजन अपना मकान बनाना चाहता है या मरम्मत कराना चाहता है, तो वह मिट्टी कहां से लाए ? इसके लिए यदि कोई कानूनी व्यवस्था हो तो राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करें ।

श्री छांगुर राम—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय दिया जाय । अभी आपने जो व्यवस्था दी है, वह मैं समझता हूं, मेरे साथ अन्याय है । हमें जनता ने चुनकर भेजा है और यहां पर क्षेत्र की बात उठाने के लिये भेजा है, लिखकर देने के लिये नहीं भेजा है । मैं अपनी बात सुझाव के रूप में २ मिनट में ही कहना चाहता था, लेकिन आपने मुझे उसका भी अवसर नहीं दिया । मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री छांगुर राम सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

पीठासीन अधिकारी की व्यवस्था के विरोध में जो लोग सदन त्याग कर चले जाते हैं, वह एक असंसदीय कार्य करते हैं । मैंने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, यह सोचकर कि कुछ लोग जानते नहीं होंगे, नियमों से वह अवगत नहीं होंगे, अज्ञानवश ऐसा करते होंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप अवगत करा दीजिये । क्यों नहीं कराते ।

*श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं इस विषय के ऊपर जितने भी माननीय सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की, अपनी आलोचना की और अपने सुझाव दिये, उन सभी का बड़ा आभारी हूं । मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि हम अपनी जिन नीतियों को कार्यान्वित करने जा रहे हैं, उनमें उनके सुझावों पर जरूर ध्यान रखें और उससे लाभ भी उठाने की कोशिश करें । मान्यवर, कुछ तो सुझाव ऐसे हैं जो करीब-करीब हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने दिये हैं और उनके बारे में मैं शुरू ही में दो-एक बातें कह देना चाहता हूं । श्रीमन्, सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि अभी तक हमारे जो रेवेन्यू कानून हैं, वे दोषपूर्ण हैं, जिनके कारण से लोगों को न्याय मिलने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत देर लगती है और शायद किन्हीं किन्हीं अवस्था में उन्हें सही मानों में न्याय भी नहीं मिलता है । मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया था कि सारी भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में एक ही कानून बहुत ही जल्दी ही आने वाला है उसी को फिर दोहराता हूं और मेरा विश्वास है कि उस कानून में आप इन सब बातों का समावेश पाएंगे जिनकी चर्चा आपने आज की है । उसके आने के पहले भी मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो शिकायतें हैं वह दूर हों । दाखिल खारिज के बहुत से मुकदमें, कागजात के बहुत से मुकदमें तहसीलों में पड़े हुए हैं, जो कि बात सही है कि उनमें बहुत समय लगता है और उनमें जो न्याय हो रहा है उसमें बहुत देरी हो रही है । मेरा निश्चित इरादा है, आप देखेंगे कि यह शासन बहुत जल्द, जो कानून हम ला रहे हैं वह आगे ही, जिस समय आना है, उसके पहले इस प्रणाली में जो भी कुछ थोड़े से दोष हैं आप देखेंगे हमने दूर कर दिया । जितनी बातें कही गयीं, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह ऐसी बातें नहीं हैं जो विवादग्रस्त हों । आप भी कहते हैं कि भूमि की सीमा निर्धारित होनी चाहिए । आप भी कहते हैं कि कानून अच्छा बनना चाहिए, न्याय जल्दी मिलना चाहिए, आप भी कहते हैं कि जो बड़ी-बड़ी जमींनें लोगों के पास हैं भूमिहीनों को मिलनी चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं इसका एक ही जवाब देना चाहता हूं, इरादों पर बहुत हमला किया जाता है, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, कुछ मित्रों ने कहा कि इस समस्या की चर्चा और उसका समाधान, उसकी आलोचना दलगत नीति से ऊपर उठ कर करना चाहते हैं। मुझे दुख है कि कहा तो उन्होंने लेकिन एक भी आलोचना, समालोचना इस किस्म की नहीं हुई। जितनी बातें कहीं, उनमें एक ही बात थी कि किस तरह से एक दल की तारीफ कर दें और दूसरे दल की निन्दा कर दें।

श्री महीलाल---

मैंने कहा कि आप बिल लाएंगे हम समर्थन करेंगे।

श्री उदित नारायण शर्मा---

माननीय महीलाल जी ने खड़े होकर कहा इसलिए निवेदन कर रहा हूं। माननीय महीलाल जी व्याख्यान दे रहे थे उस वक्त मुझे ऐसा मालूम पड़ता था माननीय महीलाल जी कभी सरकार में रहे ही न हों। जितनी समस्याएं उन्होंने बतायीं वह सब उस समय भी मौजूद थीं जब वह सरकार में थे। मैं कहना चाहता हूं कि हर सरकार के सामने ये समस्याएं रही हैं और यह भी मानी हुई बात है कि उन सरकारों में से किसी ने उनको करके नहीं दिखाया। हमारी ईमानदारी का प्रमाण एक होगा, आप देखेंगे कि जो किसी ने नहीं किया है, समय के अन्दर, समय रहते हुए हम करके दिखाएंगे। इस सदन के अन्दर बहुत जल्द सीमा निर्धारित करने के वास्ते, सीमा कम करने के वास्ते कानून पेश होगा, जमीनों पर जो अनधिकार कब्जा करते हैं उनके लिए नियम बन करके आएंगे (व्यवधान) एक निवेदन और कर दूं जो कहा जाता है कि अभी तक भूमिहीनों को जमीन नहीं मिली, उनको जमीन कैसे मिले, मैं कहना चाहता हूं कि यह शासन की नीति होगी कि हम को जितनी जमीनें मिल रही हैं, "अब तक जो बड़े फार्मों की जमीनें मिली हैं उनको ऐसे कामों में लगा दिया जाता था जिससे भूमिहीनों को लाभ नहीं होने पाता था, माननीय मुख्य मंत्री से मैंने कहा और वह मुझ से सहमत थे, उन्होंने कहा कि हमारे शासन की नीति होगी कि इस प्रकार.....

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि १८ हजार कर्मचारी हैं चकबन्दी में उनके बारे में क्या नीति है?

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

वे चकबन्दी से लखपती करोड़पती बन गये। यह चरण सिंह की चक्कर बन्दी खा गयी देश को।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनके पास और माननीय मुख्य मंत्री के पास कितनी जमीन है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैं निवेदन करूंगा कि आइन्दा मिलने वाली जितनी जमीन है वह जमीन काफी है। जितने बड़े कारखानेदार हैं, मिल मालिक हैं उनके पास जो बड़े बड़े फार्म्स हैं उनकी जमीन जब हमको मिलेगी तो हमारा इरादा यही है कि लगभग सारी की सारी जमीन भूमिहीनों में बंटेगी और वह उनको मिलेगी। यह आप देखेंगे कि वह उनको मिली। इसी प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमिहीनों तथा हरिजनों को मकान बनाने के लिये जमीन देने की बात कही गयी है जिस तरह से भी होगा हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे और आपके सामने खड़े होकर हम यह बतलायेंगे और आपसे पूछेंगे कि हम कहां तक इस कार्य को पूरा करने से कासिर रहे हैं? जितने भी कार्य हमने करने को कहे थे आप देखेंगे कि वे सारे कार्य होते

[श्री उदित नारायण शर्मा]

चले जा रहे हैं। (व्यवधान) अगर किसी कार्य के करने में देर हो रही है तो हमने अध्यादेश के जरिये से उस कार्य को पूरा किया और यह नहीं किया कि असेम्बली बैठेगी तब हम विधेयक लाकर उस कार्य को पूरा करें।

अब रही बात समाजवादी दावे की तो बड़े-बड़े दावे सभी के हैं और उनको दुनिया जानती है कि न समाजवादी कभी थे, न समाजवादी हैं लेकिन उनके भी दावे हैं समाजवादी होने के। जो छोटे मोटे समाजवादी हैं भी उनसे भी लम्बे चौड़े दावे उनके हैं। मैनेजर सिंह जी जो यहां बैठे हुए हैं उनका समाजवाद बहुत पुराना है। उनके साथी चाहे इधर बैठे हों अथवा उधर बैठे हों, उन सबको यह ज्ञात है कि उनके बीच में एक वही ऐसे समाजवादी पैदा हुए और केवल वही समाजवादी निकले।

श्री मैनेजर सिंह--

कम से कम दल बदल तो नहीं की।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं जानता हूं कि किसने कितने दल बदले, कितने विचार बदले और इस सदन ने उस सब को देखा है। जिसको जो कहना है वह कहना है। (व्यवधान) शास्त्री जी से मैं कहूंगा कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वह कोई नये नहीं हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी नीतियां जितनी भी हैं उनमें आपको दिखाई देगा कि वास्तव में वे समाजवादी हैं और वे देश को समाजवाद की ओर ले जायंगी। चाहे वे छोटी परिधि के अन्दर हों लेकिन उनकी दिशा दूसरी नहीं होगी, जो भी दिशा उनकी होगी उस दिशा की ओर वे निश्चित रूप से देश को ले जायंगी। अगर हम उत्तर की ओर जायंगे तो निश्चित रूप से चाहे एक ही इंच हो जायंगे उत्तर की ओर ही और इस बात को हम साबित भी करेंगे।

महीलाल जी ने कहा कि जमीन भगवान की दी हुई है। तो यह कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। यह किसने कहा कि जमीन भगवान की दी हुई जमीन नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि अन्दरूनी मामला क्या है इसे हम और वह दोनों ही जानते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर वह इन बातों का इजहार न करते तो शायद मैं यह समझता कि वह वास्तव में दलगत नीति से ऊपर उठ कर वह देश और समाज को सुधार की ओर ले जाना चाहते हैं और इसीलिये उनके दिल में यह पीड़ा हो रही है। मान्यवर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप इतनी जोर-जोर से अपनी-अपनी कहानी बोल रहे हैं किन्तु मैं यह कहता हूं कि इससे लोगों को सन्तोष नहीं होगा।

बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं सभी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा समय लूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मान्यवर, दुबारा चकबन्दी अभी तक किसी ने नहीं किया है और हम करायेंगे। जिन-जिन जगहों पर जहां-जहां जरूरी हुआ वहां पर हम चकबन्दी करायेंगे। हमको चकबन्दी कराने का काज मिलना चाहिए। हर जगह पर तो सम्भव नहीं है इसलिये इसके लिये कोई नियम नहीं बनेगा, कोई कानून नहीं बनाया जायेगा किन्तु अखबारों के द्वारा ही हम ऐसा कर पायेंगे। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि चकबन्दी रोड्स की दिक्कत है, उसको भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्वयं जिलों में जाकर कलेक्टरों और एस० पीज० को बुला कर कहा है कि जहां-जहां पर चेक रोड्स हैं जहां पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उसे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेबिल पर हल करना है और उनको हटाने की कोशिश हमें करनी है।

चकबन्दी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनको स्थायित्व दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इरादा ऐसा नहीं है कि चकबन्दी में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको एक रोज निकाल कर उन्हें

सड़क पर फेंक दिया जाय। चकबन्दी का महकमा स्वयं ही स्थायी नहीं है इसलिये उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को स्थायी नहीं किया जा सकता है किन्तु उनके साथ कोई अन्याय न हो पावे, उनका जो ड्यू है वह उन्हें मिले इसके लिये हमने पहले से कोशिश की है। हमने एक रेशियो निर्धारित किया है और उसके मातहत एक तरफ यह कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से धीरे-धीरे वहां से निकाल कर दूसरी जगहों पर रख दें—उनको कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और कुछ को यहां तक कि डिप्टी कलेक्टर बनायें और बाकी लोग जो बचें उनको कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में खपाने की हम सोच रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

सेटिलमेंट करने के बारे में भी कोई आश्वासन दें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं श्रीमन्, वही निवेदन करने जा रहा था। मान्यवर, इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ी विषमता लगान की दर-सर्किल रेट के सम्बन्ध में आ पड़ी है। इसके लिये मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार का इरादा बहुत जल्दी सेटिलमेंट कराने का है। यहां पर इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में कहा है किसी ने बलिया के सम्बन्ध में तथा किसी ने कुमाऊं के पर्वतीय इलाके के बारे में कहा है कि उन जगहों पर री-सेटिलमेंट हो। सरकार चाहती है कि उनकी यह मांग पूरी हो और हम उत्तर प्रदेश में सेटिलमेंट दुबारा करा देंगे। मान्यवर, दुबारा सेटिलमेंट करने से यह लाभ है कि बहुत सी ऐसी दिक्कतें जो कि चकबन्दी से सम्बन्धित हैं, बहुत सी गल्तियां हैं जो कि किसानों को चकबन्दी से हो गई हैं, उन्हें दुबारा बन्दोबस्त कराने से कुछ न कुछ सुधार हो जायेगा और किसानों को राहत मिल जायेगी। चकबन्दी के मामले में मुझे यह निवेदन करना है कि मुझे थोड़ा दुख है कि हमारे बहुत से साथी यह लेकर आते हैं कि चकबन्दी में इस प्रकार के भ्रष्टाचार या गलतियां हो रही हैं और लोगों को तबाह किया जा रहा है। यह सही है कि कहीं-कहीं चकबन्दी में गलती हो जाती है।

श्री राजितराम पांडेय—

पंडित जी कहीं-कहीं या हर जगह?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पांडेय जी ने जो कहा मुमकिन है वह ठीक हो लेकिन यहां पर बार बार दोहराया जाता है कि हम इसको ४ रोज से कर रहे हैं और बाकी काम सब उन्हीं का किया हुआ है जो आलोचना कर रहे हैं, वह हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो उससे कोई लाभ नहीं निकलता।

श्री राजितराम पांडेय—

चरण सिंह को साहस हो रहा है, आप में नहीं है, क्योंकि उनका बनाया हुआ है आपका बनाया हुआ नहीं है। आपको तो उन्हीं का मुर्दा ढोना पड़ रहा है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं तो महीलाल जी को कुछ बातों की याद दिला रहा था कि उन्हें याद आ जाय तो अच्छा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक चकबन्दी का संबंध है हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो ग्लेयरिंग, साक्षात्, गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। अगर दोबारा चकबन्दी कराने की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी करायेंगे। हम किसी गांव को, जिले को नहीं छोड़ेंगे जहां चकबन्दी न हो जाय।

एक सदस्य—

जिन जिलों की चकबन्दी, जिन गांव की होने से रह गयी है उनमें कब तक दोबारा जारी कर देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो गांव रह गये हैं, मैं चाहता हूं कि....

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी, आपने अभी कहा है कि दोबारा चकबन्दी करायेंगे तभी कुछ सही चकबन्दी हो सकेगी और आपने एक आशंका यह व्यक्त की कि चकबन्दी में लगे हुए कर्मचारी बेकार हो जायंगे। तो इस आशंका से क्या चकबन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों में शिथिलता नहीं आयेगी ? वह तो चाहेंगे कि काम खराब हो जिससे आपको दोबारा, तिबारा करानी पड़े और आप जो दोबारा कराने की बात कर रहे हैं उससे तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि सारी आलोचना, सारे सुझाव तो विपक्ष की ओर से इस बात के आये हैं कि ये जो कर्मचारी हैं, उनकी छटनी नहीं करेंगे और काम की बात कहें तो आप यह कहें कि आइन्दा कैसे काम लोगे, कैसे काम कराओगे ? तो यह तो आपको ही फैसला करना है कि आप यह कहना चाहते हैं या वह।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह का आपका समाज है, जिस तरह की नैतिकता है, जिस तरह का नैतिक स्तर है उस सबके बीच से जो कार्य संभव हो सकते हैं, वही कराये जा सकते हैं। आज यहां पर खड़ होकर मैं यह दावा करने के लिए नहीं आया हूं कि इस सरकार के आते ही एक दम से दूसरे रोज सारे के सारे बुरे कार्य अच्छे हो जायेंगे। उसमें समय लगेगा। यदि समय मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो जरूर हम उस दिशा में कदम बढ़ायेंगे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

यह रेकार्ड आप्रेशंस के संबंध में जो जिलों में आपस में झगड़े हैं, उसके बारे में क्या नीति है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

हमने पहले कह दिया था और हमसे पहली सरकार ने भी कह दिया कि वह हो रहे हैं। लेकिन जब सारे यू० पी० में होना है रेकार्ड आपरेशन और सेटिलमेंट आपरेशन्स होने हैं तो फिर उनको दोहराने की जरूरत ही क्या है। हमारी तरफ से जो कुछ भी है उसको हम बड़े स्पष्ट तौर से और ईमानदारी से आपके सामने रखना चाहते हैं और हम भविष्य को इस बात का साक्षी बनाना चाहते हैं, कि वह देखेगा कि हम जिन नीतियों का प्रतिपादन करते हैं, जिन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये कहते हैं, हम उन कामों को पूरा करेंगे और जरूर करेंगे और इस सरकार को इस बात का श्रेय होगा कि जब कि दूसरे लोग बगलें ही झांकते रहें, हमने उन कामों को पूरा करके दिखाया।

एक सदस्य—

कृपया मंत्री जी यह बता दें कि भूमिहीनों को अपने मकान बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिये मिट्टी कहां से मिलेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं कि जब कि मैंने बजट को प्रस्तुत किया था उसी समय मैंने कहा था कि हमने इस बात का फैसला कर लिया है कि हर भूमिहीन और

हर हरिजन को जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, उसके मकान के लिये भूमि दी जायगी। अब यह बताना कि किस को किस जगह से दी जायगी, यह इस समय सब जगह के लिये मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़-फूलपुर)---

गांव आने जाने के लिये जो जमीन छोड़ी गयी थी उन रास्तों की जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसके बारे में यह सरकार क्या कर रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मैं इस बात को दो मिनट पहले ही निवेदन कर चुका हूं, माननीय सदस्य मुझे बिला वजह बीच में टोक रहे हैं।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मेरा एक निश्चित कटौती का प्रस्ताव है; उसके बारे में मुझे उत्तर मिलना चाहिये। मेरी एक बात का माननीय मंत्री जी जवाब दे दें।

श्री उदितनारायण शर्मा---

समय के रहते मैं सब बातों का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। मद संख्या १ पर बृहद् जोतकर का अनुदान है। उसके बारे में इस बात पर बल दिया गया कि वहां पर भ्रष्टाचार इस प्रकार से होता है लोग अपनी जमीन को कम करके लिखाते हैं। आमदनी कम करके बताते हैं। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि जहां तक बृहद् जोतकर का मामला है इसका फैसला अदालत से होता है। उसकी जुडीशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। इस प्रकार की संभावना अगर सीलिंग में थी कि जोत को अपने दोस्तों को देकर छोटा करके, फर्जी मामले बना कर अपने पास ज्यादा जमीन रख लेते हैं और सीलिंग से बच जाते हैं। यदि उसमें ऐसा हो जाने की संभावना थी तो वहां भी वैसा हो सकता है।

लेकिन बृहद् जोतकर का जहां तक संबंध है उससे आमदनी निकालने का एक निश्चित तरीका बना दिया गया है। जो भी हेरेडेटरी रेट है। उसका साढ़े २२ गुना कर दीजिये, आमदनी निकल जायगी। इससे बेईमानी करने की सबसे कम गुंजायश है। कोई भी व्यक्ति बैठकर उसका गुणा भाग करके निकाल सकता है और देख सकता है कि यह सही है या गलत है। जहां तक जोत के बटवारे का संबंध है, उसके बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह चीज न्यायालय से तय हो जाती है। न्यायालय ही इस बात को देखता है कि यह जो कमी की गयी है वह कानून के अनुसार है या नहीं है। जब सीलिंग में इस प्रकार की बातें हो सकती थीं तो इसमें भी होने की संभावना तो हो ही सकती है। लेकिन जहां तक बृहद् जोतकर की बात है उसमें किसी प्रकार की बेईमानी की कोई गुंजायश नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

श्रीमन्, मैं माल मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं बलिया और बिहार के बार्डर के जिले में बड़ा भारी झगड़ा था। भूतपूर्व प्रधान मंत्री की कृपा हुई और उसका एक हल निकला। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भी झगड़ा चल रहा है। यह सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है। दूसरा वह जमीन की दुबारा हदबन्दी करने जा रही है। प्रायः बहुत किसानों की जमीन लेकर बड़ी बड़ी फैक्टरियों को दी जाती हैं जैसे रबर फैक्ट्री को १३८१ एकड़ जमीन एक्वायर करके १९६० में दी गयी और अभी तक ११ वर्षों में करीब-करीब आधी भूमि का ही प्रयोग किया जा सका है तो क्या सरकार यह प्रयास करेगी कि फैक्ट्री की न्यूनतम आवश्यकतानुसार ही जमीन एक्वायर कराई जावे।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

पहली बात जो आपने यह फरमाया कि हरियाणा और हमारे बीच में भी सरहद का विवाद है, तो यह सही है और इसके विषय में सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अभी तक जो दो प्रान्तों के बीच में बहती हुई नदियां सीमा को निर्धारित करती थीं अब हम नदियों के ऊपर निर्भर न रह कर मुस्तकिल सीमायें निर्धारित करेंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

१५ मिनट के लिये टाइम बढ़ा दें तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो पहले ही बढ़ा दिया ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

शाहजहांपुर जिले में जो चकबन्दी का रुपया वसूल किया जा रहा है क्या उसको स्थगित करेंगे ?

(समय बढ़ाने की क्या आवश्यकता, प्रांट पास करा लीजिये की आवाजें ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १---बहत् जोत कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,४०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं बड़े अदब से आप से गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी न कहा था कि १५ मिनट का समय बढ़ा दीजिये और माल मंत्री जी जवाब दे रहे थे जो वह पूरा भी न कर पाये । तो किन कारणों से आपने बीच में ही रोक कर अपनी व्यवस्था शुरू कर दी ?

श्री उपाध्यक्ष---

५ बजे का जो समय है..... (व्यवधान)

अब प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २---भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,८२,९९,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ११०५ १---बृहत् जोतकर तथा अनुदान संख्या २---भू-राजस्व

श्री कल्पनाथ सिंह---

आपने यह नहीं कहा कि "हां" की संख्या अधिक है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप स्वयं गम्भीर नहीं हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

हर कटौती के प्रस्ताव को रखने के बाद आपको फैसला करना चाहिये कि क्या स्वीकृत हुआ और क्या अस्वीकृत। तो क्या यह नियमों के अनुसार है ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह पास हो गया अगर आप समझते थे कि मेरा निर्णय ठीक नहीं था तो उसके लिये डिवीजन मांगने की व्यवस्था थी, वह आप ने नहीं मांगा तो अब यह पारित हो गया।

नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अब नियम ५१ के प्रश्न आयेंगे, मैं आप का ध्यान नियम ५१ की तरफ....

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं आज के ले रहा हूं.....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला बाराणसी)---

मेरा एक नियम ५६ में स्वीकृत था उस को आप ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं सूचनाएं दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न श्रीमन्, पहले सुन लें कि नियम ५१ के उपनियम (४) में लिखा है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे और (५) में आगे लिखा है कि "एक ही दिन के लिये एक से अधिक सूचनायें प्राप्त होने की दशा में उस सूचना को स्वीकार किया जायगा जिसका विषय अध्यक्ष की राय में सर्वाधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।"

अगर आप आज का एजेन्डा देखें तो उसमें नियम ५१ की ३ सूचनायें छपी हैं। मेरा निवेदन है कि अव्वल तो एक उपवेशन में एक सूचना परही वक्तव्य होना चाहिये लेकिन अगर ले भी लिया गया है तो निवेदन है कि इन तीनों के लिये आप समय का विभाजन कर दें और न करें तो समय के मामले में हर एक पर स्ट्रिक्ट रहें क्योंकि वे सभी महत्वपूर्ण हैं।

श्री रामकुमार (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, कल नियम ५१के बारे में आश्वासन दिया गया था कि कौन लिये जायेंगे और कौन नहीं लिये जायेंगे यह बता दिया जाय। हमें मालूम नहीं हुआ कि कल के नियम ५१ के प्रस्तावों का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब प्रशासकीय नियमों और पद्धति के विरुद्ध सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में यह श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री रामविलास पांडेय का था यह अस्वीकृत हुआ है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैंने तो इसके संबंध में अध्यक्ष जी से बात की थी और उन्होंने उस को नियम ५१ में स्वीकार करने को कहा था, उसको आप कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नियम ५१ के अन्तर्गत यह श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह का स्वीकृत हुआ है जो केन्द्रीय विद्युत वेतन मंडल की रिपोर्ट सरकार बिना संशोधन लागू करे और केसा के कर्मचारियों का वेतन उसी के अनुसार निर्धारित हो बिजली कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके नेता गिरफ्तार किये गये हैं इसके विषय में है ।

एक यह श्री भगवती सिंह विशारद का है कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के कोयले की राख की बिक्री में उच्च अधिकारियों के सांठगांठ से सरकारी हानि के विषय में है। यह अस्वीकृत किया गया है और इसके बारे में यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

श्रीमन्, इसमें आज ही टेंडर हो जायेंगे और ८०० रुपया योजना का नुकसान होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं है इसलिये आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

एक यह अब श्री मोतीलाल देहलवी का है कानपुर के जिला परिषद् के अध्यापकों के रुके हुये वेतन के विषय में । उसके संबंध में कल जो तर्क उन्होंने दिये थे उनको मैंने देखा । दोनों जो स्वीकार हुये हैं उन में और इस में अन्तर है । यह अध्यापक जो अनशन कर रहे हैं वे स्वतः वेतन नहीं ले रहे हैं । इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न वह कर लें तो उसका उत्तर दिला दिया जायगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हुयी थी । उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि इस पर वक्तव्य दिला देंगे । श्रीमन्, यह बड़ा आश्चर्य और खेद की बात है कि माननीय अध्यक्ष जिस बात के लिये कमरे में बुलायें और आश्वासन दें तो उस आश्वासन के विरुद्ध काम होने पर कैसे यह सदन चलेगा । माननीय अध्यक्ष जी ने इसका बचन दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस पर तारांकित प्रश्न कर लें तो मैं स्वीकार कर लूंगा । और अगर ऐसा है जैसा कि आप कहते हैं तो इस पर पुनः बात करनी पड़ेगी ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

श्रीमन्, उन्होंने वक्तव्य दिलाने के लिये स्पष्ट कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें, मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

श्रीमन्, उस समय वहां पर माननीय कृष्णानन्द राय जी भी थे। उनकी मैं गवाही देता हूं। माननीय अध्यक्ष ने मान लिया था कि कि वे इस पर वक्तव्य दिला देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वराणसी)--

श्रीमन्, आप इसको देख लें। कोआपरेटिव विभाग वाले को नियम ५६ में न मानकर ५१ में ही स्वीकार कर लें, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने मान लिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमों में है कि जब प्रशासनकि मामलों के बारे में प्रश्न हीं पूछे जा सकते तो कैसे मैं उसको नियम ५१ या ५२ में ले सकता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, यह प्रश्न तो अविलंबनीय महत्व का है। कुल रजिस्ट्रार बदल दिये गये हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नियम हैं कि उसी जगह स्थानान्तरण नहीं होगा। श्रीमन्, इन्होंने ५० रजिस्ट्रारों को बदल दिया है। कोआपरेटिव विभाग को इन्होंने तबदील करके अपना पोलिटिकल डिपार्टमेंट बना लिया है। एक दिन में ३१ फिर ११ और फिर ७ को एक दिन में ही स्थानान्तरित कर दिया है। ऐसा भी हुआ है कि मिर्जापुर के रजिस्ट्रार को फतेहपुर लेकिन उसी पद पर फिर मिर्जापुर तबादला किया है। आप कृपया इनसे कह दीजिये कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव मान्यताओं और नियमों के विपरीत है कि कोई अधिकारी उसी स्थान पर और उसी पोस्ट पर नहीं जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब सहकारिता का बजट सदन में आये तब आप उस पर बोल लें।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, ५ हजार कर्मचारी कोआपरेटिव के इसमें इन्क्लुडेड हैं और ५ हजार फैमिलीज स्ट्रेंडेड हो गये लेकिन इन्होंने बयान नहीं दिया। कोआपरेटिव विभाग के बजट पर ये बातें नहीं आ सकेंगी। रजिस्ट्रार ए०डी० ओज और सी० ओज, इन्सपैक्टर्स और सुपरवाइजर्स का पहले स्थानान्तरण किया गया ४-६ महीने पहले। लेकिन उन्हें ठीक वहां पर कर दिया गया जैसे पोलिटिकल आदमी अनसीट होते हैं तो यह बड़ा भारी भ्रष्टाचार इस विभाग में हो गया है। आप पूछ लीजिये माननीय अध्यक्ष जी ने इसे स्वीकार कर लिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया तो मैं देख लूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी--

श्रीमन् मैं ३ दिनों से देख रहा हूं। जिला परिषद् के अध्यापकों से सी०पी० टैक्स की बहुत दिनों से कटौती हो रही है। ३ महीने से उनकी तन्ख्वाह नहीं मिली रही है। वे बेचारे ३ महीने से परेशान हैं, रोज आश्वासन मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कल भी आश्वासन दिया था श्रीमन्, आप भी अध्यापक रह चुके हैं आप जानते होंगे कि उन्हें ३ महीने से तनख्वाह न मिलने पर क्या कठीनाई हो रही होगी। हमारे प्रश्न पर अब भी गोलमाल हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

कल इसके समान एक प्रश्न था, वह देखा गया लेकिन मालूम हुआ कि वह उसके समान नहीं है। वहां वेतन नहीं मिला। यहां वेतन नहीं लिया जा रहा है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय ने यह बात हमसे बताई थी, हमारी साफ-साफ बात हुई थी और वे सहमत हो गये थे कि इस पर वे वक्तव्य दिलायेंगे ।

श्री राम कुमार--

इस विषय में मैं स्पष्टीकिरण कर दूं कि जो वेतन नहीं ले रहे हैं उनका मामला क्या है । सी० पी० टैक्स को कानपुर के जिलाधिकरी ने जबरन उनके वेतन से काट लिया है नियमानुसार उनको यह अधिकार नहीं है । उनको उनका जो मूल वेतन है वह भी नहीं मिल रहा है सारे अध्यापकों में रोष पैदा हो गया है । जिलाधिकारी इस बात पर बैन्ट अपान हैं कि उनका सी० पी० टैक्स काट लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न तो मैं स्वीकार कर लूंगा । अध्यापकों को देर से राहत मिल या जल्दी मिले आप क्या चाहते हैं ?

(श्री रामकुमार के खड़े होने पर)

मैं बात कर लूंगा । आप कृपा करके बैठें ।

माननीय सुरेंद्र विक्रम ने एक सूचना दी है कि लखनऊ कानपुर के बीच हरौनी स्टेशन पर गाड़ी रोककर दो आदमियों को घायल किया गया है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सचिव, विधान मंडल को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कल । उसके संबंध में आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी कि वह मंजूर हुआ है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया और यह निर्णय नहीं हुआ है कि वह किस तिथि को रक्खा जायेगा । कल अध्यक्ष जी ने समायाभाव के कारण उनकी तारीख बदल दी थी वे अस्वीकृत नहीं किये हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

मुझे सूचना है कल तक के लिये स्वीकृत किये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल वाले प्रस्ताव देख लेंगे ।

(श्री रामकुमार के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । आप पूछेंगे वक्तव्य के लिये । तो वह तो सात आठ तारीख के लिये स्वीकृत होगा । अल्पसूचित प्रश्न का जवाब तो जल्दी मिल जायेगा ।

श्री राम कुमार--

मैं वह बात नहीं कर रहा हूं । क्या कल के नियम ५१ के बारे में आप बतलायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से काम कैसे चलेगा । जो आज के हैं मैं उनको सुना रहा हूं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

वह परसों लिया गया था .....

श्री उपाध्यक्ष—

जो आज लिये गये हैं उनके बारे में मैंने सूचना दी है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

परसों वालों का क्या होगा ? उसके विषय में सूचित कीजिये कि वे वक्तव्य के लिये स्वीकार हुए हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जो निर्णय लिये हैं उसी को तो बताऊंगा ।

(व्यवधान)

माननीय सुरेंद्र विक्रम सिंह जी ने प्रश्न किया था कि यह दुश्मनी से गोली चली है ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, आपने जो समय बढ़ाया था वह तो समाप्त हो गया । अब हम लोगों को घर जाने की इजाजत दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी समय समाप्त नहीं हुआ है । अभी तो फतेहपुर के बारे में.....

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, हरौनी के बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

हरौनी के बारे में तो मैंने कह दिया कि आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, करीब आधा घंटा तो रोज इस सफाई में निकल जाता है कि किसका मंजूर किया, किसका नहीं किया, क्यों नहीं किया और इसमें हमारा सबका वक्त जाया जाता है, जिसमें वक्तव्य और प्रश्न हो सकते हैं । अभी आपने १५ मिनट का समय बढ़ाया । वह सफाई में निकल गया । फिर पांच बजे के बाद आप घंटों बैठाये रहते हैं । न चाय मिलती है न कुछ यह जो बक-बक, झक-झक होती है । इसे आपके कमरे में ये लोग कर लिया करें .....

श्री उपाध्यक्ष—

अपने बहुमूल्य सुझाव जो आप दे रहे हैं, इन्हें आप हमको दे दीजियेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जब यह इस कोने में बैठते थे तो सुझाव नहीं देते थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आगे चलेंगे । आज की कार्य सूची में मद २२, प्रदेश की चीनी मिलों में किसानों का गन्ने का मूल्य के रूप में बकाया के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य रखा गया था किन्तु इसी विषय से संबंधित कुछ अन्य सूचनायें भी प्राप्त हुई हैं जिसके लिये २९-७-७१ रखने का आदेश हुआ था। एक ही विषय पर दो दिन वक्तव्य रखने की आवश्यकता नहीं है। अतः आज की कार्यसूची का मद २२ स्थगित किया जाता है और सभी सम्मिलित सूचनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य अब २९-७-७१ को होगा ।

अब मद संख्या २० का वक्तव्य होगा ।

फतेहपुर जिले के थाना ललौली के थानाध्यक्ष द्वारा ग्रामीणों को पीटने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २१/२२ जून, १९७१ को फतेहपुर जिले के ग्राम मुहम्मदपुर थाना ललौली में पड़ी एक डकती के मामले में एक नामजद रिपोर्ट लिखाई गई, जिसमें अधिकांश अभियुक्त समीप के गांव नयापुरवा व गांव कंजरन का पुरवा के निवासी थे । इस डकैती की विवेचना के संबंध में ललौली के थानाध्यक्ष ने पुलिस दल के साथ अभियुक्तों के घरों की तलाशी कुछ गवाहान के सामने ली तथा कुछ माल व रुपया बरामद किया जिसकी सूची बनाकर गवाहान व मालिकान दोनों के हस्ताक्षर लिए । तलाशी के समय पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक दोनों ही गांव में गए तथा सभी शिकायतों को सुना । मारपीट व बेइज्जत करने की शिकायतों की जांच हेतु १३ व्यक्तियों को डाक्टरी मुआयने के लिये भेजा गया जिसमें केवल एक पुरुष व एक स्त्री को साधारण चोटें आना पाया गया । फिर भी इस मामले में सी० आई० डी० जांच के आदेश दिये जा चुके हैं । जिलाधिकारियों द्वारा सी० आई० डी० की रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व किसी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही कराना उचित नहीं समझा गया । दो गावों में सुरक्षा के लिये सशस्त्र पुलिस लगा दी गई है । गांव में किसी प्रकार की उत्तेजना होने की अथवा गांव से किसी भी व्यक्ति के भागने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सी० आई० डी० की जांच डी० एम० की संस्तुति पर करायी जा रही है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जी हां ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, अगर यह जांच डी० एम० की संस्तुति पर की जा रही है तो डी० एम० की अपनी फाइंडिंग क्या है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

डी० एम० ने यह कहा था कि क्योंकि यह मामला बड़ा पेचीदा मालूम पड़ता है इसलिये सी०आई०डी० की इनक्वायरी अधिक उचित रहेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब डी० एम० ने डकैती की रिपोर्ट पर यह माना कि इसमें सी० आई० डी० की जांच हो तो सही माने में डी० एम० ने स्वयं क्या रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में दरोगा लोगों के बारे में क्या लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न क्या हुआ ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने पूछा कि दरोगा लोगों की ज्यादती के बारे में डी०एम० ने क्या लिखा है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, जिस पार्टी ने शिकायत की थी उसी ने यह मांग की कि सी० आई० डी० की इनक्वायरी तत्काल करा दी जाये । इस पर कलेक्टर ने कोई अपनी फाइंडिंग न देकर के तत्काल सी०आई०डी० की इनक्वायरी का आदेश दे दिया और जब सी० आई० डी० की इनक्वायरी हो रही है तब कलेक्टर अपनी कोई फाइंडिंग कैसे दे सकते हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जब जिला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने बयान लिये और १३ आदमियों को शफाखाने भेजा गया जिनमें २ आदमियों को चोटें आयीं पायीं गयीं तब फिर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जब जांच सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दी गयी है तब किसी के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा यह प्रश्न नहीं है । सी० आई० डी० की जांच हो । जब शफाखाने में दो आदमियों को चोट पायीं गयीं तब उन चोटों को मारने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज न किये जाने का क्या कारण है ? यह मेरा निश्चित प्रश्न है । डी० एम० खुद गये और १३ मजरूह आदमियों को शफाखाने भेजा गया और बयान लिये गये तब उन दो आदमियों को चोट मारने वालों के विरुद्ध मुकदमा न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जो आदमी शफाखाने भेजे गये थे उन सभी १३ को सिम्पिल इनजरीज आयी थीं और कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके कारण कोई बड़ी कार्यवाही कर दी जाती ।

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री महोदय जिलाधीश की रिपोर्ट पढ़ कर सुनायेंगे ? क्या यह सही है कि थानदार ने उन दोनों में से एक को पकड़ लिया जो कि औरत थी और उसकी धोती की गांठ खोली और उसको नंगा करके घुमाया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, यह बात सही नहीं है प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर।

श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पर गये थे और १३ आदमियों को डाक्टरी मुआयने के लिये भेजा गया। जो जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक नयापुरवा गांव में गये थे, उदितनारायण शर्मा साहब भी गये थे, उन्होंने जांच के आदेश दिये, जिनके ऊपर अत्याचार किया उनके बयान भी लिये गये, तो क्या उसकी रिपोर्ट सदन की पटल पर रखी जावेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कहें तो पढ़ दी जाय, लम्बी है। शिकायत यह थी कि कुछ लोगों ने एक गांव में डकैती डाली और पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज हुई कि फलां आदमियों ने डकैती डाली है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह उत्तर असंगत है, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने सुना नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने सुना है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप कुछ न कहें, उनको कह लेने दीजिये उसके बाद आप कहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं यह कह रहा था कि थाने पर यह रिपोर्ट दर्ज हुई कि डकैती पड़ी है और नामजद रिपोर्ट की गई। पुलिस गई और तलाशी ली। जिन लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज की थी उनके यहां से कुछ माल बरामद हुआ और उसी समय यह दूसरी शिकायत गई कि पुलिस वालों ने गिरफ्तारी के समय ज्यादती की। इस बात की जांच के लिये कलेक्टर गये थे कि शिकायत सही है या नहीं है। उन्होंने डाक्टरी परीक्षा करवाई तो जब किसी को चोट नहीं लगी तो गिरफ्तार किसे करवाते।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब कलेक्टर मौके पर गये और जांच की और उन्होंने सी० आई० डी० को यह मामला सौंपा और चोट में यह दिखलाया गया कि एक महिला के भी चोट है, इसके बावजूद भी उन अधिकारियों को मुअत्तिल करने में सरकार को क्या हिचक है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चोटें साधारण थीं, डकैती संगीन थी। मैं समझता हूं कि इस कारण कलेक्टर ने जिनके खिलाफ रिपोर्ट थी उनको भी गिरफ्तार नहीं कराया और मारने वालों को भी गिरफ्तार नहीं करना चाहा।

श्री गोबिन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, माननीय मंत्री जी ने यह भी सूचना दी है कि दो व्यक्तियों के चोटें आई हैं, जिनमें एक महिला

थी । यह भी उत्तर दिया कि पुलिस अधीक्षक मौके पर गये और उनकी रिपोर्ट थी कि यह मामला सी०आई०डी० को सौंपा जाय, तो इसके क्या विशेष कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैंने निवेदन किया कि जो रिपोर्ट है वह पढ़कर सुनाई जाय। कलेक्टर वहां गये और जांच की तो जिन्होंने पुलिस के खिलाफ शिकायत की थी उन्होंने कहा कि आप सी० आई० डी० इन्क्वायरी करवा दें । कलेक्टर ने इसको स्वीकार कर लिया।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एक आवश्यक सूचना और प्रश्न करना है । क्या मुख्य मंत्री जी हमसे यह सूचना ग्रहण करेंगे जिसकी जानकारी जिलाधीश, फतेहपुर को है। हमारे कांग्रेस दल के एक विधायक और भूतपूर्व अध्यक्ष, हर प्रसाद ने जब सुना कि पुलिस ने ज्यादती की है तो वहां जांच करने गये और जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में शिकायत की ? इसमें थानाध्यक्ष महोदय इतने नाराज हुए कि उन्होंने जिलाधीश से कह डाला कि इन विधायक महोदय को हम डाके में फंसाने जा रहे हैं क्योंकि यह बवन्डर मचा रहे हैं । श्रीमन, वह एक विधायक को डकैती में फंसाने की धमकी देते हैं अगर श्री उदितनारायण शर्मा जी वहां गये थे । इस सारे मामले की गहराई को देखते हुए सी०आई० डी० तफतीश तक क्या उस थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर होने के आदेश देंगे ?

*राजस्व मन्त्री (श्री उदितनारायण शर्मा)--

जिस दिन की यह घटना है उस दिन मैं बिन्दकी स्थान पर था । वहां डाक बंगले पर विधायक महोदय और श्री हर प्रसाद जी आये और उन्होंने कहा कि पुलिस आयी थी और उसने जांच की थी । उन्होंने यह भी कहा कि स्त्रियों के साथ ज्यादती की गयी । जब उन्होंने यह कहा तो मैंने कलेक्टर और एस०पी० से कहा कि आप जायं और जांच करके आयें। वे लोग गये और जांच करके शाम को आये और मुझसे कहा कि हम गांव में गये थे और दूसरे पक्ष ने जरूर इस बात की शिकायत की कि हमारी स्त्रियों के साथ बेइज्जती की गयी है और जैसा पन्ना लाल जी ने कहा कि लकड़ी डाली है। मैंने कहा कि आपने क्या किया तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमसे कहा है कि आप हमारी जांच न करके सी०आई०डी० को दे दें । इसलिये मैंने डी०एम० ने सी०आई०डी० को दे दिया । यह भी मालूम हुआ कि दो के चोटें लगी हैं जिसकी रिपोर्ट यहां पर है । अगर आप देखना चाहें तो देख लें । लेकिन गौर करके आप यह भी देख लें, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि शिकायत बढ़ा-चढ़ा कर की गयी है । अगर स्त्रियों के साथ वास्तव में दुर्व्यवहार किया गया था जैसा कि कहा गया है तो ऐसा है कि वह डाक्टरी परीक्षण से बच नहीं सकता । वह जरूर नजर में आयेगा । कुछ दुर्व्यवहार ऐसे हैं जो कि डाक्टरी परीक्षण में नहीं आते । डाक्टरी परीक्षण किया गया तो कहा गया कि स्त्रियों के साथ जो इस तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत की गयी है उसके कोई चिन्ह नहीं हैं । उसके बाद इन अधिकारियों को कांसस होकर काम करना पड़ा कि किसकी बात कितनी सही मानी जाय और कितनी सही न मानी जाय । उन्हीं लोगों ने यह भी मांग कर दी थी कि सारा का सारा मामला सी०आई०डी० के सुपुर्द कर दिया जाय । यह मेरी जानकारी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

यह मामला फतेहपुर जनपद का है और मैं भी कुछ जानकारी रखता हूं । ग्राम मुहम्मदपुर पर आज से तीन महीने पहले कंजरन का पुरवा और नयापुरवा के लोगों ने चढ़ाई की जिससे उस गांव के लोगों पर ३०७ का मुकदमा कायम हुआ ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

यह सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री जयनारायण सिंह---

इसी से संबंधित है । इसके बाद ३०७ के मुकदमों के गवाहों के ऊपर सात घरों पर डकैती पड़ी जिसमें राजाराम पैरोकार का भी घर था । इन परिवारों को लूटा गया और ३५ हजार की डकैती हुई । चार महिलायें जिनमें दो लड़कियां और एक बहू थी, उनके साथ बलात्कार किया गया । ऐसी चर्चा है फतेहपुर में । और मैं सरकार से सवाल रखता हूं कि एक सिल-सिलेवार एक गांव के ऊपर दूसरे गांव के लोग चढ़ाई करते हैं और उनकी मंशा है कि ये लोग अपना गांव छोड़ दें और इनमें कुछ बड़े लोगों का हाथ है । तो इन तमाम बातों की जानकारी के लिये सी०आई०डी० से जांच कराने की कोशिश करेंगे कि यह एक कांसपिरेसी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

सी० आई० डी० की मांग तो मान ली गयी है ।

श्री पन्नालाल गुप्त---

श्रीमन, श्री जयनारायण सिंह ने कहा कि जहां डकैती पड़ी है वहां ४-४ स्त्रियों के साथ व्यभिचार हुआ है लेकिन जहां डकैती पड़ी है वहां कहीं भी व्यभिचार के नाम से कोई रिपोर्ट में बात नहीं है । रिपोर्ट में यह कहीं नहीं लिखा गया है । ये बिलकुल झूठ कह रहे हैं क्योंकि इनके भाई पक्के डकैत हैं और पुलिस से मिले हुये हैं । इसलिये मैं चैलेंज करता हूं कि अगर रिपोर्ट में व्यभिचार के नाम से कोई बात लिखी गयी होगी तो मैं एम०एल०ए० शिप से इस्तीफा दे दूंगा वरना वे दे देंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । शासन दल के दो सदस्यों इस बात को उठाया है और माननीय मुख्य मंत्री से इसका जवाब चाहा है । प्रश्न के रूप में ही इसकी जानकारी की जा सकती है । मुख्य मंत्री ने रेवेन्यू मिनिस्टर से कहा और वे भाषण करने लगे । श्री पन्ना लाल जी ने जो बातें कहीं हैं वे बड़ी संगीन किस्म की हैं । इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर दो ढाई घंटे की चर्चा करवा दें और तब तक थानेदार को मुअत्तल कर दें । उसके बाद फिर सोच कर जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । माननीय मुख्य मंत्री ने रेवेन्यू मिनिस्टर को कह दिया जब कि मैंने मुख्य मंत्री से स्पष्ट कहा था कि क्या मेरी सूचना को ग्रहण करके थानेदार महोदय को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर देंगे । क्योंकि उन्होंने हमारे दल के एक विधायक श्री कृष्णदत्त को जिलाधीश के सामने यह धमकी दी कि उनको भी डकैती के मामले में फंसाऊंगा । फतेहपुर के जिलाधीश भी इस बात को जानते हैं । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अनुग्रह करके सी०आई०डी० की इनक्वायरी तक उन थानेदार महोदय को लाइन हाजिर कर देंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इसका जवाब चाहता हूं क्योंकि मैंने

थानेदार के लाइन हाजिर और सस्पेंशन की अपील की है क्योंकि यह एक विधायक का प्रश्न है ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मैं माननीय मुख्य मंत्री की अनुमति से ही जो तथ्य है उसको सदन के सामने लाना चाहता हूं । आप तथ्य को तोड़ें मरोड़ें नहीं ।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह हमारे दल के एक विधायक से संबंधित प्रश्न है जिनको वहां के एक थानेदार ने डकैती के मामले में फंसाने की धमकी दी है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे इसका जवाब दें । इसमें तथ्य का कोई सवाल नहीं है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, एक विधायक की तरफ से यह सूचना आयी है इसलिये उस बात में अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है लेकिन आपने जिक्र किया कि कलक्टर के सामने इस तरह की बात थानेदार ने कही । तो इस विषय में मैं कलेक्टर से और एस०पी० से भी पूछ लूंगा और अगर इस प्रकार की बात हुई कि डकैती में फंसाने की धमकी दी तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी । लेकिन मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह केस जो है, इसकी सी०आई०डी० द्वारा जांच हो रही है और जो लोग डकैती के मुजरिम थे उन्होंने अपने को कचहरी में हाजिर किया, डाक्टरी परीक्षा भी हुई और सी०आई० डी० की इनक्वायरी भी हुई । थानाध्यक्ष से पूछतांछ करके कार्यवाही की जायेगी लेकिन इस मामले में सी०आई०डी०कीइनक्वायरी जो हो रही है, मैं चाहूंगा कि इसपर एक उच्च स्तरीय सी०आई० डी० की इन्क्वायरी हो जाय न कि लोकल ।

(व्यवधान)

(शोर)

श्री कृष्णदत्त (जिला फतेहपुर)--

जब यह प्रश्न मैंने यहां रखा तो उसके बाद मान्यवर, कलेक्टर महोदय ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आपने यह प्रश्न चूंकि हाऊस के सामने रख दिया है, इसलिये यह बहुत गम्भीर हो गया है और हमारे सामने परेशानी आ गयी है । दरोगा हमसे आकर कहते हैं कि यह डकैती आपने डलवायी है । अब हमारे सामने दिक्कत है कि हम क्या रिपोर्ट दें । मैंने उनसे कहा कि आप एक साल से यहां हैं आप इसकी जांच कर लें और पता लगा लें कि क्या मैं डकैती डलवाता हूं और उसके बाद आप जो चाहें लिख सकते हैं । मैं तो आपसे बात नहीं करना चाहता । (व्यवधान) अध्यक्ष जिला परिषद्, श्री हरी प्रसाद ने बताया कि वह कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे (व्यवधान) । तो अभी जैसा कि जयनारायण सिंह जी ने बताया कि जिनके यहां डकैती पड़ी उनके यहां ४ महिलाओं के साथ व्यभिचार हुआ, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब इस प्रकार की घटना हुई तो उनकी क्या डाक्टरी करायी गयी, यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, पुलिस द्वारा ज्यादती की घटना एक गम्भीर घटना से जुड़ी हुई है । मैं चाहूंगा कि यह सदन गम्भीरता से इसे अपनाये । यह डकैती २२ जून को पड़ी है मोहम्मदपुर गांव में । डकैतों की गोली से एक व्यक्ति घायल होता है और अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है । जो मुलजिम थे इनमें एक को तो पहले ९ वर्ष की सजा हो चुकी थी, दूसरे को ६ माह सजा थी, एक बसन्ता नाम का था (व्यवधान) यह व्यक्ति ९ वर्षों का सजायाफ्ता

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी—]

अभियुक्त है और ए० क्लास का हिस्टीशीटर है। इस केस में ऐसा पता लगा है कि कुछ लोगों ने जान बूझ कर इस प्रकार का षडयन्त्र रचा है कि डकैतों को क्श न किया जा सके और उन्हें प्रश्रय प्रदान किया जाय। (शोर)

थानेदार और थानाध्यक्ष को थ्रेटेन किया गया.....

(शोर)

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

आपने मुझे समय नहीं दिया, इसलिये मैं सदन त्याग करता हूं।

(श्री शिव कुमार पांडेय सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदन से कहूंगा कि आज सदन में शासक दल की ओर से दो और विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य ने सदन त्याग किया समय न मिलने के कारण, इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस पर श्रीमन्, विवाद करा दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

विरोधी पक्ष के लोग सदन त्याग करें तो बात समझ में आती है, लेकिन शासक दल के लोग त्याग करें तो नहीं समझ में आती है।

श्री उपाध्यक्ष—

सब लोगों को कैसे समय दिया जा सकता है, जब समय सीमित हो।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं आपसे और सदन से निवेदन करना चाहता हूं, यह बहुत ही अहम मसला है, किन्तु जब इसमें सारे लोग बोल पड़ते है तो मामला सुलझने के बजाय बहुत उलझ जाता है। जो तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं उनसे सही तस्वीर सामने आ ही नहीं पाती है। इसलिये आप इजाजत दें तो मैं एक मिनट में सारी स्थिति स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मैनेजर सिंह को समय दे दिया है। वह खड़े हैं। मैं मजबूर हूं।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय सदस्यों ने जो सवाल किये। अभी जो माननीय जयनारायण सिंह ने कहा, जिसके घर में डकैती पड़ी, उस घर की चार महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। जो रिपोर्ट है उसमें इसका जिक्र नहीं है, तो मुख्य मंत्री जी यह बतायें कि बलात्कार हुआ तो उसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में है? और यदि शिकायत है तो क्या उन महिलाओं की डाक्टरी हुई? क्या इस भावना को लेकर वहां के दरोगा ने उस गांव के साथ प्रतिकार स्वरूप ऐसा किया है। जिनके खिलाफ डाक्टरी रिपोर्ट थी, उनके खिलाफ वहां की महिलाओं ने कहा है और उसकी बात को श्री पन्नालाल, जो शासक दल के सदस्य हैं उन्होंने भी कहा। उनसे जिलाधिकारी ने कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि महिलाओं को नंगा किया गया और उनके गुप्तांग में लकड़ी की गई। इसी बीज को हरप्रसाद जी ने भी कहा है, उनसे हर प्रसाद जी की बातचीत हुई थी। हरप्रसाद जी प्रदेश के जाने माने हुए नेता हैं, उनकी बातें एक गम्भीरता और वजन रखती है। जिलाधिकारी ने हरप्रसाद जी से कहा था कि जो वाकई में शिकायत है, उससे ज्यादा हमें वहां शिकायत मिली है। तो यह तो बहुत ही महत्व का गृह विभाग से सम्बन्धित विषय है। इसका जवाब स्वयं मुख्यमंत्री जी दें। द्विवेदी जी को तो अनुभव है नहीं, इनको गलत अनुभव मिला है। आप इस पर जवाब दें। सदन इस पर गम्भीर है। आपने सी० आई० डी० की तो जांच कराई, लेकिन वह दरोगा वहीं जमा हुआ है, तो नहीं होना चाहिये था। जिलाधिकारी की रिपोर्ट क्या है, उसको आप पढ़ दीजिये, ताकि सदन के सामने सारी परिस्थिति साफ हो जाये। जिलाधिकारी की रिपोर्ट की मांग पन्नालाल जी करते हैं। तो आप क्यों नहीं उसे बताते, आप क्यों बचना चाहते हैं ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिनके घर में डकैती पड़ी, उनके यहां बलात्कार वगैरह की घटना का जिक्र उनकी रिपोर्ट में है नहीं। जयनारायण सिंह जी वहां के रहने वाले हैं, जैसे कि श्री पन्नालाल को वहां की जानकारी है और हमारे मित्र को जानकारी है जो विधायक है। वैसे ही राजनारायण सिंह को जानकारी रही होगी। जांच के दौरान पुलिस उनके यहां गई नहीं और न उसने इस बात की जांच की। पुलिस उनके घर में गई थी जिनका नाम डकैती में दर्ज किया गया था। उनके घर की तलाशी भी गई और कुछ सामान भी निकला था। उन्होंने बाद में कहा कि बड़ी ज्यादती की गई। उस राजस्व मंत्री वहां मौजूद थे। तो दूसरे दिन कलेक्टर और एस० पी०—दोनों ही मौके पर गये थे और मौके पर उन से लोगों ने कहा दोनों तरफ से बातें कही गई और बाद में उनकी डाक्टरी जांच हुई। उसकी रिपोट मौजूद हैं भी। बहरहाल जुर्म एक ही मालूम पड़ता है। यह अगर आपत्तिजनक बात है यदि दरोगा ने किसी माननीय सदस्य से कहा कि तुम इसमें बहुत कुछ बोलबाल रहे हो, तो तुमको भी डकैती में फंसा दिया जायगा। यह ऐसी बात कही है तो अवश्य उसके खिलाफ जांच होनी चाहिये। इसकी जांच करके शीघ्र ही मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। जितनी जांच है सी० आई० डी० द्वारा हो रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि सी० आई० डी० द्वारा जांच करने से मामले मुकदमे टल जाते हैं। अगर बाकायदा तफतीश चलती रहे, किसी से तफतीश करवायें तो ठीक से मामला चलता है। सी० आई० डी० से इनक्वायरी हो जाती है, तो सारे मामले रुक गये, तीन महीने तक कोई मामला चलने वाला नहीं है। सी० आई० डी० की इनक्वायरी उनके मांग करने से हो गयी है। आप कहें तो यहां से ऊंचे सी० आई० डी० के अधिकारी जो हैं उनको भेज दिया जाय ताकि उसकी जांच-पड़ताल कर लें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसमें यह बात बिलकुल सही है कि २१–२२ की रात को राजाराम त्रिपाठी जो मुहम्मदपुर के रहने वाले हैं उनके यहां डाका पड़ा। यह भी सही है कि कंजड़ पुरवा मजरा कुंडरा के बसन्त, रामधनी, दयाशंकर वगैरह नामजद मुलजिम हैं और यह भी सही है कि पंडित राजाराम जी, इन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा था, उसमें वह गवाह थे। ये सारी बातें कंसीड की जा रही हैं। इस गांव में पुलिस ने दबिश दी रात को, रात को २–३ के पास, दबिश चलती रही २–३ के तीन बजे तक। अगर इन मुलजिमों को पकड़ लेते या जिनके यहां चोरी का माल मिला होता उनको पकड़ लेते तो किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं था। लेकिन इस हद तक गया कि एक कलावती पत्नी रामगोपाल है इसको नंगा करके प्रदर्शन किया गया और दूसरा १२ साल का लड़का शरबतिया नाम का दयाशंकर की लड़की है। इस को नंगा करके उल्टा गिरा कर दरोगा ने इसके ऊपर पेशाब किया। इस तरह की अमानवीय घटना हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

है। इत्तफाक से या इन लोगों के सौभाग्य से माननीय माल मंत्री उस दिन मौजूद थे। पन्ना लाल जी, बालकृष्ण जी और कुछ और सम्भ्रान्त लोग उनसे मिले और उनसे कहा कि इस तरह की ज्यादती हुई। डी० एम० उनके पास मौजूद थे। आपने उनको हिदायत की वह मौके पर जायं। डी० एम० और एस०पी० दोनों मौके पर गये। मुझे बताया गया है कि उन्होंने मौके पर जाकर विक्टिम्स के बयानात लिये। डाक्टरी मुआयना भी करवाया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने इस बात पर भी गौर किया कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप रन कर रहे हैं, जब मौके पर डी०एम० और एस० पी० रैंक का आदमी जाता है उसको तथ्य मालूम होते हैं, इसके बावजूद वह कोई कार्यवाही क्यों नहीं करता है। आप इस चीज को मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि फलां आदमी ने दरख्वास्त दी कि वह सी० आई० डी० से जांच करवायें इसलिये वे चुप हो गये। डिड इट अकर टु यु ऐट आल, आपने गौर भी किया कि मौके पर डिस्ट्रिक्ट लेविल के दो बड़े अफसर जाते हैं, एक नाबालिग लड़की को नंगा करके दरोगा इतना वहशी हो गया कि पेशाब करता है, और कोई कार्यवाही न हो ? डाके से कोई मतलब नहीं है, पंडित जी। यह मामला बिलकुल उससे अलग है। इस तरह से दोनों इश्यूज जो जोड़ कर कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर मैं बिलकुल जायसवाल जी से सहमत हूं। जब वहां पर कलेक्टर और एस० पी० गये और उन्होंने देखा, तो कोई भी सी०आई०डी०की मांग करता,उन्हें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए था और तदनुसार उसकी कार्यवाही करनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि यह चीज होनी चाहिये थी। यह गांव के रहने वाले आदमियों का मामला है, पार्टी बन्दी का सवाल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं। मैंने इस बात का, जब एस०पी० आये थे तो उनसे मैंने कहा था कि यह बात गलत हुई है। आपने जब देखा उन चीजों को और तो आपको कार्यवाही करनी चाहिये थी। उन्होंने कहा कि हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी कार्यवाही पर भरोसा नहीं है। आप सी० आई० डी० को दे दीजिये। इसलिये यह समझ कर कि भरोसा है, सी० आई० डी० को दे दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस मामले को छोड़ नहीं रहा हूं। आपकी भावनाओं से भी परिचित हूं कि जिस तरह की कार्यवाही कलेक्टर तथा एस० पी० को करनी चाहिये थी उन्होंने नहीं की और इस सम्बन्ध में जो मुनासिब होगा वह करूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं विशेषाधिकार का एक नोटिस देना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो बयान माननीय सदस्य ने दिया है उस बयान को देखते हुए यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। उसका कल नोटिस दे दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय मुख्य मंत्री जी यह समझते हैं कि इस मामले में जांच की आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब इस पर किसी सवाल की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इस तरह की घटनायें इस प्रदेश में हो रही हैं और आप पर उनका कोई असर नहीं हो रहा है जब कि उनका जिक्र सदन में हो रहा हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अब अगला प्रश्न माननीय गृह मंत्री रखेंगे। मैं इस सम्बन्ध में किसी और प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

गोरखपुर जिले के ग्राम खानीपुर में जीप से बालिका की मृत्यु तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा अत्याचार के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक २६-३-७१ को करीब ५ बजे शाम को एक आठ वर्षीय बालिका एक प्राइवेट जीप से ग्राम खानीपुर जिला गोरखपुर के सामने दब गई। बालिका उसी ग्राम की निवासिनी थी। ग्रामवासियों ने जीप के ड्राइवर दुर्गासिंह पर हमला किया और उसे बुरी तरह पीटना आरम्भ किया जब यह मारपीट जारी थी। एस० ओ० (सी०) एवं परगना मजिस्ट्रेट, सदर गोरखपुर सरकारी जीप से उधर से निकले। परगना मजिस्ट्रेट ने उक्त प्राइवेट जीप के ड्राइवर को बुरी तरह पिटते हुए देखा तो गांव वालों को समझाने की कोशिश की व उन्हें कानूनी कार्यवाही करने को कहा। गांव वाले जो पहले से उत्तेजित थे, परगना मजिस्ट्रेट से नाराज हो गये और उनको तथा उनके साथ के अन्य कर्मचारियों को भी मारना पीटना आरम्भ कर दिया और उनका कुछ सामान भी छीन लिया। इस घटना को टैक्सियों से जाने वाले व्यक्तियों ने देखा और इसकी सूचना राजघाट पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंच कर परगना मजिस्ट्रेट को गांव वालों की गैर कानूनी हिरासत में पाया और उन्हें छुड़ाया। पुलिस ने तुरन्त १४ व्यक्तियों को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया व उनसे परगना मजिस्ट्रेट, कानूनगो व ड्राइवर की तीन हाथ घड़ियां व कानूनगो का बैग जिसमें १०० रु० थे, बरामद किया। बैग में से रु० १०० गायब हो चुके थे। दो अन्य अपराधी २७-३-७१ को पकड़े गये।

बालिका के कुचलने के बारे में थाना सहजनवा पर अपराध संख्या ६२ अन्तर्गत धारा २७९/३३८ भा० दं० वि० जीप ड्राइवर दुर्गासिंह के विरुद्ध कायम हुआ जो बाद में बालिका की मृत्यु के उपरान्त धारा २७९/३०४ ए भा० दं० वि० में परिवर्तित हुआ। इसके अतिरिक्त अपराध संख्या ६३ अन्तर्गत धारा १४७/३२३/३३२/४२७/३९५ एवं अपराध संख्या ६४ अन्तर्गत धारा १४७/३२३/४२७ भा० दं० वि० भी थाना सहजनवा पर परगना मजिस्ट्रेट तथा प्राइवेट जीप ड्राइवर के भतीजे की रिपोर्ट पर दर्ज हुये।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को जेल भेजा गया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७/८८ दं० प्रा० स० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी विशेष रूप से कुर्की की कार्यवाही पूरी होने तक के लिये ग्राम खानीपुर में तैनात किया गया था जिससे किसी को परेशानी अथवा असुविधा न होने पावे।

मुकदमा अपराध सं० ६२ अन्तर्गत धारा २७९/३०४ ए भा० दं० वि० की जांच न्यायालय की इजाजत प्राप्त करके अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। शेष दोनों मुकदमों में चार्जशीटें न्यायालय भेजी गई हैं।

इस घटना के संबंध में कुछ शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुये थे जिनमें पुलिस और अधिकारियों द्वारा ज्यादती किये जाने की शिकायतें थी। शासन ने इस मामले की आयुक्त गोरखपुर मंडल द्वारा जांच कराई। जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा गांव वालों को मारे-पीटे जाने या कोई धमकी दिये जाने की बातें सही नहीं पायी गयीं गांववालों को लूटे जाने अथवा महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने के आरोप निराधार पाये गये।

उक्त जांच के परिणाम के कुछ अंशों से सराकार सहमत नहीं है। अतः उस संबंध में शासन ने आयुक्त से पुनः पूछ-ताछ की है। जो पुलिस विभाग के स्थानीय कर्मचारी इस घटना से संबंधित हैं, शासन ने उनके स्थानान्तरण आदेश दे दिये हैं।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो घटना वहां पर घटी है, उसको सही माना है, वहां के जिलाधिकारी तथा एस० पी० तथा माननीय पन्ना लाल जी ने जो कि वहां के रहने वाले हैं उन्होंने कहा है कि यह घटना वहां पर घटी है तो.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रश्न चला गया यह अब दूसरा सवाल है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे यह जो दुर्गासिंह ड्राइवर है, वह किसी सरकारी जीप का ड्राइवर है अथवा प्राइवेट जीप का है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

प्राइवेट जीप का ड्राइवर है।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में आखिर में कहा है कि उक्त जांच के परिणाम के कुछ अंशों से सरकार सहमत नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में शासन ने आयुक्त से पुनः पूछताछ की है. . .तो इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब यह घटना घटी और उस घटना के सम्बन्ध में जो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री राम अवध सिंह जी हैं, उन्होंने एक शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था जिसमें यह मांग की गई थी कि आप इस जांच को स्वयं करायें अथवा किसी वरिष्ठ मंत्री द्वारा, बल्कि उन्होंने नाम भी लिया था कि डा० सीताराम को वहां भेज कर इसकी जांच करायें। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उक्त जांच के परिणाम के कुछ अंशों से वह सहमत नहीं हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से अंश है जिनसे वे सहमत नहीं हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

रिपोर्ट तो उनकी बहुत लम्बी चौड़ी है और यदि आप चाहें तो मैं उसको यहां पर पढ़वा दूं।

एक सदस्य—

सारांश बता दीजिये।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

सारांश यह है कि जो शिकायतें की गई थी गिरफ्तारी के दिन पुलिसवालों ने वहां के लोगों को मारा पीटा और लूट-पाट की और लोगों को पेड़ से बांध दिया और जांच रिपोर्ट में है कि ये सारी बातें गलत हैं किन्तु सरकार ने उन बातों को नहीं माना है और हमने उनसे फिर कुछ सवालात किये हैं और उसमें लिखा है कि हम आपकी इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हैं अतः फिर से क्लेरिफिकेशन उनसे मांगा है। नीचे के दरोगा जो थे उनका ट्रांसफर वहां से हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि आयुक्त की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री संतुष्ट नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब उस आयुक्त ने एक बार जांच कर ली और उसने अपनी रिपोर्ट भी आपके पास भेज दी जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर दुबारा उसी आयुक्त से क्यों रिपोर्ट मांगी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कि उसके जिन अंशों से हमारा संबंध नहीं था उस पर कई सवाल लिखकर हमने भेजे हैं कि इन प्रश्नों को पहले आप देख करके बताएं तभी कार्यवाही की जाय।

श्री रामकरन सिंह—

जो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट ने लिखाई और प्राइवेट जीप के ड्राइवर ने थाने पर, सहजनवा के, लिखाई वह कब लिखी गई और किस तारीख को और किस समय ? दूसरी बात यह है कि जो शिकायत की गई थी उसमें जब यह कहा गया कि जिलाधीश और गोरखपुर जिले के समस्त अधिकारी घटनास्थल पर दो घण्टे के अन्दर ही पहुंच गए उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि मुख्य मंत्री जी जो कमिश्नर की रिपोर्ट है उसको पढ़ दें तो स्पष्टीकरण उससे हो जायगा कि अधिकारी वहां पहुंचे या नहीं। क्योंकि आरोप यह लगाया गया कि जिलाधीश ने वहां कहा कि इस गांव को फूंक दिया जाय, जला दिया जाय, हिन्दुस्तान के नक्शे से इसको खत्म कर दिया जाय और अपने हाथ के डण्डे से मारा। १२–१४ आदमियों की गिरफ्तारी हुई, सारा आतंक हुआ। इसमें कोई बात नहीं आई है। जब मैंने और रामअवध सिंह ने लिखकर और जबानी दिया कि जांच करायी जाय कि कब रिपोर्ट लिखाई गई और घटनास्थल पर रिपोर्ट लिखाने के पहले ही यह सारी कार्यवाही हो जाती है ८८ की, उस पर क्या कहना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं निवेदन करूं कि हमारे माननीय सदस्य वहां मौजूद नहीं थे और जिलाधीश ने क्या कहा यह बात भी वह कहीं सुनी हुई कह रहे हैं, लिहाजा उस पर बिना जांच पड़ताल कराए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कह रहे हैं कि जिस आयुक्त ने जांच की थी उसी पर न भेजी जाय, तो वह तो वहां से बदल गए हैं, दूसरे गए हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को वहां से स्थानान्तरित कर दिया और आयुक्त ने जो रिपोर्ट भेजी थी उससे भी संतुष्ट नहीं है, दोबारा भेजा है और इसी मामले में नं० ६२ का केस उन्होंने सी० आई० डी० को दे दिया है जोकि कोर्ट में जा चुका था और कोर्ट की इजाजत से उस पर जांच सी० आई० डी० कर रही है, तो ऐसी हालत में न० ६३ और ६४ वाले मामलों को भी क्यों न सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक दूसरे से संबंधित हैं ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जो ६२ नं० का है जिसमें लड़की कुचली गई है और कुचल कर मर गई है वह न्यायालय की अनुमति से सी० आई० डी० को जांच के लिए दे दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने तो खुद कहा कि न० ६२ की जांच सी० आई० डी० को दे दी गई है, लेकिन साथ ही जब आप कमिश्नर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर क्यों न ६३ और ६४ को भी सी० आई० डी० को दे दिया जाय जांच के लिए जो उसी से कनेक्टेड हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

दूसरी न्यायालय के विचाराधीन हैं, यह भी न्यायालय को भेजा जा चुका था। पर लड़की दबी एक जीप से जिस पर कोई सरकारी कर्मचारी बैठे थे। न्यायालय में केस चलाया गया और यह मुनासिब समझा गया कि न्यायालय की अगर इजाजत हो तो उसकी सारी जानकारी हासिल करने के लिए उसकी फिर से इंक्वायरी करा ली जाय।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)---

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जिस गांव में घटना हुई वह किस थाने के अन्तर्गत पड़ता है? वहां से गोरखपुर की दूरी क्या है और थाने की दूरी क्या है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

यह गांव सहजनवां थाने के अन्तर्गत पड़ता है और यह थाना घटनास्थल से ५ मील की दूरी पर है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस घटना में घटनास्थल पर जिलाधीश ने स्वयं कहा था कि गांव को फूंक दो, लूट लो तो क्या रामकरन सिंह और श्री रामपति की सूचना को सही मान कर जिलाधीश के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि राम करन जी वहां नहीं थे, इसलिए उसकी जांच होगी क्योंकि यह बात निश्चित तौर पर नहीं कही जा सकती।

श्री सुखपाल पांडेय---

उन्होंने वहां स्वयं जाकर जांच की थी।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात वे स्वयं कहें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

यह बात सही है कि वहां एक लड़की मरी। वहां पर पुलिस वालों को पीटा गया और पुलिस वालों ने भी वहां के लोगों को खूब पीटा और अधिकारियों ने शासक दल का पक्ष लेकर उनकी सहायता भी की तो फिर क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन दोनों केसेज को भी वापस लेकर फिर से एक निष्पक्ष संस्था से उसकी जांच कराएंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वे दोनों मुकदमे तो न्यायालय के विचाराधीन हैं। मैं अपने तौर पर उनमें प्रशासकीय पूछताछ कर रहा हूं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

सरकार की ओर से बयान में कहा गया है कि दो पार्टियां नहीं है। गांव वालों में कोई तनाव नहीं है फिर क्या वजह है जो बयान में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी को विशेष रूप से कुर्की की कार्यवाही होने तक के लिए तैनात किया गया जिससे कोई परेशानी या असुविधा न होने पाए। क्या इस पुलिस आफीसर को जानबूझ कर लोगों को पीटने के लिए भेजा गया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वह तो इसलिए रखा गया था कि बाद में यह शिकायत न हो कि पुलिस के सिपाही घर में घुस गए अथवा उन्होंने कोई गलत कार्यवाही की। वरिष्ठ अधिकारी को इसीलिए रखा गया था कि ऐसी कोई शिकायत लोगों को न होने पाए।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

यह जो १४ आदमी गिरफ्तार किए गए थे वे रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किए गए थे अथवा रिपोर्ट दर्ज होने के पहले ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, १४ व्यक्ति उसी वक्त मौके पर मिल गए थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हुए कि क्राइम नं० ६२ जिसमें बालिका दबी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको दबाने के लिए ६३ और ६४ क्राइम नं० की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस तरह से तीनों का आपस में संबंध है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने ६२ को तो अदालत की इजाजत से सी० आई०डी० को दे दिया है फिर क्राइम नं० ६३ और ६४ को अदालत से वापस लेकर सी० आई० डी० को देने में उन्हें क्या परेशानी है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि ६३ और ६४ अदालत के विचाराधीन है।

श्री रामकरन सिंह—

मान्यवर, दो बार सवाल किया, जवाब नहीं आ रहा है। अभी मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि १४ आदमियों की गिरफ्तारी तत्काल कर ली गई है। यह कहा गया है कि जीप के ड्राइवर ने और जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने सहजनवां थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। गिरफ्तारी गांव में तुरन्त होती है। रुपया राजघाट की पुलिस बरामद करती है और जिलाधीश और दूसरे अधिकारी नहीं रहते हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट जो आई है काफी तोड़ मरोड़ की गई है। मैं कोई चुनौती की बात नहीं करता हूं, मैं तो आपको दावत देता हूं कि आप स्वयं उस जगह चलें। यह सही है कि मैं घटना के समय उस जगह पर नहीं था लेकिन यह भी सही है कि घटना के तुरन्त बाद मैं वहां गया और सारी जानकारी को जो मैंने और श्री राम अवधि सिंह ने लिख कर दी है और जो भी एलीगेशन्स हमने किए हैं हम उनको साबित करा देंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह कोई प्रश्न तो नहीं हुआ लेकिन माननीय रामकरन सिंह जी कह रहे हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि गांव वाले मुझसे मिल लें और जो कुछ बताना चाहें बता दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

जिले के बड़े-बड़े अफसरों का इससे संबंध है। कमिश्नर की रिपोर्ट कुछ संदिग्ध है। हमारे माननीय उपमंत्री जी उसी जिले के हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि उनको तमाम घटना की जरूर जानकारी होगी क्योंकि लोकल बात छिपी नहीं रहती हैं। लेकिन अगर वह न जानते हों तो मैं तो मुख्य मंत्री जी से यह कहूंगा कि अपने डिप्टी मिनिस्टर से ही जांच करा लें क्योंकि उनके ऊपर हमको विश्वास है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय शर्मा जी बहुत दिनों तक सरकार में रहे हैं, कोई नए व्यक्ति नहीं है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या आज तक कभी ऐसे मामलों में कोई मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर जांच करने गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप ही ने मुजफ्फर साहब को एक दफा भेजा था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या हमारा कभी नम्बर ही नहीं आएगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे पहले आप कितनी दफा खड़े हुए ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय असरार अहमद ५८ से ऊपर हो गए हैं, इनको रिटायर कर दिया जाय। (हंसी)

यह जो घटना घटी इसमें बालिका के दबने के बारे में कोई विवाद नहीं है कि जीप से एक बालिका दबी। मजिस्ट्रेट गए, हस्तक्षेप किया, मजिस्ट्रेट पीटे गए, यह भी स्वीकार है। सवाल तो यह है कि मजिस्ट्रेट के पीटे जाने के बाद जब पुलिस और अधिकारी गए तो गांव में ज्यादती उन्होंने की। तो जो मजिस्ट्रेट बेगुनाह पीटे गए उनको तो आपने स्थानान्तरित कर दिया.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जानकारी हासिल करने के लिए कोई बात हो, दफा ५१ में है, पचासों सवाल हो चुके, पूरी तरह से जिरह हो चुकी। अब अगर इस तरह से व्याख्यान होने लगेंगे तो मैं क्या जवाब दूं ?

श्री मैनेजर सिंह—

मैं व्याख्यान नहीं दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि एक बेगुनाह मजिस्ट्रेट मारा गया इसलिए कि उसने उस मारपीट में हस्तक्षेप किया। तो उसको तो स्थानान्तरित कर दिया गया और नीचे के लोग स्थानान्तरित कर दिए गए और जो अधिकारी गांव में गए और वहां ज्यादती की, और आपको भी कुछ ऐसा ऐहसास हो रहा है कि आपके अधिकारियों ने ज्यादती की इसीलिए आपको शंका हुई कि आयुक्त ने ठीक जांच नहीं की। तो और अधिकारियों को आपने क्यों नहीं हटाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बहुत से अधिकारी वहां से हटाए जा चुके हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब वहां का एस० ओ०सी० पीटा गया और वहां से जब ट्रक से बालिका दब गई और जब एस० ओ०सी० ने कहा कि ड्राइवर को क्यों मारते हो, तब लोगों ने उनको पीटा लेकिन उसके बाद जिले के सभी उच्च अधिकारियों और पुलिस ने मिलकर उस गांव में जाकर तमाम तरह का भ्रष्टाचार किया है, जुल्म किया है। यह सही है कि वह मारे गए लेकिन जिन्होंने मारा उन्हीं को दण्ड मिलना चाहिए था न कि पूरे गांव पर उपद्रव ढा दिया गया। तो क्या इतनी बड़ी घटना को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी उ

अधिकारियों को जिन्होंने संगठित होकर यह काण्ड किया है, सस्पेन्ड करेंगे या वहां से सभी को स्थानान्तरित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर तो हो चुका। अगर मुख्य मंत्री जी चाहते हैं तो फिर उत्तर दे दें।

(मुख्य मंत्री के न खड़े होने पर)

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ जुलाई, १९७१।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१९ पर)

अभियुक्तों की सूची

१—विजय कुमार
२—मोहन
३—हीरालाल
४—बरमेश्वर
५—रामाशंकर, पुत्र सीताराम
६—शिवजी
७—कैलास सिंह
८—त्रिवेनी
९—तेज नारायन
१०—शिव बली
११—बनारसी
१२—रामवचन
१३—मोहन
१४—रामअवध
१५—बच्चासिंह
१६—कन्हैया
१७—पारसनाथ
१८—शिवनाथ
१९—सूरज राम
२०—हंसनाथ
२१—विजय बहादुर, पुत्र रामजनम
२२—रामाशंकर, पुत्र जगन्नाथ
२३—रामजी
२४—रामवृक्ष
२५—दीना नाथ
२६—दीना
२७—विजय बहादुर, पुत्र श्यामदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२३ पर)

जिला अलीगढ़ के थाना अतरौली के वर्तमान थानाध्यक्ष ने २–११–७० को कार्य भार ग्रहण किया। उस समय से २५–४–७१ तक थाना अतरौली पर दर्ज हुए डकैती, हत्या और चोरी के मामलों के सम्बन्ध मे वांछित सूचना संलग्न है।

अपराध	संबद्ध व्यक्ति का नाम / घटनास्थल	रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	कार्यवाही
डकती	१—उदय पाल पुत्र भूरा, ग्राम कन्दौली।	२६–११–७०	जांच जारी है।
	२—होती लाल पुत्र टीका राम, ग्राम बूलापुर।	२५–१–७१	अंतिम रिपोर्ट लगी।
	३—तेजपाल पुत्र शोभा राम, ग्राम बसई।	२५–१–७१	चालान हुआ।
	४—विजय पुत्र भूप सिंह ग्राम खेड़िया बहादुर गढ़ी।	२६–१–७१	अंतिम रिपोर्ट लगी।
	५—बाबू राम पुत्र ख्याली राम ग्राम सरायबनी।	२२–२–७१	अंतिम रिपोर्ट लगी।
	६—ज्वाला सिंह पुत्र दुर्गा सिंह ग्राम सूरत गढ़।	२७–२–७१	चालान हुआ।
हत्या	१—रामपाल पुत्र भूरे लाल, ग्राम तेवतू।	११–११–७०	चालान हुआ।
	२—एक अज्ञात स्त्री–सरहद ग्राम चन्दौली।	२०–११–७०	अंतिम रिपोर्ट लगी।
	३—लाल हजारी लाल सरहद मौजा जामना।	२४–११–७०	चालान हुआ।
	४—एक अज्ञात पुरुष—रेलवे स्टेशन अतरौली रोड के निकट	८–३–७१	अंतिम रिपोर्ट लगी।
	५—काली चरन, मोहल्ला पीर बहादुर अतरौली।	२२–४–७१	अंतिम रिपोर्ट लगी।
चोरी	१—राम स्वरूप पुत्र पीताम्बर, गुदाई पुर २—होरी सिंह पुत्र लीलाधर, सरायबली ३—रामरतन पुत्र किशन सिंह, उचांन ४—श्याम सुन्दर सिंह पुत्र राजाराम सिंह, अतरौली। ५—पोतनिया बेवा कुन्दन, सालारपुर ६—चन्द्रपाल शर्मा पुत्र अम्बादत्त शर्मा, कमालपुर। ७—बशी पुत्र जालिम, लोहगढ़ ८—सोरन सिंह पुत्र कुन्दन सिंह, अखेड़ा।	चोरी की कुल ९५ रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें से ७७ में जांच की गई और १८ में जांच नहीं की गई। जिन ७७ में जांच की गई उनमें से ६ चालान हुए, ७० में अंतिम रिपोर्ट लगी और १ में जांच जारी है।	

अपराध	संबंद्ध व्यक्ति का नाम/घटनास्थल	रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	कार्यवाही
चोरी			
	९—पशु सेवा केन्द्र, खेड़ा कल्यानपुर ।		
	१०—बंगाली पुत्र शिव प्रसाद, कुंवरपुर ।		
	११—श्री राम पुत्र रासचन्द्र, अतरौली ।		
	१२—श्रीमती मनोरमा शर्मा, काजिमाबाद ।		
	१३—जानकी प्रसाद पुत्र तोताराम, चन्डौला सुजानपुर ।		
	१४—मंगलसेन, कटरा, अतरौली ।		
	१५—मंगल सिंह पुत्र नत्थूसिंह, सूरतगढ़ ।		
	१६—मुरारी लाल पुत्र किशन लाल, नगला हरनजी,		
	१७—सेवाज अली, पुत्र जुम्मन, जमालगढ़ी,		
	१८—भरत सिंह पुत्र फूल सिंह, नगला हरनजी,		
	१९—बाबू खां पुत्र अगनू खां, मढ़ौली,		
	२०—लखन सिंह पुत्र भोला सिंह, राजमार्गपुर,		
	२१—पन्ना लाल पुत्र परसादी, मौजा खेड़िया,		
	२२—दूध की डेरी, जिरौली,		
	२३—रमेश चन्द्र दफ्तरी, अतरौली,		
	२४—रामपाल पुत्र भूपाल सिंह, गुदाई पुर,		
	२५—बिन्दू पुत्र बुलाकी, वैभवीरपुर,		
	२६—लीलाधर, दाउदगढ़ी,		
	२७—लौहोरी पुत्र नौबत राम, झिझरका,		
	२८—खमानी पुत्र जीवाराम, महगवां,		
	२९—अस्पताल, कन्दौली,		
	३०—दाउदयाल पुत्र बाबू राम, सरायबली,		
	३१—दिनेश चन्द्र शर्मा, पुत्र भूप सिंह कन्दौली,		
	३२—चुन्नी सिंह पुत्र हुलासी, सिंह चन्दौआ,		
	३३—मोहम्मद यूसुफ पुत्र नन्हें शेख, अतरौली,		
	३४—नरायन पुत्र नन्हे, अतरौली,		
	३५—इन्द्रजीत शर्मा पुत्र तोताराम, रानियाबली, अतरौली,		
	३६—निरीक्षण भवन अतरौली, नलकूप विभाग,		
	३७—अमर सिंह पुत्र महराई, पीपेली,		
	३८—प्यारे खां, पुत्र नन्हें खां, अतरौली,		
	३९—कूप नं० १६४, मौजा चन्डौली बुजुर्ग ४		
	४०—शिव चरन लाल शर्मा, लाइनमैन, तेबतू,		
	४१—बनवारी लाल पुत्र बुद्धसेन, वैभवीरपुर,		
	४२—राजवीर पुत्र छोटे लाल, वैभवीरपुर,		
	४३—सरकारी बिजली का सामान, रायपुर दलपतपुर,		
	४४—महेन्द्र पाल सिंह, सालारपुर,		
	४५—चोखेलाल पुत्र प्यारे लाल, अतरौली,		
	४६—मेवाराम पुत्र काशीराम, अतरौली,		
	४७—देवी सिंह पुत्र गोवर्धन, बहादुरपुर,		

विधान सभा

अपराध	संबंद्ध व्यक्ति का नाम/घटनास्थल	रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	कार्यवाही

४८—बास्पति शर्मा पुत्र कुंवर जी लाल, अतरौली,
४९—नियाजुद्दीन पुत्र सिराज खां, पक्का गढ़ी,
५०—बनवारी सिंह, अतरौली,
५१—पशु रक्षा केन्द्र, ग्राम चकातल,
५२—नसीर खां पुत्र उमराव खां, बड़ौली,
५३—सईद खां पुत्र अब्दुल अजीज, अतरौली,
५४—घासीराम पुत्र धान सिंह, अतरौली,
५५—राम प्रसाद पुत्र छीतर सिंह, चलाथल,
५६—राजवीर सिंह पुत्र चिरंजी सिंह, अतरौली,
५७—रोशन लाल पुत्र वंशीधर, अतरौली,
५८—नेकराम शर्मा पुत्र प्यारे लाल शर्मा, गूलापुर,
५९—राजा राम, अतरौली,
६०—उमेश चन्द्र शर्मा पुत्र बद्री प्रसाद लोहगढ़, अतरौली,
६१—सेवाराम पुत्र पूरन सिंह, कासिमपुर,
६२—श्यामा पुत्र संदूरा, नहल,
६३—राम सिंह पुत्र टोढ़ी सिंह, नहल,
६४—श्रीमती शकुंतला देवी तत्नी तोताराम बीसमपुर,
६५—गुलाम अली पुत्र इमामअली, पट्टी शेर सिंह, रामघाट रोड,
६६—शिव कुमार, अतरौली,
६७—बाबू लाल पुत्र दलीपचन्द्र, नहल,
६८—विनोद कुमार पुत्र बद्री प्रसाद, मतहपुर।
६९—राजवीर सिंह पुत्र राम चन्द्र सिंह, मेमारान, अतरौली

सरकारी ट्रांसफार्मर की चोरी की ४ घटनाएं सरकारी बिजली के तार की चोरी की २२ घटनाएं।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२६ पर)

१-१-७० से १-४-७१ तक जिला कानपुर के थाना डेरापुर, मंगलपुर और रसूलाबाद के अन्तर्गत हुए अपराधों के सम्बन्ध में सूचना:—

		डकैती	बल्वे	चोरी	कत्ल
डेरापुर	..	२	१३	५२	५
मंगलापुर	..	१०	२०	१०९	२
रसूलाबाद	..	८	२१	१६९	५

विधान सभा सदस्य दस्तेर

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२८ पर)

मुरादाबाद राजकीय दीक्षा विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम विद्यालय	नाम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवा काल की अवधि
१	रा० जे० टी० सी० कांड	१—श्री मो० वासीन	२९-३-६३	लगभग ८ वर्ष
		२—श्री हरि बिशन	१७-८-५८	„ १२ वर्ष ९ माह
		३—श्री गजसिंह रावत	८-१-६०	„ ११ वर्ष
		४—श्री विशन सिंह	१८-१-६२	„ ९ वर्ष
		५—श्री बाल मुकुन्द	१-३-६२	„ ९ वर्ष
		६—श्री गोविन्द राम	५-५-६२	„ वर्ष
		७—श्री मेवा राम	१४-११-६४	साढ़े छः वर्ष
		८—श्री हरकेश	२७-१०-६७	साढ़े तीन वर्ष
		९—श्री लीलाधर	१९-२-७१	तीन माह
२	रा० दी० विद्यालय, मुरादाबाद	१०—श्री रंगी लाल	२०-१०-६४	६ वर्ष
		११—श्री अमर सिंह	७-७-७०	१० माह
३	रा० दी० विद्यालय, बुढ़नपुर	१२—श्री हजारी लाल	सितम्बर, १९४९	२२ वर्ष
		१३—श्री डोरी लाल	१-५-६२	९ वर्ष
		१४—श्री अब्दुल सुभान	१०-१०-६२	साढ़े आठ वर्ष

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२८ पर।)

प्रदेश सरकार द्वारा पिछले ५ वर्षों में १–४–६६ से ३१–३–७१ तक देहरादून जिले से प्रकाशित होने वाले स्वीकृत दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापन की अनुमानित धनराशि ।

क्रम-सं०	समाचार पत्र का नाम	१९६६–६७	१९६७–६८	१९६८–६९	१९६९–७०	१९७०–७१
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
१	हिन्दी दैनिक-जनता एक्सप्रेस ..	.. ..	१,७७८–७०	..	३,८३७–३०	३,५३९–२५
२	दैनिक दून दर्पण ..	.. ..	..	३७१–२५	४,७२५–९५	४,७०७–७५
१	अंग्रेजी दैनिक नार्दन पोस्ट, ..	.. ..	१,५५१–५०	४,८०४–८०	५,३३९–४०	२,१४५–००
२	अंग्रेजी दैनिक हिमांचल टाइम्स	.. ..	..	..	४,९४६–७०	३,७६९–८०
	हिन्दी साप्ताहिक					
१	हिन्दी हिमांचल टाइम्स ..	.. २,५३८–००	२,५४२–००	२,१३९–००	२,३९२–५०	१,५७९–०५
२	साप्ताहिक दून दर्पण ..	.. १,१४६–००	१०६–००	यह पत्र दैनिक हो गया है ।		
३	युगवाणी	.. १,५१९–५०	१,५९४–००	१,५२२–००	१,६८७–६५	३,७९८–३०
४	सीमान्त प्रहरी ..	.. १,२९०–००	७०९–००	४५९–००	२३६२–५०	१,२१४–३०
५	नया जमाना ..	.. ८८९–००	१,०८४–५०	४५८–००	१,३८९–००	१,४७१–८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	समाचार पत्र का नाम	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०	१९७०-७१
६	फ्रंटियर मेल	..	..	८८१.००	१,०९१-००	१,१९०-२०
७	चेतावनी	२,१५५-५०	१,२१९-५०	१,२५४-००	१,९००-५०	६८८-०५
८	हिमानी	..	३९८-००	४२६-००	..	४५८-७०
९	राष्ट्रीयता	..	..	..	३९८-००	४५८-७०
१०	युवापीढ़ी	..	..	..	७४३-४०	६५२-७०
११	जन लहर	..	..	..	..	१४८-५०
१२	१९७०	..	..	..	..	५३१-००
१३	रेहरा पत्रिका	..	..	..	..	४९-५०
	उर्दू साप्ताहिक १—देश सेवक ..	१,३२०-००	१,१६७-००	९६१-५०	१,२५७-००	४२५-७०
	१—अंग्रेजी साप्ताहिक देहरादून एक्सप्रेस ..	..	३२२-२५	६१०-७५	१,०९९-५०	९०-७५
	२— „ „ हिमांचल टाइम्स	१,१५८-००	४९०-००	१,६९४-००	२,४९२-६०	६२७-००
	३— „ „ फ्रंटियर मेल	३,८१६-००	२,२७६-४०	१,८७७-२०	५,४५१-६०	२,४४२-००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३३ पर)

तालिका 'ख'

प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक ३०-६-७१ तक गन्ना मूल्य का बकाया

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	मिल का नाम	१९६९-७० का बकाया	१९७०-७१ का बकाया	योग	विवरण
१	२	३	४	५	६
१	इकबालपुर	—	३४.२५	३४.२५	वसूली प्रमाण जारी है।
२	डोईवाला	—	१९.०६	१९.०६	,,
३	देवबन्द	—	२८.०४	२८.०४	,,
४	लक्सर	—	३.७४	३.७४	,,
५	सहारनपुर	—	२९.५०	२९.५०	रोधनादेश
६	सरसावा	—	२६.०८	२६.०८	,,
७	मन्सूरपुर	—	४१.५६	४१.५६	,,
८	खतौली	—	१.७८	१.७८	,,
९	रोहाना	—	२१.०९	२१.०९	,, रोधनादेश है
१०	शामली	—	१९.१६	१९.१६	रोधनादेश
११	सखोतीटांडा	२.२०	२७.१२	२९.३२	,,
१२	दरौला	०.१७	—	०.१७	
१३	जसवन्त	—	३३.२१	३३.२१	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है। रोधनादेश
१४	मोहिद्दीनपुर	—	३८.०२	३८.०२	,,
१५	बेगमाबाद	०.०१	२.९८	२.९९	,,
१६	सिरसौली	—	—	—	
१७	मवाना	—	०.०४	०.०४	,,
१८	बागपत	—	१५.४२	१५.४२	,,
१९	बुलन्दशहर	०.०४	३९.३७	३९.४१	,,
२०	काशीपुर	—	३८.९७	३८.९७	वसूली प्रमाण पत्र जारी है।
२१	बाजपुर	—	६२.३३	६२.३३	,,
२२	अमरोहा	०.१४	३४.५१	३४.६५	,,
२३	बिलारी	०.४४	११.४६	११.९०	रोधनादेश
२४	धामपुर	०.०४	१.६४	१.६८	,,
२५	सेवहारा	—	१.६३	१.६३	,,

१	२	३	४	५	६
२६	बिजनौर	..	२३.६६	२३.६६	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है
२७	रामपुर	१७.१९	७७.७१	९४.९०	,,
२८	नेवली	०.८०	०.३८	१.१८	,,
२९	बहेड़ी	—	५७.१५	५७.१५	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है रोधनादेश
३०	बरेली	८.७२	१९.६९	२८.४१	,,
३१	पीलीभीत	१.५९	४४.७५	४६.३४	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है ।
३२	मझोला	०.३९	१४.४५	१४.८४	,,
३३	रोजा	५.७५	३५.९३	४१.६८	वसूली प्रमाण-पत्र रो नादेश
३४	हरदोई	—	०.३४	०.३४	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है ।
३५	हरगांव	—	—	—	
३६	महोली	—	१५.७५	१५.७५	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है । रोधनादेश
३७	बिस्वां	०.०३	१६.६७	१६.७०	,,
३८	गोला	—	—	—	
३९	ऐरा	—	५.५८	५.५८	,,
४०	बुढ़वल	१८.५२	१७.८५	३६.३७	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है ।
४१	बाराबंकी	१२.३४	२.७०	१५.०४	वसूली प्रमाण । जारी है
४२	मोतीनगर	११.०१	१७.६१	२८.६२	,,
४३	शाहगंज	०.३८	१.२५	१.६३	,,
४४	वभनान	०.०४	३७.९७	३८.०१	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है ।
४५	नबावगंज	७.१०	२१.७८	२८.८८	वसूली प्रमाण-पत्र जारी है ।
४६	तुलसीपुर	—	१०.०४	१०.०४	,,
४७	बलरामपुर	—	६.३२	६.३२	,,
४८	जरवलरोड	१७.१७	२२.००	३९.१७	,,
४९	खलीलाबाद	—	११.९५	११.९५	,,
५०	मुन्डेरवा	—	११.४४	११.४४	रोधनादेश
५१	बस्ती	०.०१	२३.०३	२३.०४	,,
५२	वाल्टरगंज	—	२०.८७	२०.८७	,,
५३	सरदारनगर	०.०८	७४.७८	७४.८६	,,
५४	पिपराइच	६.००	१६.००	२२.००	,,

१	२	३	४	५	६
५५	घुघली	—	२३.८९	२३.८९	रोघनादेश
५६	सिसवाबाजार	८.१९	१५.५९	२३.७८	"
५७	परतापपुर	—	—	—	"
५८	आनन्दनगर	—	१०.५८	१०.५८	"
५९	बातालपुर	३.३८	१८.५१	२१.८९	"
६०	गौरीबाजार	—	७. ५	७.४५	"
६१	देवरिया	—	२३.५५	२३.५५	"
६२	कप्तानगंज	—	१७.६६	१७.६६	"
६३	खिड़डा	१८.८२	१०.८०	२९.६२	"
६४	छितौनी	१२.३९	१०.१६	२२.५५	"
६५	लक्ष्मीगंज	०.१०	३०.८४	३०.९४	"
६६	रामकोला (पी)	—	११.६७	११.६७	"
६७	रामकोला (के)	१४.७७	५.८९	२०.६६	"
६८	पडरौना	—	७.८८	७.८८	"
६९	कछकुइयां	—	६.९२	६.९२	"
७०	सेवरही	—	१८.५१	१८.५१	"
७१	भटनी	—	५.५०	५.५०	"
	योग ..	१६६.८१	१३६४.०१	१५३०.८२	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'क'

गन्ना मूल्य बकाया की वसूली हेतु जो कार्यवाही की गयी वह निम्न प्रकार है—

पुराने गन्ना मूल्य की सभी अवशेष धनराशि की वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं तथा वर्तमान सीजन (१९७०–७१) के बकाया की वसूली के लिये ४७ बकायादार चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं। इन चीनी मिलों की सूची, जिसमें प्रत्येक चीनी मिल पर गन्ना मूल्य बकाया की स्थिति उनके नाम के समक्ष अंकित की गयी है तालिका 'ख' पर रखी है।

२—उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नलिखित २ चीनी मिलें अधिकृत नियंत्रक के अधीन कर दी गयी हैं।

क्रम-सं०	चीनी मिल का नाम	तिथि जिस दिन अधिकृत नियंत्रण में आयी	(लाख रु० में) गन्ना मूल्य बकाया
१	सखोती टांडा	२–९–१९६७	३०.९२
२	मोहीउद्दीनपुर	७–१–१९७०	५६.४०
			८७.३२

३—निम्नांकित ८ चीनी मिलें रिसीवरों के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं।

क्र०-सं०	चीनी मिल का नाम	तिथि जिस दिन गन्ना रिसीवर के अन्तर्गत आयी	(लाख रु० में) गन्ना मूल्य बकाया
१	बुलन्दशहर	५–३–७०	३९.५९
२	अमरोहा	८–१०–६९	७१.७५
३	बुढ़वल	५–३–७०	६०.५८
४	बाराबंकी	६–८–६९	३७.२५
५	डोईवाला	१५–३–७१	३२.५३
६	खड्डा	२१–४–७१	३३.३१
७	रामकोला (के)	४–३–७०	४१.२९
८	भटनी	४–३–७०	१६.३१
		योग ..	३३२.७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४—निम्नलिखित १३ चीनी मिलों में जारी किये गये वर्तमान सीजन के गन्ना मूल्य इत्यादि के बकाया की वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्रों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों से रोधनादेश प्राप्त कर लिये हैं तथा बकाया के भुगतान हेतु उच्च न्यायालय द्वारा किश्तें बांध दी गयी हैं।

(लाख रु० में)

क्र०-सं०	नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य बकाया
१	जसवन्त	३८.०४
२	रोहाना	२८.८९
३	शामली	६५.७२
४	मन्सरपुर	४८.१२
५	सहारनपुर	२९.२३
६	महोली	३४.१२
७	विसवां	२२.१२
८	बहेड़ी	५४.९५
९	रीवा	४७.९६
१०	विलारी	१५.९७
११	बस्ती	२५.५४
१२	वाल्टरगंज	१७.६८
१३	घुघली	२८.६२
	योग ..	४५७.२६

५—इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ४ मिलें ऐसी हैं, जहां पिछले वर्ष में रिसीवरों की नियुक्ति की गयी थी परन्तु उक्त न्यायालय के आदेशानुसार रिसीवरों को हटा लेना पड़ा और अब ये मिलें उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किश्तों के भुगतार बकाये का भुगतान कर रही हैं।

(लाख रु० में)

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य बकाया
१	रामपुर	७३.५२
२	बरेली	२३.१२
३	सिसवा बाजार	२८.७४
४	बैतालपुर	२५.८४
	योग ..	१५१.२२

विधान सभा

६—निम्नलिखित चार सहकारी चीनी मिलें हैं:—

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य बकाया
१	सरसावा	३७.२८
२	बागपत	३३.९७
३	बाजपुर	४४.१९
४	मझोला	२२.२४
	योग ..	१३७.६८

७—निम्नलिखित २ चीनी मिलें सरकार से किये गये समझौते के अन्तर्गत है :—

(लाख रु० में)

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	गन्ना मिल बकाया
१	जरवल रोड	४२.६५
२	मसोधा	३४.१९
	योग ..	७६—८४

८—उपरोक्त कार्यवाहियों के अतिरिक्त निम्नांकित ६ मिलों को नीलाम करने की घोषणा सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा की गई, परन्तु इन मिलों ने इस कार्यवाही के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। नीलामी की तिथि उनके आगे अंकित है।

१—भटनी	१८—६—७१
२—रामकोला (के)	२१—६—७१
३—बुढ़वल	२४—६—७१
४—बाराबंकी	२५—६—७१
५—अमरोहा	१५—६—७१
६—बुलन्दशहर	१२—६—७१

९—निम्नलिखित १२ चीनी मिलें शासन द्वारा दिनांक २—३ जुलाई, १९७१ को अधिग्रहण कर ली गईं, परन्तु उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ७ मिलों की याचिकाओं पर अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही को रोक दिया गया (परन्तु यह अधिग्रहण पिछले बकाया की वसूली के हेतु नहीं हुआ।)

१—बिजनोर
२—जरवल रोड
३—बुढ़वल
४—बाराबंकी
५—रामपुर
६—सखोती टांडा
७—मोहीउद्दीनपुर
८—लक्ष्मीगंज
९—भटनी
१०—रामकोला (के)
११—अमरोहा
१२—खड्ड

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ७६–७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३६ पर)

प्रश्न सं० ७६–७७ से सम्बन्धित तालिकाएं

जनपद गोण्डा के थाना उतरौला और तुलसीपुर में १ जनवरी १९७० से ३० अप्रैल, १९७१ तक दर्ज की गयी दस्तन्दाजी (पुलिस) की रिपोर्टों की संख्या तथा उन पर की गयी कार्यवाही की सूचना निम्न प्रकार है:—

थाने का नाम	कुल रिपोर्ट	जांच नहीं की गई	जांच की गई	चालान	अन्तिम रिपोर्ट लगी	जेर तफतीश
१	२	३	४	५	६	७
उतरौला	७६२	२७४	४८८	१५४	२१७	११७
तुलसीपुर	५३९	१४९	३९०	९९	२०५	८[illegible]

तालिका 'ब'

जनपद गोण्डा के थाना उतरौला और तुलसीपुर में १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७१ तक चोरी, डकैती, कत्ल तथा आतिशजनी की सूचनाओं की संख्या तथा उन पर की गई कार्यवाही की सूचना निम्न प्रकार है:—

अपराध	कुल रिपोर्ट	अदम तफतीश	तफतीश	खारिज	बाकी	चालान	जेर तफतीश	लापता
१	२	३	४	५	६	७	८	९
थाना उतरौला—								
चोरी	४०४	१६८	२३६	८	२२८	४८	५०	१३०
डकैती	५	—	५	—	५	२	३	—
कत्ल	६	—	६	—	६	५	—	१
आतिशजनी	६	—	६	—	६	२	४	—
थाना तुलसीपुर—								
चोरी	३३८	८४	२५४	९	२४५	२६	९३	१२६
डकैती	६	—	—	१	५	४	—	१
कत्ल	६	—	६६	—	६	५	—	१
आतिशजनी	९	—	९	—	९	१	—	८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

तालिका 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३७ पर)

प्रदेश की चीनी मिलों पर ३०-६-७१ तक गन्ना मूल्य, कमीशन एवं ब्याज, सीजन १९७०-७१ का

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य अवशेष	कमीशन अवशेष	सूद गन्ना मूल्य	कमीशन पर	योग
१	२	३	४	५	६	७
१	इकबालपुर	३४.२५	१.७७	०.०६	—	३६.०८
२	डोईवाला	१९.०६	१.५३	०.६५	०.०३	२१.२७
३	देवबन्द	२८.०४	२.५३	०.०१	—	३०.५८
४	लक्सर	३.७४	—	—	—	३.७४
५	सहारनपुर	२९.५०	२.३५	१.०३	—	३२.८८
६	रोहाना	२१.०९	२.२८	०.६९	०.०१	२४.०१
७	मन्सूरपुर	४१.५६	०.०४	२.१७	०.०५	४३.८२
८	खतौली	१.७८	०.०३	—	—	१.८१
९	सरसावा	२६.०८	१.८९	०.४२	०.०१	२८.४०
१०	शामली	१९.१६	१.७७	१.०१	०.०१	२१.९५
११	सखौतीटांडा	२७.१२	१.२२	०.३७	०.०१	२८.७२
१२	दौराला	—	—	—	—	—
१३	जसवन्त	३३.२१	२.१८	१.०१	०.०७	३६.४७
१४	मोहिउद्दीनपुर	३८.०२	१.४०	१.४२	०.०३	४०.८७
१५	बेगमाबाद	२.९८	—	०.०१	—	२.९९
१६	सिम्भौली	—	—	—	—	—
१७	मवाना	०.०४	०.०७	—	—	०.११
१८	बागपत	१५.४२	२.४०	०.३७	०.०९	१८.२८
१९	बुलन्दशहर	३९.३७	१.४४	१.४४	०.०६	४२.५१
२०	काशीपुर	३८.९७	२.२७	१.५८	०.०६	४२.८८
२१	बाजपुर	६२.३३	१.२१	०.७६	—	६४.३०
२२	अमरोहा	३४.५१	३.०५	०.७४	०.०४	३८.३७
२३	बिलारी	११.४६	३.०३	०.०२	०.०४	१४.६५
२४	धामपुर	१.६४	—	—	—	१.६४
२५	सिवहारा	१.६३	०.६३	—	—	२.२६
२६	बिजनौर	२३.६६	०.०४	०.३०	—	२४.००
२७	रामपुर	७७.७१	१.१६	१.३६	०.१२	८०.३५
२८	न्योली	०.३८	—	०.१८	—	०.५६
२९	बहेड़ी	५७.१५	१.६४	०.२१	—	५९.००
३०	बरेली	१९.६९	०.६३	०.२१	०.०१	२०.३४
३१	पीलीभीत	४४.७५	४.५२	०.८६	०.०३	५०.१६
३२	मझोला	४४.४५	०.८०	—	—	१५.२५
३३	रोजा	३५.९३	१.४१	१.०६	०.०३	३८.४३
३४	हरदोई	०.३४	०.११	—	—	०.४५

१	२	३	४	५	६	७
३५	हरगांव	—	२.४०	०.०२	—	२.४२
३६	महोली	१५.७५	१.७९	०.५१	०.०३	१८.०८
३७	बिस्वां	१६.६७	०.२७	०.४६	—	१७.४०
३८	गोला	—	०.५७	—	—	०.५७
३९	एरा	५–५८	०–४४	..	..	६.०२
४०	बुढ़वल	१७.८५	०.७८	०.२५	०.०१	१८.८९
४१	बाराबंकी	२–७०	१.३५	०.०८	०.०४	४.१७
४२	मोतीनगर	१७.६१	१.०१	०.६८	०.०८	१९.३१
४३	शाहगंज	१.२५	०.४९	०.२२	०.०१	१.९७
४४	बभनान	३७.९७	१.२५	१.४४	०.०३	४०.६९
४५	नवाबगंज	२१.७८	२.०४	०.६३	०.०३	२४.४८
४६	तुलसीपुर	१०.०४	०.०२	..	..	१०.०६
४७	बलरामपुर	६.३२	१.४१	..	..	७.७३
४८	जरवलरोड	२२.००	०.९१	०.४५	०.०१	२३.३[illegible]
४९	खलीलाबाद	११.९५	०.५५	०.३६	..	१२.८६
५०	खुंडरवा	११.४४	१.१२	०.५१	०.०३	१३.१०
५१	बस्ती	२३.०३	१.९८	०.५१	०.०६	२५.[illegible]८
५२	वाल्टरगंज	२०.८७	१.७१	०.०५	..	२२.६३
५३	सरदारनगर	७४.७८	४.४२	०.६८	०.१०	८९.[illegible]८
५४	पिपराइच	१६.००	१.५२	०.२५	०.०१	१[illegible].[illegible]८
५५	घुघली	२३.८९	२.११	०.८९	०.०४	२६.६३
५६	सिसवा-बाजार	१५.५९	१.६४	..	..	१७.२३
५७	आनन्दनगर	१०.५८	१.३६	०.१५	..	१२.२९
५८	परतापपुर	..	..	..	..	१२.०९
				०.१५	..	०.१५
५९	बैतालपुर	१८.५१	०.३९	०.२०	०.१०	१९.११
६०	गौरी-बाजार	७.४५	१.१०	०.३०	०.०१	८.८६
६१	देवरिया	२३.५५	०.७३	०.५०	०.०३	२[illegible].८१
६२	कप्तानगंज	१७.६६	..	०.३७	..	१८.०३
६३	खड्डा	१०.८०	०.२३	०.१९	..	११.२२
६४	छितौनी	१०.१६	०.२१	०.२२	०.०१	१०.६०
६५	लक्ष्मीगंज	३०.८४	..	..	..	३०.८४
६६	रामकोला (पी)	११–६७	०.२५	०.१२	..	१[illegible].०४
६७	रामकोला (के)	५.८९	०.६५	..	..	६.५४
६८	पडरौना	७.८८	१.०६	०.४७	.	९.४१
६९	कठकुइयां	६.९२	१.३०	..	..	८.२२
७०	शिवरही	१८.५१	१.१३	०.१४	०.०१	१९.७९
७१	भटनी	५.५०	०.७२	०.१६	०.०१	६.३७
	योग ..	१३६४.०१	८२.३१	२९.०१	१.१९	१४७६.५२

तालिका 'ब'

प्रदेश की चीनी मिलों पर प्रादेशिक सरकार के उपकर/क्रयकर के टैक्स का रुपया जो ३० जून, १९७१ को बाकी था ।

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	मिल का नाम		पुराना बकाया	वर्तमान सत्र का बकाया	योग	विवरण
१	२		३	४	५	६
१	इकबालपुर	..	६.८८	५.५६	१२.४४	
२	डोईवाला	..	१.०३	४.१५	५.१८	
३	देवबन्द	..	३.८२	१३.७४	१७.५६	
४	लक्सर	..	..	०.३२	०.३२	
५	सहारनपुर	..	४.०७	४.३३	८.४०	
६	सरसावां	..	१८.५१	४.८३	२३.३४	
७	मन्सूरपुर	..	९.८५	५.५१	१५.३६	
८	खतौली	..	३.१९	४.३४	७.५३	
९	रोहाना	..	..	०.६६	०.६६	
१०	सखोती टांडा	..	२४.८७	२.८६	२७.७३	
११	जसवन्त	..	३.४१	३.०२	६.४३	
१२	मोहिउद्दीनपुर	..	२८.४५	३.६५	३२.१०	
१३	बागपत	..	१२.२५	११.२५	२३.५०	
१४	बुलन्दशहर	..	२१.०६	४.७८	२५.८४	
१५	काशीपुर	..	०६.९५	११.१३	१८.०८	
१६	बाजपुर	..	०.१२	..	०.१२	
१७	अमरोहा	..	५१.४७	८.०५	५९.५२	
१८	बिलारी	..	५.०८	७.८६	१२.९४	
१९	धामपुर	..	२.५८	..	२.५८	
२०	सेवहारा	..	०.९६	..	०.९६	
२१	बिजनौर	..	५.३२	..	५.३२	पूर्व ठेकेदार
२२	,,	..	१७.५६	४.९१	२२.४७	वर्तमान ठेकेदार
२३	बरेली	..	२०.८७	०.८६	२१.७३	
२४	पीलीभीत	..	४.४७	१०.४१	१४.८६	
२५	मझोला	..	..	०.८०	०.८०	
२६	रोजा	..	३.७४	३.८१	७.५५	
२७	हरदोई	..	..	६.१९	६.१९	
२८	हरगांव	..	१.७४	..	१.७४	
२९	महोली	..	४.०१	८.५४	१२.५५	
३०	गोला	..	..	८.२९	८.२९	
३१	बुढ़वल	..	८.१९	३.४१	११.६०	

१	२		३	४	५	६
३२	बाराबंकी	..	३७.२८	३.३८	४०.६६	
३३	मोतीनगर	..	७.१६	..	७.१६	
३४	शाहगंज	..	१.७३	१.१२	२.८५	
३५	बभनान	..	३.३५	२.६६	६.०१	
३६	नवाबगंज	..	१.३४	४.४१	५.७५	
३७	तुलसीपुर	..	५.२३	७.७८	१३.०१	
३८	बलरामपुर	..	..	४.८१	४.८१	
३९	जरबलरोड	..	२०.९९	४.२३	२५.२२	
४०	खलीलाबाद	..	..	१.६५	१.६५	
४१	मुंडरवा	..	२.५०	२.९७	५.४७	
४२	बस्ती	..	५.४४	४.५१	८.९५	
४३	वाल्टर गंज	..	३.७९	४.१७	७.५६	
४४	सरदार नगर	..	..	११.१५	११.१५	
४५	पिपराइच	..	१७.०२	३.९०	२०.९२	
४६	घुघली	..	३.६३	५.४४	९.०७	
४७	सिसवाबाजार	..	६.४८	४.४९	१०.९७	
४८	आनन्द नगर	..	..	४.४९	४.४९	
४९	प्रतापपुर	..	..	०.३१	०.३१	
५०	बैतानपुर	..	८.०२	४.५५	१२.५७	
५१	गौरीबाजार	..	..	३.७०	३.७०	
५२	देवरिया	..	५.५९	४.६६	१०.२५	
५३	खड्डा	..	२४.९३	१.१३	२६.०६	
५४	छितौनी	..	९.६९	३.४३	१३.१२	
५५	लक्ष्मीगंज	..	३५.४५	४.१८	३९.६३	
५६	रामकोला (पी)	..	..	५.७५	५.७५	
५७	रामकोला (के)	..	४१.२७	४.२६	४५.५३	
५८	पड़रौना	..	५.४३	५.७४	११.१७	
५९	कठकुइयां	..	२.२३	४.२०	६.४३	
६०	सिवरही	..	३.०१	४.२४	७.३५	
६१	भटनी	..	१५.५७	२.१६	१७.७३	
	योग	..	५७२.२०	२७०.४४	८४२.६४	

सत्यमेव जयते

तालिका 'क'

गन्ना मूल्य तथा उपकर/क्रयकर के कार्यों की वसूली हेतु जो कार्यवाही की गई वह निम्न प्रकार है :—

(१) गन्ना मूल्य

पुराने गन्ना मूल्य की सभी, अवशेष धनराशि की वसूली के लिये वसूली प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं तथा वर्तमान सत्र की बकाया के लिये ४ बकायादार चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली वर्तमान प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं।

(२) उपकर/क्रयकर

पुराने उपकर एवं क्रयकर की बकाया के लिये वसूली प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं तथा सत्र के बकाया की वसूली के लये मांग-पत्र भेजे जा रहे हैं।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नांकित २ चीनी मिलें अधिकृत नियंत्रक के अंतर्गत की गई।

१—क्रम-सं०	चीनी मिल का नाम	कुल बकाया लाख रु० में		
		गन्ना मूल्य	उपकर/क्रयकर	योग
१	सखौती टांडा	३०.९२	२६.३३	५७.२५
२	मुदीउद्दीनपुर	५६.४०	३०.५७	८६.९७
	योग ..	८७.३२	५६.९०	१४४.२२

२—निम्नांकित ८ चीनी मिलें रिसीवरों के अन्तर्गत चलाई जा रही है :—

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	कुल बकाया लाख रु० में		
		गन्ना मूल्य	उपकर/क्रयकर	योग
१	बुलन्दशहर	३९.५९	२४.२७	६३.८६
२	अमरोहा	७१.७५	५४.९७	१२६.७२
२	बुढवल	६०.५८	१०.०७	७०.६५
४	बाराबंकी	३७.२५	३९.३१	७५.५६
५	डोईवाला	३२.८३	२.७६	३५.५९
६	खड्डा	३३.२१	२५.२७	५८.४८
७	रामकोला (के)	४१.२९	४३.५५	८४.८४
८	भटनी	१६.२१	१७.०७	३३.२८
	योग ..	३३२.७१	२१७.२७	५४९.९८

३—निम्नांकित १३ चीनी मिलों ने जारी किये गये वर्तमान सत्र के गन्ना मूल्य इत्यादि के बकाये के वसूली प्रमाण-पत्रों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों से रोधनादेश प्राप्त कर लिये हैं तथा बकाया के भुगतान हेतु उच्च न्यायालय द्वारा किस्तें हो गई हैं:—

क्रम संख्या	चीनी मिलों के नाम	कुल बकाया (लाख रु० में)		
		गन्ना मूल्य	उपकर/क्रयकर	योग
१	२	३	४	५
१	जसवन्त	३८.०४	८.०१	४६.०५
२	रोहाना	२८.८९	..	२८.८९
३	शामली	६५.७२	२.९	६८.०१
४	मन्सूरपुर	४८.१२	१५.६६	६३.७८
५	सहारनपुर	२९.२३	७.५७	३६.८०
६	महोली	३४.४२	८.३६	४२.४८
७	सिसवा	२२.१२	..	२२.१२
८	बहेड़ी	५४.९५	..	५४.९५
९	रोजा	४७.९६	६.००	५३.९६
१०	बिलारी	१५.९७	९.७३	२५.७०
११	बस्ती	२५.५४	१०.०४	३५.५८
१२	बाल्टरगंज	१७.९८	६.५६	२४.५४
१३	घुघली	२८.६२	६.४९	३५.११
	योग ..	४५७.२६	८०.७१	५३७.९७

४—इसके अतिरिक्त निम्नांकित ४ मिलें ऐसी है जहां पिछले वर्ष में रिसीवरों की नियुक्ति की गई थी परन्तु उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिसीवरों को हटा लेना पड़ा और अब यह मिलें उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किस्तों के अनुसार बकाये का भुगतान कर रही है :—

क्रम-सं०	चीनी मिल का नाम	बकाया (लाख रु० में)		
		गन्ना मूल्य	उपकर/क्रयकर	योग
१	२	३	४	५
१	रामपुर	७३.५१	३६.३४	१०९.८५
२	बरेली	२३.१२	२०.८७	४३.९९
३	सिसवा बाजार	२८.७४	८.७५	३७.४८
४	बैतालपुर	२५.८४	१०.१९	३६.०३
	योग ..	१५१.२१	७६.१४	२२७.३५

५—निम्नांकित ७ चीनी मिलों ने उपकर/क्रयकर की वसूली के विरुद्ध रोधनादेश प्राप्त कर लिए हैं। अतः जब तक यह रोधनादेश रद्द नहीं होते तब तक उनसे वसूली सम्भव नहीं है:—

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	बकाया लाख रु० में
१	२	३
१	मसोथा	२.६४
२	पिपरोईच	१२.१८
३	खड्डा	१९.३४
४	लक्ष्मीगंज	२६.३४
५	छितौनी	५.५७
६	देवरिया	२.००
७	बैतालपुर	१.८७
	योग ..	७०.५४

६—निम्नांकित ४ मिलें सहकारी है —

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	बकाया लाख रुपयों में		
		गन्ना मूल्य	उपकर/क्रयकर	योग
१	२	३	४	५
१	सरसावां	३७.२८	२०.९२	५८.२०
२	बागपत	३३.९७	१४.४२	४८.३९
३	बाजपुर	४४.१९	०.१२	४४.३१
४	मझोला	२२.२४	..	२२.२४
	योग ..	१३७.६८	३५.४६	१७३.१४

७—निम्नांकित २ चीनी मिलें सरकार से किये गये समझौते के अन्तर्गत है :—

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	बकाया लाख रुपयों में		
		गन्ना मूल्य	उपकर/क्रयकर	योग
१	२	३	४	५
१	जरवल	४२.६५	२३.१८	६५.८३
२	मसोधा	३४.१९	७.१६	४१.३५
	योग ..	७६.८४	३०.३४	१०७.१८

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त निम्नांकित ६ मिलों को नीलाम करने की घोषणा संबंधित कलेक्टरों द्वारा की गई परन्तु इन मिलों ने उनके विरुद्ध स्थगन आदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त कर दिए---

१---भटनी
२---रामकोला (के)
३---बुढवल
४---बाराबंकी
५---अमरोहा
६---बुलन्दशहर

निम्नांकित १२ चीनी मिलें शासन द्वारा २/३ जुलाई १९७१ को अधिग्रहित कर ली गई परन्तु उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ७ मिलों को याचिकाओं पर अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही को रोक दिया गया---

१---बिजनौर
२---जरवल
३---बुढ़वल
४---बाराबंकी
५---रामपुर
६---सखौती टांडा
७---मुहीउद्दीनपुर
८---लक्ष्मीगंज
९---भटनी
१०---रामकोला (के)
११---अमरोहा
१२---खड्डा

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० १०३ एल० ए०---(९७)---८४५ ।